राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफ्रू), जयपुर के माध्यम से नर्सिंग व पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती 2023 के तहत फार्मासिस्ट संवर्ग की भर्ती के क्रम में जारी की गई अंतरिम चयन सूची पर प्राप्त परिवेदनाओं को दिनांक 17.02.2025 को संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप 3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर परिवेदना समिति के समक्ष रखा गया। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची संलग्न है। बैठक में एजेन्डानुसार विभिन्न बिन्दुओं पर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

S. No.	Applicant 's Name	Application ID	परिवेदना का विवरण	वस्तुपरक टिप्पणी	परिवदेना समिति का निर्णय
1	MUKESH KUMAR TRIPATHI	PH211031	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में उपस्थिति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर दिये जाने पर दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया गया है। उक्त की पुष्टि सेवा प्रदाता द्वारा पुनः की गई है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 05.04.2024 के अनुरूप अब एक और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2	VAISHALI	PH201476	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल दस्तावेज सत्यापन सूची संलग्न की है जिसमें स्वयं के नाम के आगे 30 प्रतिशत बोनस के आधार पर 84.285 प्रतिशत अंक अंकित है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	अभ्यर्थिया दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रही है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 05.04.2024 के अनुरूप अब एक और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवदेना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
3	SYED JUNED AHMED NAQVI	PH171652	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र एवं विस्तृत विज्ञप्ति की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी की पात्रता आयु अधिक गणना कर लिये जाने के कारण निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी की जन्म दिनांक 1.1.1971 है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23.09.2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा में है उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा में माना जायेगा। अभ्यर्थी को 5 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है जो पूर्व में नहीं दिया गया था एवं उसे 3 वर्ष का विज्ञप्ति विगत वर्षो में जारी नहीं होने का लाभ भी देय होगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग की छूट अतिरिक्त देय है। अतः	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

				विज्ञप्ति की शर्तानुसार अभ्यर्थी आयुसीमा में है।	
4	RAJENDAR SINGH	PH148383	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयतासूची में नाम जुडवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया गया है, अभ्यर्थी के बोनस अंक जोड़कर 73.100 प्रतिशत है। लेकिन अंतरिम वरीयता सूची में क्रमांक 875 पर प्रदीप सिंह राणावत पुत्र श्री हरिसिंह राणावत भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है जिसका 70.100 प्रतिशत होने के बावजूद भी अंतरिम वरीयता सूची में नाम है।	पूर्व में अभ्यर्थी की पात्रता संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रपत्र में नही होने के आधार पर आयुसीमा में अनुभव आधारित शिथिलता का लाभ नही मिल सकने के कारण निरस्त कर दी गई थी किन्तु समान प्रकरण में प्रिलिटिगेशन समिति की बैठक में नो–अपील का निर्णय लिये जाने के कारण इस प्रकरण में भी आयुसीमा में अनुभव आधारित शिथिलन का लाभ दिया जाकर अभ्यर्थी को पात्र माना जाना प्रस्तावित है। किन्तु निर्धारित प्रपत्र में नही होने के कारण संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नही होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा फार्मासिस्ट पद का 1805 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के उपरान्त देय बोनस अंको का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
5	ARTI YOGI	PH208305	अभ्यर्थी ने कटऑफ 55.233 है जिसके उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम अंकित नहीं है, बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम कटऑफ प्रतिशत का उल्लेख करते हुये अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है किन्तु दस्तावेज सत्यापन एवं ऑनलाईन आवेदन में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण अभ्यर्थी को ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं कर सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। जातिगत आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को देय है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

6	TASNEEM SALPURA WALA	PH203015	अभ्यर्थी ने श्रेणी संशोधन बाबत परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (ईस्माईल हुसैन बोहरा के नाम से जारी) दिनांक 02.05.2023 प्रस्तुत कर स्वंय की श्रेणी सामान्य के स्थान पर ईडब्ल्यूएस किये जाने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट पद हेतु आई0डी0 संख्या 203015 द्वारा सामान्य वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया था। विभाग द्वारा नियुक्ति सूची में ईडब्लयूएस वर्ग में विवाहित महिला को पति के नाम से जारी एवं पति का स्वंय का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य किया है। अभ्यर्थी का पति का ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र बना हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है परन्तु विज्ञप्ति में उक्त नियम उल्लेखित नहीं है एवं नियुक्ति आदेश में उल्लेखित है जिस आधार पर अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आती है। अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी परिवर्तन कर सामान्य श्रेणी से ईडब्ल्यूएस में परिवर्तित किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अब परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं के पति श्री ईस्माइल हेतु ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.2023 संलग्न किया है जो कि अभ्यर्थिया हेतु जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया के पास स्वयं के नाम का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था। अभ्यर्थिया का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से जारी ही मान्य किया जा सकता है। स्वयं के स्थान पर किसी अन्य का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
7	FATEMA NEHERW ALA	PH203328	अभ्यर्थी ने श्रेणी संशोधन बाबत परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (श्री हुसैन अली के नाम से जारी) दिनांक 02.05.2023 प्रस्तुत कर स्वंय की श्रेणी सामान्य के स्थान पर ईडब्ल्यूएस किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट पद हेतु आई0डी0 संख्या 203328 द्वारा सामान्य वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया था। विभाग द्वारा नियुक्ति सूची में ईडब्लयूएस वर्ग में विवाहित महिला को पति के नाम से जारी एवं पति का स्वंय का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य किया है। अभ्यर्थी का पति का ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र बना हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है परन्तु विज्ञप्ति में उक्त नियम उल्लेखित नहीं है एवं नियुक्ति	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित वर्ग किया गया है। अब परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं के पति श्री हुसैन अली हेतु जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.2023 संलग्न किया है जो कि अभ्यर्थिया हेतु जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया के पास स्वयं के नाम का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था। अभ्यर्थिया का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से जारी ही मान्य किया जा सकता है। स्वयं के स्थान पर किसी अन्य का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			आदेश में उल्लेखित है जिस आधार पर अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आती है। अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी परिवर्तन कर सामान्य श्रेणी से ईडब्ल्यूएस में परिवर्तित किये जाने हेतु लिखा है।		
8	NITIN PALIWAL	PH163033	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय तकनीकी समस्या या इन्टरनेट की समस्या के कारण ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित वर्ग किया गया है। अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करने का विकल्प चुनने के कारण अभ्यर्थी के पास ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध ही नही था क्योंकि यह विकल्प केवल तब ही उपलब्ध हो सकता था जबकि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में आवेदन करता। अतः अभ्यर्थी का कथन कि तकनीकी समस्या या इंटरनेट की समस्या के कारण वह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर पाया मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नहीं उठाया गया। अतः अब परिवेदना के साथ संलग्न दिनांक 09.05.2022 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ पक्षपाती होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

9	Sushila	PH125922	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर भर्ती में आवेदन करते समय ईमित्र द्वारा सहवन से ओबीसी एनसीएल के स्थान पर ओबीसी सीएल का प्रमाण पत्र जारी करने के कारण चयन नहीं होने का उल्लेख कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी की अभ्यर्थी होने के संबंध में शपथ पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 09.06.2016, 10.07.2024 को जारी ओबीसी एनसीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर अभ्यर्थियां के जाति श्रेणी में परिर्वतन करते हुये अंतिम वरियता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से किया गया है किन्तु ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थिया द्वारा 05.06.2023 का जारी ओबीसी सीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अब परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 09.06.2016 एवं 10.07.2024 को जारी ओबीसी एनसीएल का नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया आवदेन की दिनांक को ओबीसी एनसीएल वर्ग में नहीं थी किन्तु इसके उपरान्त भी उसने ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवदेन किया जो कि विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार नहीं है एवं नवीन प्रस्तुत प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद का जारी होने के कारण विज्ञप्ति की शर्तानुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
10	SACHIN BHATT	PH194835	अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर जनरल वर्ग से ईडब्ल्यूएस वर्ग में परिवर्तन करते हुये चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 31.07.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
				जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	

11	JITENDRA ARORA	PH140610	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती के दौरान पिताजी का आकस्मिक स्वर्गवास होने के कारण ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं बनवाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी की मानसिक परिस्थिति एवं अप्रिय घटना को ध्यान में रखते हुये ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ देते हुये अन्तरिम एवं अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। (दिनांक 15.07.2024 की जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 68.967 बनते है जो कि अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। इन्होने परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 15.07.2024 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
12	ANITA MAIDA	PHT141917	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती में मैरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी ने टीएसपी-एसटी कैटेगिरी से आवेदन किया है। अभ्यर्थी के 47 प्रतिशत अंक है, इससे कम प्रतिशत वालों का मैरिट लिस्ट में नाम है। संलग्न-विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, 10वीं., 12वीं तथा फार्मेसी की अंकतालिकाएं, जाति प्रमाण पत्र व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मध्यप्रदेश राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी के पास राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
13	BARKHA SHARMA	PH101852	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल बी-फॉर्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, रिन्युअल प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र दिनांक 17.08.2016 एवं 06.02.2024 की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से किया गया है। ऑनलाईन आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.08.2016 का जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो नियमानुसार ओबीसी एनसीएल वर्ग में आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु मान्य नही किया जा सकता है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया तत्समय भी अभ्यर्थिया द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अब परिवेदना के साथ अभ्यर्थी द्वारा 06.02.2024 का जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का होने	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				के कारण मान्य नही किया जा सकता है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के क्रम में परिवेदना समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में अन्य समान प्रकरणों में लिये गये निर्णयानुसार अब । विज्ञप्ति की शर्तानुसार जातिवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
14	LAXMI GUPTA	PH111225	अभ्यर्थियां द्वारा अज्ञानतावश आवेदन के समय जाति ईडब्ल्यूएस के स्थान पर सामान्य से आवेदन करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर दिनांक 18.09.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रार्थी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल करते हुये वरीयता सूची में चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया के पास त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर प्राप्त था जिसका लाभ उसके द्वारा नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के अपरान्त आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 18.09.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के आधार पर विज्ञप्ति की शर्तानुसार श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम सरकार, रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार डीबी याचिका सं. 7840/2019 सोनल त्यागी आदि में याचिकाकर्ता की मांग को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
15	Devasi Lata Tikam	PH122690	अभ्यर्थिया ने फार्मासिस्ट अंतरिम चयन सूची में त्रुटि सुधारने बाबत परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल (44 राईका) जाति प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.2023 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 24.08.2023 को दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था जिसमें अभ्यर्थी द्वारा सभी दस्तावेज जमा करवाये गये थे। अभ्यर्थी एमबीसी–एनसीएल जाति वर्ग से है जिसे हेतु अभ्यर्थी द्वारा वर्ष 2018 का वैद्य जाति प्रमाण पत्र तथा वर्ष 2023–24 के लिए नॉन–क्रिमिलेयर का शपथ पत्र जमा करवाया गया था लेकिन अंतरिम चयन सूची में क्रम संख्या 1432 पर अभ्यर्थी की श्रेणी को गलत तरीके से एमबीसी–सीएल दर्शाया गया है। अतः अभ्यर्थी ने श्रेणी में सुधार किये जाने हेतु	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एमबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है किन्तु आवेदन पत्र के साथ दिनांक 11.09.2018 का एमबीसी एनसीएल जातिवर्ग का जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार एमबीसी एनसीएल वर्ग में आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु मान्य नही किया जा सकता है। अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया तत्समय भी अभ्यर्थिया द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 29.08.2023 को जारी एमबीसी–एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसे आवदेन की अंतिम दिनांक के पश्चात का होने के कारण विज्ञप्ति की शर्तानुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के क्रम में परिवेदना समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में अन्य समान प्रकरणों में लिये गये निर्णयानुसार अब जातिवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। अतः परिवेदना	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			लिखा है।	स्वीकार योग्य नहीं है।	
16	NILOPHAR BEE	PH134821	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने बाबत परिवेदना के संलग्नक में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा जारी बी–फॉर्मा अंकतालिका, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, हायर सैकेण्डरी अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने का कारण स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने नॉन–टीएसपी में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया था। अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन की सूची में क्रम संख्या 1915 पर नाम अंकित था, जिसमें अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 54.276 प्रतिशत है जबकि अंतरिम चयन सूची कटऑफ 49 प्रतिशत रहा है, जिसके संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने का कारण स्पष्ट करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय अनुभागाधिकारी, राजस्व तहसील गरोठ जिला मंदसौर मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विज्ञप्ति में शर्तानुसार अभ्यर्थी का जातिप्रमाण अन्य राज्य का होने के कारण जातिवर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत आनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
17	PRIYANKA MONDAL	PH140463	अभ्यर्थियां द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.2 होने के बाद भी चयन नही होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सभी दस्तावेजों की पुनः जांच कर वरीयता सूची मे नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का जारी किया हुआ है। स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। अतः जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इन्हे सामान्य अभ्यर्थी मानते हए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार इनके कुल प्राप्तांक सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवदेना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

18	NEHA SAINI	PH144286	अभ्यर्थी ने कैटेगरी में संशोधन बाबत परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 09.07.2024 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में त्रुटिवश सामान्य वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया गया था जिस कारण अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाई जबकि अभ्यर्थी की कैटेगरी ओबीसी है। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 54.123 प्रतिशत है जबकि अंतरिम सूची में ओबीसी महिला वर्ग में 49.821 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी की श्रेणी सामान्य वर्ग से संशोधित कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का प्रमाणपत्र दिनांक 09.07.2024 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी ओबीसी एनसीएल वर्ग में नहीं था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
19	RAJNI PRAJAPATI	PH149525	अभ्यर्थी ने साफटवेयर त्रुटि के कारण वर्ग सम्मिलित करवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र (04.09.2023), मूल निवास, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती में आई0डी0 संख्या 149525 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर वर्ग से है। पूर्व में भी अभ्यर्थी द्वारा कैटेगरी ओबीसी डाली गई परन्तु सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में सम्मिलित किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि संशोधन पत्र दिया गया परन्तु परिवर्तन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभ्यर्थी द्वारा पुनः परिवेदना प्रस्तुत की जा रही है तो भी त्रुटि में संशोधन नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी ने दस्तावेज प्रस्तुत कर ओबीसी	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है। उसके पास दिनांक 4.9.2023 को जारी किया गया अन्य पिछडा वर्ग जाति प्रमाण पत्र है जो कि आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम दिनांक के पश्चात होने के कारण विज्ञप्ति की शर्तानुसार आरक्षण का लाभ दिए जाने हेतु मान्य नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			एनसीएल जाति वर्ग में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
20	RAVINA YADAV	PH190416	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 54.749 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसका कारण स्पष्ट किये जाने हेतु अभ्यर्थी द्वारा लिखा गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से किया गया है। ऑनलाईन आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 23.08.2013 का जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो नियमानुसार ओबीसी एनसीएल वर्ग में आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विज्ञप्ति की शर्तानुसार मान्य नही किया जा सकता है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया तत्समय भी अभ्यर्थिया द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के क्रम में परिवेदना समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में अन्य समान प्रकरणों में लिये गये निर्णयानुसार अब जातिवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
21	SURBHI PARMAR	PH171390	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय अनुभागाधिकारी, राजस्व तहसील नीमच जिला नीमच मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विज्ञप्ति में शर्तानुसार अभ्यर्थी का जातिप्रमाण अन्य राज्य का होने के कारण जातिवर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत आनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

22	OMPRAKASH DHUMRHA	PH198640	अभ्यर्थी द्वारा बी फार्मेसी की अंकतालिकाओं के अंकों की गणना सीजीपीए से प्रतिशत परिवर्तित करने का पैमाना प्रतिशत =CGPA*9.5 के अनुसार गणना करते हुये पोर्टल पर प्रार्थी के CGPA=6.89*9.5=65.45 प्रतिशत सही अंक दर्ज करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	सीजीपीए के आधार पर अंकों की गणना संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर की गई है। साथ ही इस संबंध में नीति निर्धारण समिति अतः तदनुसार निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
23	NARAYAN RAM	PH151219	अभ्यर्थी ने एमबीसी वर्ग में नॉन एमबीसी वर्ग के चयन बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फॉर्मासिस्ट भर्ती 2023 में एमबीसी वर्ग में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच कर अनुचित तरीके से चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने निम्न अभ्यर्थियों का नाम प्रस्तुत किया है:–1. भूमिका नायक 2. जितेन्द्र सिंह भाटी/ईश्वर सिंह भाटी 3. किरणं माली 4. कुलबेर दायमा 5. निलेश गोचर/राधाकिशन गोचर 6. ओमप्रकाश बधेल	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जिसमें जाति/ वर्ग भी सम्मिलित है, की जांच भर्ती प्रक्रिया के दौरान की गई है एवं इसके उपरान्त ही इन्हें इसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। परिवेदना पर पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
24	riyaj ahmed qureshi	PH131428	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती में ओबीसी एनसीएल में 30 प्रतिशत वालो का चयन हुआ है, बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती में 30 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है परन्तु कई लोग का चयन उनके प्रतिशत के आधार पर नहीं हुआ है। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 43 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी जैसे कई अभ्यर्थियों का चयन अंक प्रतिशत के आधार पर नहीं हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने इस विषय पर जांच करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है। फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदकों की पात्रता एवं योग्यता से संबंधित बिन्दुओं पर नियमानुसार/सक्षम स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्व से ही की जा रही है। अतः परिवेदना पर पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

25	RAHUL SHARMA	PH151854	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती में शामिल किये गए दोहरा लाभ लेने वालो को बाहर करने बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 हेतु आवेदनकर्ताओं ने संविदा/निविदा पर फार्मासिस्ट पद पर कार्य करने के साथ–साथ मेडीकल स्टोर तथा निजी संस्थान पर पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा ड्रग लाइसेन्स लगाकर दोहरा लाभ लिया है अथवा दोहरा लाभ लेने के बावजूद भी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर प्रोविजनल चयन सूची में स्थान प्राप्त किया है जिससे सही योग्यता धारक अभ्यर्थियों को चयन होने से वंचित रहना पडा है। अतः अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों के जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की अवधि का मिलान फूड सेफटी एवं ड्रग कंट्रोलर कमिश्नर जयपरु द्वारा दी गई जांच की रिपोर्ट से मिलान करके ओवरलेप दिनो को कम करके अभ्यर्थी को अनुभव दिया जाने तथा आरपीसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर सील, साईन व दिनांक का मिलान कर अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों से मिलान कर, दोहरा लाभ अवधि को	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
			अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों से हटाने हेतु निवेदन किया है।		

26	MUKESH KUMAR YADAV	PH126829	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। प्रार्थी द्वारा अन्य अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। भर्ती से सम्बन्धित समस्त सूचना वैब साइट पर उपलब्ध रहती है। भर्ती सम्बन्धी आवश्यक सूचना/जानकारी वैबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाती है। बैकलॉग के सम्बन्ध में केवल नियमानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रामण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। ऐसे 30 अभ्यर्थियो की सूची संलग्न की है। प्रार्थी ने एक अन्य प्रति संलग्न कर अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना चाही है। प्रार्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती--2023 में अन्य पिछड़ा वर्ग मेल (पुरूष) कुल कितने चयनित हुए, ओबीसी (पुरूष) खेल कोटे में कितने सीटे, ओबीसी (पुरूष) की खेल कोटे में सीटों से ज्यादा मेल (पुरूष) अभ्यर्थी चयनित किये गये से संबंधित सूचना चाही है । एक अन्य दस्तावेज में प्रार्थी ने विशेष अनुरोध/निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट		
			भर्ती 2023 में टीएसपी क्षेत्र की 260 सीट है एवं 93 सीट बैकलॉग मिलाकर विज्ञप्ति जारी की गयी है। प्रोविजनल चयन सूची में टीएसपी की 260 सीटो में से 197 अभ्यर्थी ही योग्य पाये गये है अर्थात 63 फिर से बैकलॉग रह गये है। अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि जब वर्तमान पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे है तो विगत भर्ती के 93 बैकलॉग पदों को सामान्य श्रेणी से भरकर उक्त प्रस्ताव विभाग के समक्ष रखकर एनटीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों से भरवाने का श्रम करावें।		

27	CHIRNJEEV DIDWANIYA	PH189002	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में 32 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करवाया जाये ताकि फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जावें एवं योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम सूची में चयन हो सके। एनजीओ, ठेकेदार, निविदाकर्ता, फर्म, प्लेसमेन्ट एजेन्सी , एमएमयू, एमएमवी, पीपीपी मोड एनजीओ द्वारा फार्मासिस्टो का बिना कार्य किये ही फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया है। बहुत एनजीओ जैसे चित्रांस सोसायटी, नवरंग राम दयाराम दुकिया सेवा संस्थान इत्यादि द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है। अभ्यर्थी द्वारा ऐसे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों को सूची से बाहर किया जाने हेतु लिखा गया है। साथ ही निवेदन किया है कि पूर्व में इस भर्ती में 2506 सीटे थी, 260 टीएसपी में थी, 93 बैकलॉग की सीटे थी, फिर राज्य सरकार द्वारा 208 पदों की ओर स्वीकृति दी गई। इस प्रकार कुल 2714 सीटे हुई। ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण है। पुरूष महिला आरक्षण के आधार पर ओबीसी की 399 सीटे होती है। परन्तु सीफू द्वारा ओबीसी की 320 तथा 18 ओबीसी होल्ड कुल 338 सीटे ही भरी गई है। अभी भी 61 ओबीसी पुरूष की सीट खाली है। अतः जब भी फार्मासिस्ट की अंतिम सूची तैयार की जावे तो ओबीसी पुरूष की 399 सीटे भरी जावें। फार्मासिस्ट भर्ती में 93 बैकलॉग सीटे है। टीएसपी में 260 सीट है। कुल टीएसपी में 353 सीट है। अतः टीएसपी क्षेत्र से खाली रही सीटो को	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायत प्रेषित की है जिनके द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती में भाग लिया है, के अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन कराये जाने बाबत् निवेदन किया है। अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियो को आवश्यक रिकार्ड के साथ संस्थान में उपस्थित होकर पुर्नसत्यापन कार्य करवाये जाने का निर्णय पूर्व से ही लिया जा चुका है। पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंकों के आधार पर ही अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी। टीएसपी क्षेत्र के बैकलॉग पदों को गैर टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			एनटीएसपी में सम्मिलित किया जावें तथा अनारक्षित सीटो से भर दिया जावें।		
28	PUSHPENDRA DEWASI	PH139307	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में एमबीसी वर्ग में अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन से हटाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में डी–फॉर्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, एमबीसी क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2022 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम चयन सूची में कई अभ्यर्थी जो एमबीसी एनसीएल श्रेणी के नही होते हुए भी एमबीसी वर्ग में चयन किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है जो निम्नानुसार हैः–1. 2045 पर राहुल पटेल पुत्र श्री महेश पटेल का चयन एमबीसी एनसीएल वर्ग में किया गया है जबकि अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से संबंधित है।2. 1595 पर अंकित रितिका पटेल पुत्री श्री राजवीर सिंह का चयन एमबीसी एनसीएल वर्ग में किया गया है जबकि अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से संबंधित है।3. 2203 पर अंकित किरण माली पुत्र श्री प्रवीणचन्द माली का चयन एमबीसी एनसीएल वर्ग में किया गया है	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जिसमें जाति/ वर्ग भी सम्मिलित है, की जांच भर्ती प्रक्रिया के दौरान की गई है एवं इसके उपरान्त ही इन्हें इसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। परिवेदना पर पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नही कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
			जबकि अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से संबंधित है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा ओबीसी वर्ग एवं एमबीसी वर्ग के आरक्षण के लिये हकदार जातियों का स्पष्ट उल्लेख किये जाने के उपरांत भी ओबीसी, एमबीसी वर्ग के लिये हकदार नही होने के बावजूद ओबीसी एनसीएल वर्ग से चयन किया गया है एवं एमबीसी वर्ग के वास्तविक हकदार अभ्यर्थियों को चयन से बाहर किया जाना न्यायसंगत नहीं है।अभ्यर्थी ने एमबीसी वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों		

			का पुनः सत्यापन करवाकर एमबीसी वर्ग के वास्तविक हकदार अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन करवाकर संशोधित अंतरिम सूची जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है।		
29	RAKESH PRAJAPAT	PH185811	प्रार्थी राकेश प्रजापत आईडी संख्या 185811 द्वारा अन्तरिम वरियता सूची में चयनित अन्य अभ्यथी श्री इमरान खान जिनकी आईडी संख्या 148032 है का चयन होने का उल्लेख किया है जो कि फार्मासिस्ट सहायक (डीडीसी हेल्पर) के पद पर कार्यरत था जिसे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कुचामन सिटी नागौर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक फार्मासिस्ट के पद पर फार्मासिस्ट के कार्य हेतु 30 अंकों का बोनस अंकों का लाभ भी दिया गया है (अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न) के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करने हेतु निवदेन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अभ्यर्थी श्री इमरान खान के अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। अनुभव प्रमाण पत्रों का जारीकर्ता अधिकारियो द्वारा पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंकों के निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
30	RATAN LAL	PH138650	अभ्यर्थी द्वारा चयन सूची में कई अभ्यर्थी जो एमबीसी एनसीएल श्रेणी में नहीं आते है उनका चयन एमबीसी वर्ग किये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थन जयपुर की अधिसूचना में निर्दिष्ट जातियों के संबंध में आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर जिन अभ्यर्थियों का चयन एमबीसी वर्ग में किया गया है उनका सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार अति पिछडा वर्ग से चयनित अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन करके एमबीसी वर्ग के वास्तविक हकदार अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन करने के संबंध में निवेदन किया है। जिन	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जिसमें जाति/ वर्ग भी सम्मिलित है, की जांच भर्ती प्रक्रिया के दौरान की गई है एवं इसके उपरान्त ही इन्हें इसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। परिवेदना पर पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			अभ्यर्थियों की जाति एमबीसी वर्ग के अन्तर्गत नहीं आती उनसी सूची निम्नानुसार है:—क्रम संख्या 2045 श्री राहुल पटेल पुत्र श्री महेश पटेल, क्रम संख्या 1722 माजिद पुत्र श्री नूर नबी, क्रम संख्या 1643 जितेन्द्र पुत्र ईश्वर सिंह, क्रम संख्या 1595 रितिका पटेल पुत्री श्री राजवीर सिंह एवं क्रम संख्या 2203 किरण माली पुत्र श्री प्रविण चन्द्र माली प्रार्थी का एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग की कट ऑफ 44.967 से कम प्राप्तांक प्रतिशत 44.074 होने के कारण प्रोविजनल सूची में चयन नहीं हुआ है।		
31	PARAMA NAND YADAV	PH163774	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साईन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया के संबंध परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान फूड सेफटी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग से सत्यापन करने के लिये निवेदन किया है जिससे दोहरा लाभ लेने वालो को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी कर सकें।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नही की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होनें रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साईन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया के संबंध परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान फूड सेफटी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग से सत्यापन करने के लिये निवेदन किया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नही कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

32	MAHAVEER SINGH CHOUDHARY	PH168239	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती में अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में 32 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया। फार्मासिस्ट अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में विशेष रूप से अंकित किया गया है कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसे निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है" उपरोक्त विशेष प्रावधान के बावजूद भी आप द्वारा ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनकी पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद भी चयनकर्ता द्वारा कई ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नही कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

			हो सका है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान किया गया है कि " यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी / भेषजी महाविद्यालय / संस्था / उद्योग / किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि किसी भी फार्मासिस्ट द्वारा एक फार्मेसी में कार्य करते हुए अन्यत्र कार्य करता पाया जाता है कि अवाचार की श्रेणी में माना जाता है, इस प्रकार अवाचार द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव वैद्य अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिय जा सकते है। अतः अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर अभ्यर्थी का चयन करें।		

33	PRAVEEN KUMAR	PH139508	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में एमबीसी वर्ग में अन्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को हटाने बाबत् निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अंतरिम वरियता सूची में कई अभ्यर्थी जो एमबीसी--एनसीएल वर्ग के न होते हुए भी उनका चयन एमबीसी वर्ग में किया गया है जिससे एमबीसी वर्ग के वास्तविक हकदार अभ्यर्थियों को चयन नहीं हुआ है जो कि विधि विरूद्ध है। अंतरितम वरियता सूची में शामिल ऐसे 03 अभ्यर्थी निम्न प्रकार है—कम संख्या 2045 पर राहुल पटेल पुत्र श्री महेश पटेल, कम संख्या 1595 पर रितिका पटेल पुत्री श्री राजवीर सिंह, कम संख्या 2203 पर किरण माली पुत्र श्री प्रवीण चन्द्र मालीये अभ्यर्थी ओबीसी एनसीएल श्रणी के होने से अवगत कराया है।अभ्यर्थी ने आवेदन फार्म की प्रति, आरपीसी प्रमाण पत्र, ओबीसी सीएल जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जिसमें जाति/ वर्ग भी सम्मिलित है, की जांच भर्ती प्रकिया के दौरान की गई है एवं इसके उपरान्त ही इन्हें इसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। परिवेदना पर पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
34	HONEY LALWANI	PH107917	अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी की जांच करने तथा चयन सूची पुनः जांच करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में व्यावसायिक योग्यता अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में है। अभ्यर्थी के व्यावसायिक योग्यता में 80 प्रतिशत प्राप्तांक है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में चयनित कई अभ्यर्थी जो कि अध्यापन कार्य में कार्यरत है तथा लाईसेंस को अन्यत्र उपयोग लाया ज़ा रहा है जो कि अनुचित है। ऐसे अभ्यर्थियों की जांच की जावे।	अभ्यर्थी का स्वयं का चयन इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण नहीं हुआ। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के कम में अनुभव अवधि के दौरान अन्यत्र कार्य करने/लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यवाही किए जाने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं इस प्रकार के प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

35	DIPTI MATHURIYA	PH159162	अभ्यर्थियां द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतिम सूची में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.233 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में स्वयं से कम प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में उल्लेख किया गया है किन्तु उनके संबंध में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
36	ISHWAR LAL YADAV	PHT104713	अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 41.400 है। चयनित अभ्यर्थी विजय मेघवाल आईडी संख्या PHT112604 के प्राप्तांक प्रतिशत 41.234 की जगह 41.604 कैसे हो गए। प्रार्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.400 अभ्यर्थी विजय मेघवाल से अधिक है फिर भी अन्तरिम सूची में मेरा नाम नहीं है।	अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गए डाटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रतिशत प्राप्तांकों की गणना की गई है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी श्री विजय मेघवाल के प्रतिशत प्राप्तांक 41.633 है । कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

37	MAYANK LAWANIYA	PH192674	अभ्यर्थी ने अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में 478 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया। फार्मासिस्ट अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में विशेष रूप से अंकित किया गया है कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसे निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है" उपरोक्त विशेष प्रावधान के बावजूद भी आप द्वारा ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनकी पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद भी चयनकर्ता द्वारा कई ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है।फार्मेसी प्रैक्टिस	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी।अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान किया गया है कि " यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय/संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि किसी भी फार्मासिस्ट द्वारा एक फार्मेसी में कार्य करते हुए अन्यत्र कार्य करता पाया जाता है कि अवाचार की श्रेणी में माना जाता है, इस प्रकार अवाचार द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव वैद्य अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिय जा सकते है।अतः अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर अभ्यर्थी का चयन करें। अभ्यर्थी का ईडब्लयूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 59.166 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 64.967 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से वंचित रहा है।		

38	MAHESH KUMAR KHICHAR	PH146707	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतियां तथा 84 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच कर फर्जी अभ्यर्थियों को वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावें तथा टीएसपी क्षेत्र के बैकलॉग पदों को गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों में सम्मिलित कर इन पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जावे।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। टीएसपी क्षेत्र के बैकलॉग पदों को गैर टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
39	CHANDRA KANT BOCHIWAL	PH165049	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, डी–फार्मा अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है:–1. वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है।2. रिक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों में से होल्ड रखे गये अभ्यर्थियों के क्लियरेन्स की कोई समय सीमा तय नहीं है।3. होल्ड अभ्यर्थियों के कारण अन्य योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है।	अभ्यर्थी द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी करने, चयनित अभ्यर्थियों में होल्ड रखे गये अभ्यर्थियों के क्लियरेंस की समय सीमा तय करने एवं होल्ड रखे गये अभ्यर्थियों के कारण अन्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होने के संबंध शिकायत प्रस्तुत की गई है। जिसके क्रम में वस्तुस्थिति यह है कि प्रतीक्षा सूची अन्तिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात जारी की जा सकती है, होल्ड पर रखे गये अभ्यर्थियों के कारणों के निवारण हेतु पूर्व से ही यथासंभव कार्यवाही की जा रही है एवं यदि कोई होल्ड अभ्यर्थी पात्र नहीं पाया जाता है तो अन्तिम चयन सूची में उसके स्थान पर संबंधित मेरिट अनुसार अन्य अभ्यर्थी सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है। अतः प्रकरण तदनुसार निस्तारित किया जाता है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

40	SHIV SINGH SHEKHAWAT	PH175602	अभ्यर्थी ने विषयक फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के संबंध में बाबत परिवेदना के संलग्नक में 37 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में कुछ लोग (लगभग 500) अभ्यर्थियों ने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन (आरपीसी) से जारी करवाकर अंतरिम चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसे अभ्यर्थियों ने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की पीछे, सील, ड्रग लाईसेन्स नम्बर, दिनांक (ड्रग लाईसेन्स जारी करने की) आदि को छुपाने के लिए जिससे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से मिलान नहीं हो पाये। ऐसे अभ्यर्थियों को सूची से बाहर करने एवं डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की सूची को जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन भर्ती में लगाये है, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साइन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजि0 सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया है। अतः दोहरा लाभ के तथ्य छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। जिनका मिलान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा कराये जाने बाबत् निवेदन किया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
41	SUNIL KUMAR SHARMA	PH143538	अभ्यर्थी ने विषयक फार्मासिस्ट भर्ती में शामिल किये गए दोहरा लाभ लेने वालो को बाहर करने बाबत तथा अभ्यर्थियों को टीएसपी और नॉन-टीएसपी में चयन से संबंधित परिवेदना में संलग्नक में 61 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 हेतु आवेदनकर्ताओं ने संविदा/निविदा पर फार्मासिस्ट पद पर कार्य करने के साथ-साथ मेडीकल स्टोर तथा निजी संस्थान पर पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा ड्रग लाइसेन्स लगाकर दोहरा लाभ लिया है अथवा दोहरा लाभ लेने के बावजूद भी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर प्रोविजनल चयन सूची में स्थान	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			प्राप्त किया है जिससे सही योग्यता धारक अभ्यर्थियों को चयन होने से वंचित रहना पडा है। अतः अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों के जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की अवधि का मिलान फूड सेफटी एवं ड्रग कंट्रोलर कमिश्नर जयपरु द्वारा दी गई जांच की रिपोर्ट से मिलान करके ओवरलेप दिनो को कम करके अभ्यर्थी को अनुभव दिया जाने तथा आरपीसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर सील, साईन व दिनांक का मिलान कर अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों से मिलान कर, दोहरा लाभ अवधि को अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों से हटाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही 29 अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी एवं नॉन–टीएसपी दोनो जगह हुआ है। टीएसपी के 29 अभ्यर्थियों का नॉन–टीएसपी में सामान्य श्रेणी में भी चयन हुआ है। अतः चयनित अभ्यर्थियों का इच्छा अनुसार किसी एक क्षेत्र में चयनित किया जाकर किसी एक क्षेत्र में चयन होने के उपरांत खाली सीट पर मेरिट अनुसार फाईनल सूची में अन्य अभ्यर्थी को मौका दिये जाने की कृपा करें।	जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। टीएसपी क्षेत्र के बैकलॉग पदों को गैर टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।	

42	DHIRENDRA KUMAR	PH204670	अभ्यर्थी ने अयोग्य अभ्यर्थियों के विषयक परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया। फार्मासिस्ट अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में विशेष रूप से अंकित किया गया है कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसे निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
			किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है" उपरोक्त विशेष प्रावधान के बावजूद भी आप द्वारा ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनकी पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद भी चयनकर्ता द्वारा कई ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है।फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के		

			रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान किया गया है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय/संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि किसी भी फार्मासिस्ट द्वारा एक फार्मेसी में कार्य करते हुए अन्यत्र कार्य करता पाया जाता है कि अवाचार की श्रेणी में माना जाता है, इस प्रकार अवाचार द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव वैद्य अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिय जा सकते है। अतः अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर अभ्यर्थी का चयन करें।		
43	RAGHVENDRA SINGH	PH169894	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है शीर्षक से प्रकाशित खबर की कटिंग संलग्न की है एवं 32 अभ्यर्थियों की एक सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नही की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

				उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	
44	MANOJ SHARMA	PH171753	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती में शामिल किये गये दोहरा लाभ लेने वालो को बाहर करने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में कुल 38 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 हेतु आवेदनकर्ताओं ने संविदा/निविदा पर फार्मासिस्ट पद पर कार्य करने के साथ–साथ मेडीकल स्टोर तथा निजी संस्थान पर पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा ड्रग लाइसेन्स लगाकर दोहरा लाभ लिया है अथवा दोहरा लाभ लेने के बावजूद भी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर प्रोविजनल चयन सूची में स्थान प्राप्त किया है जिससे सही योग्यता धारक अभ्यर्थियों को चयन होने से वंचित रहना पडा है। अतः अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों के जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की अवधि का मिलान फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोलर कमिश्नर जयपुर द्वारा दी गई जांच की रिपोर्ट से मिलान करके ओवरलेप दिनो को कम करके अभ्यर्थी को अनुभव दिया जाने तथा आरपीसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर सील, साईन व दिनांक का मिलान कर अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों से मिलान कर, दोहरा लाभ अवधि को अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों से हटाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

45	AMIT KUMAR	PH141537	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती में अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में 32 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया। फार्मासिस्ट अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में विशेष रूप से अंकित किया गया है कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसे निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है" उपरोक्त विशेष प्रावधान के बावजूद भी आप द्वारा ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनकी पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद भी चयनकर्ता द्वारा कई ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			हो सका है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान किया गया है कि " यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी / भेषजी महाविद्यालय / संस्था / उद्योग / किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि किसी भी फार्मासिस्ट द्वारा एक फार्मेसी में कार्य करते हुए अन्यत्र कार्य करता पाया जाता है कि अवाचार की श्रेणी में माना जाता है, इस प्रकार अवाचार द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव वैद्य अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिय जा सकते है। अतः अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची		
			में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर अभ्यर्थी का चयन करें। साथ ही निवेदन किया है कि पूर्व में इस भर्ती में 2506 सीटे थी, 260 टीएसपी में थी, 93 बैकलॉग की सीटे थी, फिर राज्य सरकार द्वारा 208 पदों की ओर स्वीकृति दी गई। इस प्रकार कुल 2714 सीटे हुई। ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण है। पुरूष महिला आरक्षण के आधार पर ओबीसी की 399 सीटे होती है। परन्तु सीफू द्वारा ओबीसी की 320 तथा 18 ओबीसी होल्ड कुल 338 सीटे ही भरी गई है। अभी भी 61 ओबीसी पुरूष की सीट खाली है।		

			अतः जब भी फार्मासिस्ट की अंतिम सूची तैयार की जावे तो ओबीसी पुरूष की 399 सीटे भरी जावें। फार्मासिस्ट भर्ती में 93 बैकलॉग सीटे है। टीएसपी में 260 सीट है। कुल टीएसपी में 353 सीट है। अतः टीएसपी क्षेत्र से खाली रही सीटो को एनटीएसपी में सम्मिलित किया जावें तथा अनारक्षित सीटो से भर दिया जावें।		
46	SURENDER KUMAR DAGLA	PH193566	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती में अंतरिम वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जारी अंतरिम वरियता सूची के क्रम संख्या 315 पर इमरान खान पुत्र अफलातून खान, ओबीसी, आवेदन क्रमांक 148032 का चयन हुआ है जो कि फार्मासिस्ट सहायक (डीडीसी हैल्पर) के पद पर कार्यरत रहा है, जिसे सहायक फार्मासिस्ट के कार्य अनुभव के 30 अंकों का बोनस प्रदान किया गया है, जिसे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कुचामन सिटी, नागौर द्वारा क्रमांक 2023/1495 दिनांक 23.05.2023 को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो कि फार्मासिस्ट पद हेतु दिया गया है।अभ्यर्थी ने उक्त अनुभव प्रमाण पत्र एवं इस तरह के अन्य प्रमाण पत्रों की जांच किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
47	ANOOP SHARMA	PH157825	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रामण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है	आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	

			तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। ऐसे 208 अभ्यर्थियो की सूची संलग्न की है।		
48	SHISH PAL	PH187713	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है प्रोविजनल चयन सूची में 273 अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है। इन 273 होल्ड अभ्यर्थियों में से फर्जी अभ्यर्थियों को फाइनल सूची जारी करने से पूर्व बाहर किया जाये जिन्होनें जाली तरीके से कूटरचित तरीके से फार्मेसी की अंकतालिकाए तैयार करके आवेदन किया है। जिन फर्जी यूनिवर्सिटी ने सीफू को रिपोर्ट नहीं भेजी है, रिकार्ड गायब होने का, रिकार्ड जल जाने का हवाला दिया है ये सब यूनिवर्सिटी फर्जी है। तथा फर्जी जाली अंकतालिकाऐ देने का कार्य करती है। वो वाकई सही नहीं है। इस सूची में 24 अभ्यर्थी तो ऐसे है जिनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू की अंकतालिकाऐ है ये यूनिवर्सिटी तो महाफर्जी होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने 32 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर इन्हे फर्जी होने से अवगत कराया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर समस्त फर्जी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को फाइनल सूची जारी करने से पूर्व बाहर करने बाबत् निवेदन किया है। प्रार्थी ने दिनांक 30.11.2022 की दैनिक भास्कर समाचर पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें फार्मासिस्ट भर्ती में जिस अवधि तक लाइसेंस किराए पर देकर काम किया, उसके नहीं मिलेगे बोनस अंक एवं 01 अन्य प्रति भी संलग्न की है जिसमें 15 यूनिवर्सिटीज की 112 चयनितों की डिग्रीयां फर्जी निकली खबर अंकित की है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही की जाकर अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी। अभ्यर्थियों की व्यावसायिक योग्यता की जांच औषधि नियंत्रक के माध्यम से करवाई गई है। जिसमें प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। अन्तरिम चयन सूची राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर की पूर्ण पालना करते हुए जारी की गई है। प्रकरण में पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			प्रार्थी ने एक अन्य प्रति संलग्न कर अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना चाही है। प्रार्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती–2023 में अन्य पिछड़ा वर्ग मेल (पुरूष) कुल कितने चयनित हुए, ओबीसी (पुरूष) खेल कोटे में कितने सीटे, ओबीसी (पुरूष) की खेल कोटे में सीटों से ज्यादा मेल (पुरूष) अभ्यर्थी चयनित किये गये से संबंधित सूचना चाही है।		
49	NAND KISHOR SETHI	PH139134	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।एक अन्य दस्तावेज में प्रार्थी ने विशेष अनुरोध/निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में टीएसपी क्षेत्र की 260 सीट है एवं 93		
			सीट बैकलॉग मिलाकर विज्ञप्ति जारी की गयी है। प्रोविजनल चयन सूची में टीएसपी की 260 सीटो में से 197 अभ्यर्थी ही योग्य पाये गये है अर्थात 63 फिर से बैकलॉग रह गये है। अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि जब वर्तमान पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे है तो विगत भर्ती के 93 बैकलॉग पदों को सामान्य श्रेणी से भरकर उक्त प्रस्ताव विभाग के समक्ष रखकर एनटीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों से भरवाने का श्रम करावें। एक अन्य परिवेदना पत्र संलग्न कर निवेदन किया है		

			कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इनका मिलान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग की रिपोर्ट से मिलान किया जाए, जिससे दोहरा लाभ लेने वालों को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी करने का श्रम करे।		
50	LALIT KUMAR MISHRA	PH146840	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05. 2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
			लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को	जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	

			अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया हैं। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।		
51	Pradeep kumar kumawat	PH100054	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही	अभ्यर्थी द्वारा स्वय के संबध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नही की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के	अभ्यर्थी द्वारा स्वय के संबध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस	किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	
			प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो		

			सके।		
52	RAM RATAN LAMROR	PH144202	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
			है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में		

			प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय/संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।		
53	JAVED HUSSAIN	PH132171	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट	सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	
			प्रमाण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।		
54	BHUVANESH KUMAR	PH140434	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साईन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर

	SHARMA		प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया के संबंध परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान फूड सेफटी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग से सत्यापन करने के लिये निवेदन किया है जिससे दोहरा लाभ लेने वालो को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी कर सकें।	अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
55	KAPIL JAIN	PH157066	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साईन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया के संबंध परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान फूड सेफटी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग से सत्यापन करने के लिये निवेदन किया है जिससे दोहरा लाभ लेने वालो को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी कर सकें।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

56	SAYYED MAHIR ALI	PH146763	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साईन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया के संबंध परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान फूड सेफटी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग से सत्यापन करने के लिये निवेदन किया है जिससे दोहरा लाभ लेने वालो को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी कर सकें।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
57	NARENDRA KUMAR BANSAL	PH138970	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साईन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया के संबंध परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान फूड सेफटी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग से सत्यापन करने के लिये निवेदन किया है जिससे दोहरा लाभ लेने वालो को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी कर सकें।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

58	PAWAN KUMAR SHARMA	PH134760	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
			बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिविदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस		

			प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रामण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।ऐसे 208 अभ्यर्थियो की सूची संलग्न की है। एक अन्य दस्तावेज में प्रार्थी ने विशेष अनुरोध/निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में टीएसपी क्षेत्र की 260 सीट हैं एवं 93 सीट बैकलॉग मिलाकर विज्ञप्ति जारी की गयी है। प्रोविजनल चयन सूची में टीएसपी की 260 सीटो में से 197 अभ्यर्थी ही योग्य पाये गये है अर्थात 63 फिर से बैकलॉग रह गये है। अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि जब वर्तमान पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे है तो विगत भर्ती		
			के 93 बैकलॉग पदों को सामान्य श्रेणी से भरकर उक्त प्रस्ताव विभाग के समक्ष रखकर एनटीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों से भरवाने का श्रम करावें। एक अन्य परिवेदना पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इनका मिलान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग की रिपोर्ट से मिलान किया जाए, जिससे दोहरा लाभ लेने वालों को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी करने का श्रम करे।अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत स्वयं की		

			जाति वर्ग की कटऑफ प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे है।		
59	VISHNU SAINI	PH137223	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रामण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।ऐसे 208 अभ्यर्थियो की सूची संलग्न की है। एक अन्य दस्तावेज में प्रार्थी ने विशेष अनुरोध/निवेदन किया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में टीएसपी क्षेत्र की 260 सीट है एवं 93 सीट बैकलॉग मिलाकर विज्ञप्ति जारी की गयी है। प्रोविजनल चयन सूची में टीएसपी की 260 सीटो में से 197 अभ्यर्थी ही योग्य पाये गये है अर्थात 63 फिर से बैकलॉग रह गये है। अभ्यर्थी		
			ने निवेदन किया है कि जब वर्तमान पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे है तो विगत भर्ती के 93 बैकलॉग पदों को सामान्य श्रेणी से भरकर उक्त प्रस्ताव विभाग के समक्ष रखकर एनटीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों से भरवाने का श्रम करावें। एक अन्य परिवेदना पत्र संलग्न कर निवेदन किया है कि जब भी फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन चलाया जाए तब इन फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अंतिम सूची में चयन हो सके।		

60	ARUN KUMAR KUMAWAT	PH132944	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि के दौरान राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग किसी मेडिकल स्टोर अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भी किया गया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। अन्तिम चयन सूची जारी करते समय इस संबंध में सक्षम स्तर से दिए जाने वाले निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
61	GURVINDER SINGH	PH119647	प्रार्थी द्वारा प्रोविजनल सूची में चयनित बहुत से फार्मासिस्ट जिन्होने एक ही समय में दो जगह काम करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में जांच कर प्रोविजनल सूची से बाहर करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में बहुत से फार्मासिस्ट जिन्होने एक ही समय में दो जगह काम करने वाले चयनित अभ्यर्थियों का जॉच कर अंतरिम वरीयता सूची से बाहर किये जाने बाबत् शिकायत प्रस्तुत की है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

62	SURENDRA BASWANA	PH134706	प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें ''जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक'' के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30. 11.2022 को प्रकाशित खबर जिसमें ''जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक'' के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि ''वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है''। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
63	KAPIL SINGH CHAUHAN	PH152358	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साईन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया के संबंध परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग से सत्यापन करने के लिये निवेदन किया है जिससे दोहरा लाभ लेने वालो को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी कर सकें।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई हैं जिन्होने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन भर्ती में लगाये है, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साइन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजि0 सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया है। अतः दोहरा लाभ के तथ्य छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। जिनका मिलान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा कराये जाने बाबत् निवेदन किया है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि ''वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसे भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है''। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

				प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	
64	KRISHNA KANHAIYA JANGID	PH184028	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र सीान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी भी रूप में अनुभव का लाभ प्राप्त है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

65	RAM KUNWAR	PH172494	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
66	MADAN LAL GENAN	PH134421	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देते हुये प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

67	DARA SINGH	PH154280	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
68	KIRTI SINGH	PH201629	अभ्यर्थियां द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में संलग्न सूचीनुसार अभ्यर्थियों ने संविदा/निविदा पर फार्मासिस्ट पद पर कार्य करने के साथ–साथ मेडिकल स्टोर तथा निजी संस्थान पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अथवा ड्रग लाईसेंस लगाकर दोहरा लाभ लेने अथवा दोहरा लाभ लेने के बावजूद भी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर प्रोविजनल चयन सूची में स्थान प्राप्त करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे दोहरा लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की अवधि से मिलान कर उस अवधि को अनुभव प्रमाण पत्रों की अवधि में से हटाकर अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि को शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

69	SHANTI LAL KUMAWAT	PH162662	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
70	SURESH KUMAR KUMAWAT	PH164159	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होंने अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थी का चयन करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

71	SANDEEP KUMAR	PH187233	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर फार्मासिस्ट भर्ती में शामिल किए गए दोहरा लाभ लेने वालों को बाहर करने के विषय में निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने आवेदनकर्ताओ के संविदा/निविदा पर फार्मासिस्ट पद पर कार्य करने के साथ-साथ मेडिकल स्टोर तथा निजी संस्थान पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अथवा ड्रग लाइसेंस लगाकर दोहरा लाभ लिया अथवा दोहरा लाभ लेने के बावजूद भी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर प्रोविजनल चयन सूची मे स्थान प्राप्त किया है जिससे सही योग्यता धारक अभ्यर्थियों को चयन होने से वंचित रहना पड़ा है। रजिस्ट्रेशन प्रामण पत्रों की जांच ड्रग कंट्रोलर, जयपुर द्वारा की गयी थी जिसकी जांच रिपोर्ट सीफू में जमा करवा दी गई है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त जांच रिपोर्ट एवं राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियो की ओवरलेप पीरियड की अवधि को कम करके अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंक प्रदान किये जाये। उक्त के संबंध में अभ्यर्थी ने एक सूची	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
			आईडीवाईज संलग्न की है जिनकी जांच हेतु निवेदन किया है। एक अन्य परिवेदना पत्र प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य		

			है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य		
			भेषजी / भेषजी महाविद्यालय / संस्था / उद्योग / किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रामण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण		

			पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।		
72	ANITA KUMARI	PH131088	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय/संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।ऐसे 30 अभ्यर्थियो की सूची संलग्न की है।		
73	KAMLESH KUMAR SAINI	PH142412	प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने		
			अपने फार्मासिस्ट प्रामण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। ऐसे 31 अभ्यर्थियो की सूची संलग्न की है।		
74	BHOOPEN	PH166369	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में डुप्लीकेट	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई

	DRA SINGH		रजिस्ट्रेशन के संबंध में विषयक प्रस्तुत किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन भर्ती में लगाये है, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साइन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजि0 सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया है। अतः दोहरा लाभ के तथ्य छुपाने के लिए ऐसा किया गया है । ऐसे अभ्यर्थी जिनके डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इनका मिलान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग की रिपोर्ट से मिलान किया जाए, जिससे दोहरा लाभ लेने वालों को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी करने का श्रम करे। ऐसे 102 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न की है।	गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
75	JITENDRA KUMAR KUMAWAT	PH211393	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निम्नलिखित एप्लीकेशन आईडी के अनुभव अवधि के दौरान उनके रजिस्ट्रेशन की अन्यत्र दवा दुकान/भेषजी महाविद्यालय में लाभ के किसी अन्य पद का उपभोग की जांच उपरान्त अंतिम सूची जारी करने की कृपा करे। आईडी निम्न प्रकार है पीएच202172, 143303, 155894, 155143, 173901, 137012, 138914, 145519, 134090, 134151, 183174, 100112, 143266, 182109, 153452, 170714, 188945, 140079, 140777, 161594, 154018, 143475, 181596, 136430, 117164, 138622, 154825, एक अन्य आईडी पीच189716 को विशेष अंकित किया है कि उनके द्वारा स्वयं का मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है जिसका पता कुमावत	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			तहसील– नवलगढ़, जिला– झुन्झुनूं जो एमएनडीवाई योजना सैटेलाईट हॉस्पीटल नवलगढ़ में अनुभव के समय कार्यरत है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये हैं।		
76	MANISH KUMAR KANSAL	PH169452	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है शीर्षक से प्रकाशित खबर की कटिंग संलग्न की है एवं 32 अभ्यर्थियों की एक सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

77	ANIL KUMAR SHARMA	PH144690	परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन भर्ती में लगाये है, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के पीछे सील, साइन और दिनांक छुपाने के लिए (जिससे अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का मिलान रजि0 सर्टिफिकेट से नहीं हो पाए) और तथ्य छुपाने के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करवाया गया है। अतः दोहरा लाभ के तथ्य छुपाने के लिए ऐसा किया गया है । ऐसे अभ्यर्थी जिनके डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इनका मिलान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग की रिपोर्ट से मिलान किया जाए, जिससे दोहरा लाभ लेने वालों को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से अनुभव की गणना दिवस कम करके फाईनल सूची जारी करने का श्रम करे.ऐसे 32 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
78	DHARMVIR KRISHNIA	PH183851	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर फार्मासिस्ट भर्ती में शामिल किए गए दोहरा लाभ लेने वालों को बाहर करने के विषय में निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने आवेदनकर्ताओ के संविदा/निविदा पर फार्मासिस्ट पद पर कार्य करने के साथ–साथ मेडिकल स्टोर तथा निजी संस्थान पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अथवा ड्रग लाइसेंस लगाकर दोहरा लाभ लिया अथवा दोहरा लाभ लेने के बावजूद भी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर प्रोविजनल चयन सच्ची मे स्थान प्राप्त किया है जिससे सही योग्यता धारक अभ्यर्थियों को चयन होने से वंचित रहना पड़ा है। रजिस्ट्रेशन प्रामण पत्रों की जांच ड्रग कंट्रोलर, जयपुर द्वारा की गयी थी जिसकी जांच रिपोर्ट सीफू में जमा करवा दी गई है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त जांच रिपोर्ट एवं	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में शिकायत प्रस्तुत की गई है जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वंय किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होते हुए अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, का चयन कर लिया गया है, जो अवैध है, जिसकी वजह से प्रार्थी का चयन नहीं हो सका है। पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 में यह निर्णय लिया गया था कि "वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संबंधित संस्थान पर ही कार्यरत रहे है और इस अवधि में उन्होंने किसी निजी संस्थान/दुकान पर कार्य अथवा लाभ के किसी अन्य पद का उपयोग नहीं किया है"। यदि उपरोक्त निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र की जॉच के उपरान्त अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है इन पर कार्यवाही की जाकर तदनुसार अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियो की ओवरलेप पीरियड की अवधि को कम करके अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंक प्रदान किये जाये। उक्त के संबंध में अभ्यर्थी ने एक सूची आईडीवाईज संलग्न की है जिनकी जांच हेतु निवेदन किया है। एक अन्य परिवेदना पत्र प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में अवगत कराया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अपने फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र को किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं उन्होनें अपने कार्य के आधार पर कार्यरत संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया है जो विधिनुसार अमान्य है। उक्त अभ्यर्थियों के बारे में प्रार्थीगण ने चयनकर्ताओं को प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पूर्व भी अवगत कराया गया था जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अभ्यर्थियों को चयन प्रोविजनल चयन सूची में कर लिया गया है। प्रार्थी ने अंतरिम वरियता सूची के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 का हवाला देकर ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 30.11.2022 को खबर प्रकाशित हुई जिसमें "जिस अवधि का लाइसेंस किराये पर काम किया है, उसके नहीं मिलेंगे बोनस अंक" के बावजूद भी चयनकर्ताओं ने ऐसे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये है। उक्त खबर की प्रति श्रीमान		

			सुधाशु पंत, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को अभ्यावेदन मय अखबार कटिंग प्रस्तुत की जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने परिवदेना के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन 2015 के रेग्यूलेशन 13यू में प्रावधान है कि "यदि भेषजी में कार्यरत पंजीकृत भेषजी किसी अन्य भेषजी/भेषजी महाविद्यालय /संस्था/उद्योग/किसी अन्य संगठन में शिक्षक के रूप में या अन्यथा काम करते पाया जायेगा तो इसे अवाचार माना जायेगा" के तहत इस प्रकार प्राप्त अनुभव को वैध अनुभव नहीं माना जा सकता एवं उसके अधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिये जा सकते है। अतः श्रीमान्से निवेदन है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपने फार्मासिस्ट प्रामण पत्र किराये पर दिया हुआ है तथा स्वयं किसी अन्यत्र स्थान पर कार्यरत है एवं अन्यत्र स्थान का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उपरोक्त भर्ती में आवेदन किया है तथा जिनका अंतरिम चयन सूची में नाम है, का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर प्रार्थीगण का चयन कर अनुग्रहीत करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। ऐसे 57 अभ्यर्थियो की सूची संलग्न की है। परिवेदना के साथ विभिन्न समाचार पत्रों मे प्रकाशित 07 खबरों की प्रति भी संलग्न की है।		
79	KAVITA CHOUHAN	PH159609	अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि फॉर्म भरते समय टाइपिंग मिस्टेक से राजस्थान फार्मेसी कौंसिल की रजिस्ट्रेशन की दिनांक गलत (दिनांक 31.12.2021 से दिनांक 31.12.2031) अंकित हो गई। अभ्यार्थिया ने सूचना दस्तावेज सत्यापन (दिनांक 25.08.2023) के समय पर दी गई थी और साथ ही अभ्यार्थिया ने आरपीसी की रसीद संलग्न कर रजिस्ट्रेशन	अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों के सुधार हेतु निवेदन किया है। चयन की स्थिति में उपरोक्त सुधार किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपूक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			दिनांक और वैधता की दिनांक सही (दिनांक 16.07.2021 से दिनांक 31.12.2027) करने का निवेदन किया है। साथ ही आवेदन के समय अविवाहित किया जो अभी विवाहित हैं। संलग्न–आरपीसी पंजीयन एवं विवाह प्रमाण पत्र		
80	HARSAHAI VERMA	PH149974	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में स्वयं की जन्म तिथि 30.09.1981 के स्थान 30.06.1981 की त्रुटी संशोधन के संबंध में शपथ पत्र की प्रतिलिपि, सैकेण्डरी अंकतालिकाएं संलग्न की है।	अभ्यर्थिया ने अपनी जन्म दिनांक 30.09.1981 से 30.06.1981 संशोधित कराने बाबत् निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
81	VIKRAM PRATAP SINGH RATHORE	PH147327	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के नाम में संशोधन करने हेत निवेदन किया है। दिनांक 05.07.2024 को जारी प्रोविजनल चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम क्रम संख्या 399 पर विक्रम प्रताप सिंह अंकित है जबकि प्रार्थी का पूरा नाम विक्रम प्रताप सिंह राठौड़ है। प्रार्थी ने नाम शुद्धि करने की परिवेदना प्रस्तुत की है। इसके संबंध में अपनी 10वीं की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के नाम में संशोधन बाबत् निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
82	ANAMIKA SINGHAL	PH149668	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सैकण्डरी की अंकतालिका एवं जन्मतिथि त्रुटी 11.12.2002 से 19.11.2002 संशोधित किये जाने बाबत् शपथ पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जन्मतिथि 11.12.2002 के स्थान पर 19.11.2002 संशोधित किये जाने का निवेदन किया है जिसें अंतिम चयन होने पर संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
83	KIRAN	PH136258	अभ्यर्थी द्वारा जन्म तिथि सही दर्ज करवाने बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की गई है। गलत जन्म तिथि–02.01.1993, सही जन्म तिथि–01.02.1993 संलग्न–10वीं अंकतालिका व शपथ पत्र	अभ्यर्थिया ने अपनी जन्म दिनांक 02.01.1993 से 01.02.1993 संशोधित कराने बाबत् निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

84	AMIT MURADIA	PH102072	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में सीनियर सैकेण्डरी अंकतालिका, बी–फॉर्मा अंकतालिकाएं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के बी–फॉर्मा प्रथम वर्ष 897 के स्थान पर 871 अंकित हो गये थे जिस अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में दुरूस्त करवाया गया था। इस कारण अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 45.196 के स्थान पर 45.539 प्रतिशत हो गये है। अभ्यर्थी को संशोधित किये गये अंको का नया एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिसे उपलब्ध करवाने हेतु लिखा है।	दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अंकतालिकाओं ... करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.540 प्रतिशत बनते हैं जिसका संशोधित आवेदन पत्र चाहा गया है जो कि केवल अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा त्रृटि संशोधन करने पर तत्समय प्राप्त हो सकता था। जिसका अवसर भी प्रदान किया गया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
85	AIDAN RAM	PH141740	अभ्यर्थी ने पिता के नाम में शुद्धिकरण बाबत परिवेदना के संलग्नक में सैकेण्डरी अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत कर पिता के नाम में शुद्धिकरण किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलती से पिता का नाम SHRI GIRDHARI RAM की जगह SHRI GIRDHARI RAAM दर्ज हो गया है। इस बाबत अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र दिया जाकर सही करवाया गया था परन्तु अंतरिम चयन सूची में RAAM आया है। अतः अभ्यर्थी ने पिता का नाम सही SHRI GIRDHARI RAM शुद्धि किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी ने स्वयं के पिता का नाम Girdhari Raam के स्थान पर Girdhari Ram संशोधित कराने बाबत् निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

86	MANJU DEVI YADAV	PH179274	अभ्यर्थी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी–फॉर्मा अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में ऑनलाईन आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी को बी–फॉर्मा सीजीपीए अंकतालिका जारी की गई है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अंको की गलत गणना करने पर ऑनलाईन आवेदन में कम प्राप्तांक का अंक किया गया है। भर्ती प्रक्रिया अनुसार अंको की गणना करने पर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 50.75 प्रतिशत है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी के क्षेत्र में इन्टरनेट सुविधाओं खराब होने के कारण अभ्यर्थी द्वारा कम्प्युटर टाईपिंग सेन्टर द्वारा फॉर्म भरने हेतु सहायता प्राप्त की गई जिस कारण टाईपिस्ट द्वारा गलत अंक भर दिये गये जिसकी जानकारी संस्था द्वारा कटऑफ मार्क्स जारी होने पर प्राप्त हुई और अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हुआ। अभ्यर्थी ने परिवेदना को स्वीकार कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने स्वयं के द्वारा गलत भरे गये अंको को संशोधित कराने बाबत निवेदन किया है। अभ्यर्थी के पास त्रुटि संशोधन हेतु दो बार अवसर प्राप्त था जिसका लाभ उसके द्वारा नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त त्रुटी सुधार नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः [illegible] की जाकर निस्तारित की जाती है।
87	MUNNI DEVI DUDI	PH187966	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 02.09.2020 की प्रति प्रस्तुत कर दिनांक 14.09.2023 को ऑनलाईन परिवेदना में अपलोड किये गये दस्तावेजों का निस्तारण नहीं किया गया है, का उल्लेख किया है।	अभ्यर्थियाँ ने अविवाहित श्रेणी में आवेदन किया है । अभ्यर्थिया ने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संतान का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। चयन होने की स्थिति में श्रेणी विवाहित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।

88	RANCHHOD RAM	PH213929	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अंतरिम वरियता सूची में विवाह कॉलम में त्रुटि सुधारने बाबत परिवेदना के संलग्नक में विवाह प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के मेरिटल स्टेटस में गलती से अनमैरिड अंकित हो गया है जिसे संशोधित किया जाकर विवाहित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के मेरिटल स्टेटस में अविवाहित से विवाहित संशोधित किये जाने बाबत् निवेदन किया है जिसे अंतिम चयन होने की स्थिति में कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
89	MAHENDRA KUMAR SHARMA	PH139588	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.53 जो की ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 64.976 से अधिक होने के बाद भी अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं होने का उल्लेख कर संशोधित प्रोविजनल लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके स्वयं के द्वारा भरे गयसे डेटा के आधार पर आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ अंकतालिकाएं संलग्न की हैं जिसके अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 64'867 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम चयन सूची में स्थान बनाने में असफल रहा है। अब परिवेदना के साथ कई अन्य अंकतालिकाएं संलग्न की है। जिसके अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 66.533 प्रतिशत हैं। अतः प्रकरण परिवेदना समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।।	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न करने चाहिये थे। विज्ञप्ति में स्पष्ट अंकित था कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान केवल उन्ही दस्तावेजों का मिलान किया जायेगा जिन्हे उसने ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया है। कोई भी नवीन दस्तावेज बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः सही एवं सम्पूर्ण दस्तावजों को संलग्न करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी थी जो नहीं किया जाना उसकी लापरवाही का द्योतक है। फलस्वरूप परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

90	PUKHRAJ	PH155831	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रधानाचार्य व नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा जारी 2065 दिन (5 वर्ष 8 माह) का अनुभव है एवं अभ्यर्थी के अंक 66.33 प्रतिशत होने पर भी एससी श्रेणी में नाम अंकित नहीं है, जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का नाम अंकित है। अभ्यर्थी (ईएन.एनओ. 2014/1103) एसएमएस मेडिकल कॉलेज पीएचटीआई, जयपुर का नियमित छात्र है एव डी फार्मा पार्ट 1 2015 परीक्षा में विषय 4140 (बॉयोकैमिस्टक्री क्लीनिकल पैथोलौजी) में उत्तीर्ण था। तकनीकी त्रुटिवश प्रार्थी परीक्षा के पुनर्मुल्यांकन के परिणाम विषय 4140 अनुत्तीर्ण हो गया। (इस संबंध में प्रति संलग्न है।) अतः इसी क्रम में दिनांक 15.07.2024 को संशोधित परिणाम जारी किया गया । अभ्यर्थी विषय 4140 सहित डी फार्मा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण है। अतः अभ्यर्थी ने प्रोविजनल सूची में नाम अंकित कर अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है। सलग्नः—डी फार्मा अंकतालिकाएँ, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आरपीसी पंजीयन प्रति	अभ्यर्थी का पात्रता आर.यू.एच.एस. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निरस्त की गई है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ आर.यू.एच.एस. के पत्रांक 8701 दिनांक 18.07.2024 की प्रति संलग्न की है जिसमें उल्लेख किया गया है कि Bio Chemistry and Clinical Pathology विषय अभ्यर्थी उत्तीर्ण था किन्तु तकनीकी त्रुटिवश छात्र उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया जबकि नियमानुसार छात्र के किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा पुर्नमुल्यांकन में अनुत्तीर्ण नही हो सकता है एवं अभ्यर्थी फार्मासिस्ट भर्ती 2023 हेतु पात्र है। आर.यू.एच.एस. द्वारा उक्त स्पष्टीकरण जुलाई 2024 में जारी किया गया है जबकि अभ्यर्थी का वर्ष 2017 में राजस्थान फार्मेसी कोन्सिल में पंजीयन है एवं उसके द्वारा एसएमएस चिकित्सालय में लाइफलाईन स्टोर पर किए गए कार्य का तीन वर्ष से अधिक अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण निर्णयार्थ परिवेदना समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी नियमों की जानकारी आर.यू.एच.एस. से प्राप्त की जाकर तदनुसार निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तब तक अभ्यर्थी का परिणाम स्थगित रखा जाये।
91	KAMINI PUROHIT	PH107661	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डी–फॉर्मा अंकतालिका, ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र दिनांक 25.08.2023, आरएमसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में किया गया था किन्तु उसके पास विज्ञप्ति की शर्तानुसार आवदन पत्र भरे जाने की अन्तिम दिनांक तक ईडब्लूएस प्रमाण पत्र उपलब्ध नही था। उसके द्वारा आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम दिनांक पश्चात जारी किए गए ईडब्लूएस प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसके आधार पर नियमानुसार वर्ग संशोधन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही की जानी उचित प्रतीत नहीं होती है। परिवेदना समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

92	RAJESH	PH110438	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट द्वितीय वर्ष के कुल अंको (1100 के स्थान पर 1000) के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में डी–फॉर्मा अंकतालिकाएं प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अनुसूचित जाति वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया गया था जिसमें टाईपिंग की गलती से डी–फॉर्मा के द्वितीय वर्ष के पूर्णाकों में 1000 के स्थान पर 1100 भर दिया गया था, जिस कारण दोनो वर्षो के पूर्णांको का योग 1100, 1100 त्र 2200 हो गया है जबकि दोनो वर्षो के पूर्णाको का योग 2100 है। जिस कारण सूची में प्रतिशत 43.599 के स्थान पर 41.618 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में विभाग को दिनांक 28.08.2023 को ई–मेल द्वारा लिखा गया है। तत्तश्चात प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अभ्यर्थी ने पूर्णांको में आवश्यक संशोधन कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में पूर्णांक एवं प्राप्तांक का अंकन स्वयं के द्वारा किया गया था। अभ्यर्थी के पास आवेदन में अंकित त्रुटि के संशोधन हेतु दो बार अवसर था किन्तु उसके द्वारा तत्समय उक्त संशोधन नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 24.8.23 से 26.8.23 तक दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी इस संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। भर्ती प्रकिया के दौरान त्रुटि संशोधन हेतु प्रावधानों में ई–मेल के माध्यम से कोई परिवेदना आमंत्रित नहीं की गई थी। अतः अब अन्तरिम चयन सूची जारी करने के पश्चात इस प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
93	RAHUL PASOLA	PHT120272	अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में मेरिट के अनुरूप अंक आने पर भी नाम नहीं आने बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी के फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम कटऑफ 41.604 प्रतिशत थी जबकि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 41.894 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने दस्तावेजो की पुनः जांच कर अंतिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई अंकतालिकाओं के आधार पर अंकों की गणना की गई है। जिसके अनुसार उसके अंक 41.009 प्रतिशत बनते है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन परिवेदना में अपने अंकों की गणना सही करने के संबंध में निवेदन किया गया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। प्रकरण परिवेदना निस्तारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

94	Rajshree Dahiya	PH139008	अभ्यर्थी द्वारा डिक्री संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.105 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस विच्छिन्न वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रस्तुत नही की गई जिसके कारण अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 24.02.2024 की जारी डिक्री प्रस्तुत की गई जो आवेदन करने की अंतिम दिनांक के बाद की होने के कारण विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
95	SANTOSH KITAWAT	PH124789	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। केवल ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जो 18.9.2023 का जारी किया हुआ है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है। उसके पास दिनांक 18.9.2023 को जारी किया गया ईडब्लूएस प्रमाण पत्र है जो कि आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम दिनांक के पश्चात होने के कारण आरक्षण का लाभ दिए जाने हेतु मान्य नहीं है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
96	DEEPAK SHARMA	PH157920	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 15948/2023 की प्रति, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 18.09.2023, डी–फार्मा अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने 2012 में आरयूएचएस से डी–फार्मा उत्तीर्ण किया है। अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को देखते हुए बिना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के ही ऑनलाईन आवेदन किया गया था। तदुपरांत अभ्यर्थी को दिनांक 18.09.2023 को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिसे अभ्यर्थी द्वारा अपलोड करने तथा प्रार्थना पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया परन्तु अभ्यर्थी को इस संबंध में कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 25.09.2023 को जारी सूचना अनुसार अभ्यर्थी जिसे दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे, उन्हें पूरे करने और वेरिफिकेशन हेतु बुलाया गया परन्तु अभ्यर्थी के दस्तावेज वेरिफाई नहीं किये	अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है एवं परिवेदना के साथ दिनांक 18.9.2023 को जारी ईडब्लूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि के बाद का होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। दिनांक 23.9.2023 को जारी की गई सूचना ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पेडिंग आवेदनों को स्वीकार करने की कार्यवाही की गई, पूर्व में दस्तावेज सत्यापन में बुलाये जाने के पश्चात भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों तथा ऑनलाईन आवेदन में रह गई त्रुटियों के संशोधन के उद्धेश्य से जारी की गई थी एवं इसका अभिप्राय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम दिनांक पश्चात अर्जित की गई किसी अर्हता/योग्यता आदि से नहीं था। अतः अब श्रेणी परिवर्तन करते हुए दस्तावेज सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय द्वारा डीबी याचिका सोनल त्यागी बनाम सरकार को इसी आधार पर खारिज कर दिया है कि ऐसा किया जाना अन्य अभ्यर्थियों के साथ पक्षपाती होगा। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			गये जिस हेतु अभ्यर्थी द्वारा याचिका संख्या 15948/2023 दायर की गई, जिसके क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन के द्वारा अभ्यर्थी को यदि वरियता सूची में आता है, तो शामिल करने के निर्देश प्रदान किये गये। विभाग द्वारा जारी फार्मासिस्ट की अंतरिम वरियता सूची में ईडब्लयूएस की कटऑफ 64.967 प्रतिशत है जबकि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 68.133 प्रतिशत है जो कि अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।		
97	BANTI KUMAR	PH148072	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर कोविड काल में किये गये कार्य के आधार पर बोनस अंकों लाभ देने हेतु परिवेदना प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 16713/2023 के आदेशों को मानते हुए 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.836 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ एवं ऑनलाईन आवेदन में दिनांक 23.06.2022 से 04.05.2023 तक 316 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि का नहीं होने एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
98	GANESH DIXIT	PH161164	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल बी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र, एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 9116/2023 आदेश की प्रतिलिपि एवं	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.983 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			भुतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।		
99	ANUPAM KUMARI	PH167488	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल के बोनस अंक प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं को दिनांक 24.06.2022 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हन्तरा नदबई भरतपुर में यूटीबी पर कार्यरत होने से अवगत कराया है जिसे स्वयं द्वारा कोविड अवधि माना गया है। अभ्यर्थियां ने उक्त अनुभव अवधि के बोनस अंक हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 16713/2023 दायर की है जिसमें माननीय न्यायालय ने 08.12. 2023 को राजेन्द्र कुमार बेनीवाल निर्णय से कवर्ड कर आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय का हवाला देकर स्वयं को बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.432 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी का अनुभव कोविड अवधि के बाद का एवं एक वर्ष से कम होने के कारण नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
100	DEEPAK KUMAR	PH139434	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर 49.600 प्रतिशत बनते है जो दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ महादेव सिंघी आई हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र संलग्न जो कि निजी क्षेत्र का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
101	MAHI PAL NAIN	PH164817	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की है। संलग्न–खेल प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं अंकतालिकाएं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.367 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन में उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

102	SURENDRA SEERVI	PH137561	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.367 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	
103	DEVENDRA KUMAR	PH152341	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.80 प्रतिशत होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.925 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में इनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
104	SATISH KUMAR JATAV	PH161416	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.667 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
105	CHETNA SHRIMALI	PH136585	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में पति के नाम से जारी ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र (15.09.2023), अनुभव प्रमाण पत्र (फार्मासिस्ट पदनाम, 149 दिवस (06.12.2022 से 04.05.2023)), डी–फार्मा अंकतालिकाएं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी फार्मासिस्ट पद पर गत 01 वर्ष 08 माह से कार्यरत होने के फलस्वरूप 10 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 55.07 प्रतिशत अंतरिम वरियता सूची की कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी का आवेदन के समय अनुभव 05 माह का था जो आज दिनांक तक 01 वर्ष 08 माह का हो चुका है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके द्वारा आवेदित जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि के बाद का 1 वर्ष से कम का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में आवेदन के पश्चात् परिवेदना प्रस्तुत करने की दिनांक तक के अनुभव को सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है जो कि विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

106	ABHINAV AGRAWAL	PH203220	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी द्वारा केवल आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
107	SHYAM LAL GOYAL	PH142206	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी दिनांक 17.07.2022 से वर्तमान दिनांक 20.07.2024 तक यूटीबी में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है और भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है । अभ्यर्थी ने मौका प्रदान करते हुए और अनुभव को सम्मिलित कर (>02 वर्ष) दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि के बाद का एक वर्ष से कम का अनुभव प्रमाणपत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में आवेदन के पश्चात् परिवेदना प्रस्तुत करने की दिनांक तक के अनुभव को सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है जो कि विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार मान्य नहीं है। समान प्रकृति की याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
108	LALIT KISHOR GARG	PH154577	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में फार्मासिस्ट पद का अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 20.07.2022 से 04.05.2023 तक 285 दिवस) प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी दिनांक 20.07.2022 से वर्तमान दिनांक 20.07.2024 तक यूटीबी फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है। अभ्यर्थी को दिनांक 20.07.2024 को 02 वर्ष पूर्ण हो चुके है और भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। चूंकि भर्ती प्रक्रिया में विज्ञप्ति से पहले का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया है जबकि भर्ती प्रक्रिया अभी भी प्रक्रियाधीन है। अतः अभ्यर्थी ने अंतिम मौका प्रदान करते हुए अनुभव को दस्तावेज सत्यापन तक मानते हुये दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि के बाद का एक वर्ष से कम का अनुभव प्रमाणपत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में आवेदन के पश्चात् परिवेदना प्रस्तुत करने की दिनांक तक के अनुभव को सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है जो कि विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार मान्य नहीं है। समान प्रकृति की याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

109	PUNEET JAIN	PH135306	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.867 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
110	RAKESH KUMAR	PH118948	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ई–मित्र रिसिप्ट की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.133 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
111	suresh kumar mahala	PH182362	अभ्यर्थी द्वारा चयन सूची में अनुभव अवधि के दौरान आरबीएसके फार्मासिस्ट तथा संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, राजोता, खेतडी जिला नीम का थाना में नियमित अध्यापक के रूप में कार्य कर नियमित रूप से प्रत्येक माह में संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, राजाते खेतडी से दोहरा वेतन और दौहरा अनुभव प्राप्त करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर ऐसे कार्मिको के संबंध में इनके प्रकरण की जांच करने के संबंध में निवेदन किया है। अध्यापक के रूप में दोहरा कार्य कर दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी की सूची निम्नानुसार है:–श्री मनोहर सैनी खाता संख्या 61292844694, कुलदीप कुमार खाता संख्या 61337402647 एवं अशोक सैनी खाता संख्या 61252812670	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.753 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर पृथक से जांच करवाई जा सकती है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नही कर केवल शिकायत प्रस्तुत की गई है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
112	DIWATE POOJA SHIVAJI	PH116493	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बी–फार्मा के अंकों को प्राथमिकता देने बाबत् निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना में बी फार्मा एवं डी फार्मा के कुल अंकों का वर्णन किया है जिसमें बी फार्मा में कुल अंक 2400 में से एवं डी फार्मा में 1200 में से होने से अवगत कराया है। परिवेदना के	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.878 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया के प्राप्तांकों की नियमानुसार गणना की गई है।कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			साथ स्वयं की बी फार्मा की अंकतालिका संलग्न की है।		
113	ARIF	PH196598	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल राज्य स्तरीय खेल कूद प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें 04 वर्ष 09 माह 07 दिवस का सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो अन्य पद का है एवं सक्षम स्तर से जारी नहीं है। अभ्यर्थी को डीवी में आमंत्रित नहीं किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.200 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से नहीं किया गया। परिवेदना के साथ 49 वी राज्य स्तरीय मा./उ.मा. क्रिकेट प्रतियोगिता का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
114	Tabassum Bano	PH137815	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के औसत प्रतिशत अंक 66.65 है फिर भी उनका नाम डीवी लिस्ट एवं प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया ने आरपीसी रिन्यूअल, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम डीवी एवं प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर 46.636 प्रतिशत बनते है जो दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में स्वयं के द्वारा गणना कर 66.65 प्रतिशत अंकों का उल्लेख किया गया है जो सही नहीं है। अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन में अनुभव सम्बन्धी कोई प्रविष्टि नहीं की है। अतः बोनस शून्य है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
115	SUNIL KUMAR	PH113082	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी ने चैरिटेबल संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं को बोनस अंक देते हुए प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.967 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

116	DEEPAK	PH153591	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल के बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी ने स्वयं की ज्वाईनिंग 24.06.2022 बताते हुए उस दिन अपने काउंटर से दवा वितरण करने से अवगत कराते हुए दो व्यक्तियों के नाम, मोबाईल नंबर परिवेदना में दर्ज करते हुए कहा है कि उस वक्त कोविड गाईडलाईन जारी थी जिसके तहत उसे कोविड अवधि के 15 बोनस अंक देकर डीवी एवं प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करे। अपनी परिवेदना में रिट संख्या 16713/2023 का अंकन कर बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। दस्तावेजों के साथ कोविड से संबंधित जारी किये गये राज्य सरकार व सीएमएचओं के कुछ आदेशों की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 38.700 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी का अनुभव कोविड अवधि के बाद का एवं एक वर्ष से कम होने के कारण नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	की जाकर निस्तारित की जाती है।
117	Bhagat Singh	PH105870	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने संबंधी कारण जानना चाहा है। अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल पुरूष वर्ग में आवेदन किया है जिसमें स्वयं के औसत प्राप्तांक 65.70 प्रतिशत बताये है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन में अनुभव सम्बन्धी कोई प्रविष्टि नहीं की है। अतः बोनस शून्य है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
118	SUBHASH CHAND PINGOLIA	PH106006	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्राईवेट संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.625 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ निजी क्षेत्र का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

119	ANUPAM VERMA	PH118302	अभ्यर्थियां द्वारा ओबीसी महिला वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.762 होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची में चयनित फर्जी महिला अभ्यर्थी को बाहर कर प्रार्थी जेसे योग्य अभ्यर्थियां का चयन करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन [illegible] द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 18.9.2023 को जारी अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम दिनांक के बाद का होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.763 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन में अनुभव सम्बन्धी कोई प्रविष्टि नहीं की है। अतः बोनस शून्य है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
120	BHAVANI Shankar kumawat y	PH117029	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न की है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उसके स्वयं के द्वारा आवेदन में भरे गये डेटा के अनुसार इनकी श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया कया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
121	ROOP NARAYAN JATOLIA	PH160719	अभ्यर्थी ने आवेदन फ़ॉर्म में जोडे गये मार्क्स के संशोधन बाबत परिवेदना के संलग्नक में आरयूएचएस द्वारा जारी डी–फॉर्मा अंकतालिका तथा अंको की स्वंय लिखित गणना की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी के आवेदन फॉर्म में फार्मेसी के अंको का टोटल गलत जुड गया है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जारी अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 45.592 प्रतिशत प्रदर्शित है जबकि अभ्यर्थी के टोटल मार्क्स 48.238 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने अंकतालिकाओं के अंको के आधार पर सही गणना कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 33.800 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में इनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। विभाग द्वारा पूर्व में त्रुटि सुधार हेतु दो बार अवसर प्रदान किया जा चुका है जिनका लाभ अभ्यर्थी द्वारा नही उठाया गया है। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

122	PRAKASH SHRIMALI	PH191097	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती में स्पोर्टस कोटे का लाभ एवं कोविड काल में सेवा देने के अंक जोडने हेतु परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र एवं राज्य स्तरीय मा./उ.मा.वि. छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता 2004 प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र को मान्य करते हुए कोविड काल में फार्मासिस्ट पद पर की गई सेवा के अंक जोडने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में आवेदन ही नहीं किया है। इस द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.467 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	
123	JAVED KHAN	PH212218	अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। संलग्न–बीफार्मा की अंकतालिका	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.630 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन में उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में 1 अनुभव प्रमाणपत्र का विवरण भरा है जिसकी कुल अनुभव अवधि 62 दिवस अर्थात एक वर्ष से कम है तथा कोविड अवधि में कार्य सम्पादन हेतु 'नहीं' अंकित किया है जिस कारण अभ्यर्थी को एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण बोनस का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त एवं दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होने के उपरान्त दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
124	dhairya jain	PHT113514	अभ्यर्थी ने टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी जनरल पुरूष वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के औसत प्रतिशत अंक 51.240 है जबकि टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी जनरल पुरूष वर्ग की कटऑफ 51.100 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थी को नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि दिनांक 15.05.2023 को ई–मित्र द्वारा फार्म भरवाया था जिसमें ई–मित्र द्वारा गलत अंक भर दिये गये थे जिसे मैने दिनांक 18.09.2023 को ऑनलाईन	अभ्यर्थी ने टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी जनरल पुरूष वर्ग में आवेदन किया है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि दिनांक 15.05.2023 को ई–मित्र द्वारा फार्म भरवाया था जिसमें ई–मित्र द्वारा गलत अंक भर दिये गये थे जिसे मैने दिनांक 18.09.2023 को ऑनलाईन ग्रिवांस पोर्टल पर सही अंक भर कर सही कर दिया गया था। जबकि 13.09.2023 से 19.09.2023 के दौरान खोले गये ऑनलाईन पोर्टल पर केवल परिवेदना संलग्न करने की सुविधा थी त्रुटि सुधार शीफू के स्तर पर किया जाना था। तत्समय खोले गये पोर्टल पर प्रार्थी की कोई परिवेदना नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रकार त्रुटि सुधार हेतु 2 बार अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकने में असफल रहा है। अतः अब त्रुटि संशोधन कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			ग्रिवांस पोर्टल पर सही अंक भर कर सही कर दिया गया था। अतः परिवेदना संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है। एक अन्य परिवेदना पत्र संलग्न कर स्वयं का जाति वर्ग टीएसपी जनरल से टीएसपी ईडब्ल्यूएस कर चयन सूची में नाम जोड़ने से अवगत कराया है। स्वयं के बी0फार्मा उत्तीण कॉलेज का सर्टिफिकेट संलग्न किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	जाति वर्ग टीएसपी ईडब्ल्यूएस नियमानुसार समान्य श्रेणी में ही सम्मिलत होता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
125	PRAVEEN KUMAR	PH100150	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किये जाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में अन्य राज्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र (इण्डियन फार्माकोपिया कमीशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यायण भारत सरकार गाजियाबाद यू.पी.) एवं सरदार पटेल मेडीकल कॉलेज में आयोजित कॉन्फ्रेन्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रशासनिक अधिकारी, इण्डियन फार्माकोपिया कमीशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार गाजियाबाद यू.पी. एवं सरदार पटेल मेडीकल कॉलेज में आयोजित कॉन्फ्रेन्स का प्रमाण पत्र /अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

126	SIKANDAR MANSURI	PH193407	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि विगत सात वर्षों (2017 से 2023) सीएचसी, भवानीमंडी, जिला झालावाड़ में संविदा फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है। अभ्यर्थी ने बताया है कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी राजस्थान फार्मेसी काउन्सील का है। अभ्यर्थी ने जून 2017 में रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन तथा चालान की फीस जमा करवा दी किन्तु राजस्थान फार्मेसी काउन्सील द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अतः अभ्यर्थी ने वर्ष 2017 से 2023 तक के अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का निवेदन किया है। संलग्न– आरपीसी रजिस्ट्रेशन वर्ष 2017 का आवेदन फॉर्म, जमा राशि के चालान की रसीद एवं एमपी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ द्वारा दिनांक 01.02.2017 से 04.05.2023 तक कुल 2284 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण दिनांक 26.08.2022 अंकित होने के कारण अभ्यर्थी को पंजीकरण से पूर्व के बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
127	DEVDATT YADAV	PH145386	अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम जुडवाने बाबत परिवेदना में राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल लीमिटेड जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, पीएफ विवरण, नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में औसत प्राप्तांक 77.3 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 63.888 प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में 618 क्रमांक पर है तथा राजस्थान यूर्निवसिटी की अंकतालिका सत्यापन सूची में क्रमांक 081 है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. यचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

128	DIPESH SINGH SHEKHA WAT	PH207498	अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 64.967 प्रतिशत से अधिक स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.96 होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर डिप्लोमा इन फार्मेसी की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, सेकण्डरी की अंकतालिका, ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि परिवेदना के साथ संलग्न कर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय स्वयं को 30 बोनस प्रदान अंक प्रदान किये है। जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 14.08.2020 का आरपीसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थी को पजीयन से पूर्व के अनुभव का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं होने से इनके बोनस अंक 20 बनते हैं जिसके साथ इनके कुल प्राप्तांक 56.967 प्रतिशत ही हैं जो इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
129	SANJAY DODWAD IA	PH173509	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम नहीं आने के कम में निवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के औसत प्रतिशत अंक 72.33 है जबकि ओबीसी एनसीएल पुरूष वर्ग की कटऑफ 63.888 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थी का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने स्वयं को 1239 दिवस का फार्मासिस्ट पद का सांभर साल्ट लिमिटेड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर 30 बोनस अंक प्रदान कर प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने आवेदन की प्रति, व्यवसायिक अंकतालिकाऐ एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ वरिष्ठ प्रबंधक, सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर लेक, के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र सलग्न किया हैं जो इस विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण के अभाव में दायर डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व नियमों में उल्लेखित कार्यकमों के समान कार्य के अनुभव का बोनस अंकों का लाभ देय है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
130	HEMLATA JAISWAL	PH176251	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के औसत प्रतिशत अंक 51.867 है जबकि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 49.821 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थिया को नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया ने	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ इन फ्रन्ट सर्विसेज, भीलवाड़ा से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.867 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			डीवी लिस्ट, आरपीसी प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, व्यवसायिक अंकतालिकाऐं एवं प्राइवेट संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
131	POOJA SHARMA	PH162495	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जुडवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थियां ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है जिसमें स्वयं के 30 बोनस अंक जोड़कर औसत प्रतिशत प्राप्तांक 74.00 प्रतिशत होने से अवगत कराया है। प्रार्थी ने दिनांक 19.06.2013 से 25.10.2017 तक फार्मासिस्ट पद का सांभर साल्ट लिमिटेड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थियां ने सांभर साल्ट लिमिटेड को पीपीपी मोड आधारित उपक्रम बताकर इसक 30 बोनस अंक देकर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ साल्ट हॉस्पिटल, सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर लेक द्वारा जारी अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
132	SAURABH KUMAR JAIN	PH108275	अभ्यर्थी द्वारा सामान्य वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.563 होने एवं अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य राज्य द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ दिया जाकर चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भारतीय फार्माकोपिया आयोग यू.पी. द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
133	MEGHA MAHESH WARI	PH137357	अभ्यर्थियां द्वारा कोविड अवधि में एनजीओ के माध्यम से कार्य किये जाने एवं कट ऑफ से अधिक प्राप्तांक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सभी आवश्यक दस्तावेज पुनः परिवेदना के साथ संलग्न करते हुये बोनस अंकों का लाभ देते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ एबोड इंडिया लाईफ साईसेंस प्राईवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
134	NITESH KUMAR JAIN	PH140530	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023, अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी के अनारक्षित वर्ग सामान्य की कटऑफ 71.379 है जबकि अभ्यर्थी के 74.90 प्रतिशत अंक है। अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र उदयपुर स्वास्थ्य विभाग सहकारी समिति का है जो की उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार के समान है। संलग्न--प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. की उपविधियां	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अध्यक्ष, उदयपुर स्वास्थ्य विभाग सहकारी समिति लिमि. उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. यचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	KUMAR		... द्वारा वरीयता सूची में चयनित हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। संलग्न–एनएसएस नवजीवन सेवा संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ एनएसएस नवजीवन सेवा संस्थान, जोधपुर से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
136	NARENDRA PAL GAHLOT	PH115694	अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र को सम्मिलित करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने कोविड कार्यकाल में एमएमयू में फार्मासिस्ट पद पर कार्य किया था जिसके अनुभव के आधार पर अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र को सीएमएचओ द्वारा भी सत्यापित किया गया है। अभ्यर्थी ने उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ दिया जाकर 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.750 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग ट्रस्ट के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि निजी क्षेत्र का होने के कारण मान्य नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
137	JYOTI RASGANIYA	PH121904	अभ्यर्थियां द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर कोविड अवधि में कार्य किये जाने पर भी अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने के कारण चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर अनुभव का लाभ देते हुये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा न तो आवेदन के समय कोई अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया गया न ही परिवेदना के साथ संलग्न किया है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सका। अभ्यर्थिया के पास यदि अनुभव प्रमाण पत्र था तो उसे आवेदन के समय अथवा त्रुटि सुधार के अवसर दिये जाने के समय प्रस्तुत कर देना चाहिये था। अब परिवेदना में पत्र के माध्यम से अनुभव का लाभ देने की मांग की है जो स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

	RANAWAT		... 62.167 प्रतिशत होने पर भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 62.167 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम कटऑफ 45.592 प्रतिशत है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अभ्यर्थी ने परिवेदना के संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
139	KRISHNA SATOKIYA	PH157783	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, बी–फार्मेसी की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिनांक 01.10.2020 से 04.05.2023 तक 773 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन में राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में प्रस्तुत पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार प्रथम पंजीयन दिनांक 09.09.2022 है। अतः अभ्यर्थी का अनुभव पंजीयन दिनांक से पूर्व होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ नही दिया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
140	AMAR CHAND NAYAK	PH207533	अभ्यर्थी ने डी–फॉर्मा की प्रथम वर्ष की अंकतालिका को शामिल करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी डी–फॉर्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट की प्रथम वर्ष की अटेम्प्ट प्रथम एवं द्वितीय की अंकतालिका अपलोड नहीं की गई थी, जिसके प्रस्तुत कर रिजल्ट में सम्मिलित कर सही अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ डी टेक सोल्यूशन एवं जीडब्ल्यूटी साईन्स एवं बायोटेक्नोलॉजी फोर ग्रीनियर एनवायरमेन्टर से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नही है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	H		... द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा केवल आरयूएचएस द्वारा जारी डी–फॉर्मा की अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, आरपीसी पंजीयन रिन्यू स्लिप तथा एसटीएस पद के 02 अनुभव प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में नहीं), जिनकी कुल अवधि दिनांक 25.07.2018 से 23.11.2022 तक है, की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा सीनीयर ट्रीटमेन्ट सुपरवाईजर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। सीनीयर ट्रीटमेन्ट सुपरवाईजर का कार्य फार्मासिस्ट के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
142	RAHUL SWAMI	PH160151	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) कार्यक्रम में एसटीएस पद पर दिनांक 01.12.2016 से आज दिनांक तक कार्यरत था। विज्ञप्ति क्रमांक F-109(6)/SIHFW/MH-Recruit/Pharma/2023/4650 दिनांक 05.05.2023 के द्वारा फार्मासिस्ट पद के लिए अभ्यर्थी ने एसटीएस के 2130 दिवस (लगभग 06 वर्ष) के अनुभव के साथ भर्ती में आवेदन किया था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ.1(2) डीओपी/ए–II/97 पार्ट जयपुर दिनांक 23.05.2022 एवं भर्ती के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) में कार्यरत संविदा कर्मियों को समान कार्य के आधार पर बोनस देने का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थी का दिनांक 26.08.2023 को क्रमांक 2336 पर ओबीसी एनसीएल श्रेणी से	अअभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) कार्यक्रम में एसटीएस पद पर दिनांक 01.12.2016 से आज दिनांक तक कार्यरत था। सीनीयर ट्रीटमेन्ट सुपरवाईजर का कार्य फार्मासिस्ट के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			है। जबकि अन्तरिम वरियता सूची में ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ 63.88 होने पर भी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने यह भी अवगत कराया है कि क्रमांक अराज/भर्ती प्रकोष्ठ/फार्मासिस्ट/आरटीआई–07/2023/93 दिनांक 19.01.2023 में डॉ. संजय सक्सेना, नोडल अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) एवं सयुक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर द्वारा बताया गया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 में उल्लेखित नियम 19 के अनुसार संबंधित पद की योग्यता होने एवं समरूप कार्य करने के आधार पर संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी/सत्यापन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी होने वाले अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेखित अनुभव अवधि अनुसार बोनस अंकों का निर्धारण किया जाता है। अभ्यर्थी फार्मासिस्ट के पद की योग्यता भी रखता है और समरूप कार्य करने का जारीकर्ता अधिकारी/ सत्यापन अधिकारी द्वारा 2130 दिवस (लगभग 06 वर्ष) का अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी हुआ हैं, साथ ही कोविड–19 महामारी के समय भी अभ्यर्थी कार्यरत था। अतः अभ्यर्थी ने संशोधित अन्तरिम वरियता सूची व अन्तिम चयन सूची में नाम शामिल करवाने का निवेदन किया है। संलग्नः– एसटीएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं आरटीआई की प्रति		

	KUMAR SAINI		का निवेदन किया है, किन्तु अनुभव से सम्बधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा 04.10.2018 से 30.04.2023 तक जिला क्षय निवारण केन्द्र, धौलपुर में डीपीपीएमसी पद पर कार्य सम्पादन का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा 29.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। डीपीपीएमसी का कार्य फार्मासिस्ट के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी. बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	SHARMA		...में प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि 64.367 प्रतिशत प्राप्तांक पश्चात् भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि ओबीसी की कट ऑफ 63.888 होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा कोविड हैल्थ सहायक के पद का नर्सिंग कार्य करने का 122 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि फार्मासिस्ट के समान कार्य का नहीं होने के कारण उक्त अनुभव प्रमाण के आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि के पश्चात् 01 वर्ष से कम अवधि का संलग्न किया है जिसका बोनस का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
145	RAJNISH BHARTI	PH174765	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। जिसमें आवेदन फार्म की प्रति, आरपीसी पंजीयन, डी फार्मेसी अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का कार्य फार्मासिस्ट के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
146	OMPRAKASH	PH144663	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.98 जो की ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ 63.888 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 19780/2022 की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा 09.04.2016 से 30.11.2022 तक जिला क्षय निवारण केन्द्र, अलवर में सीनीयर ट्रीटमेन्ट सुपरवाईजर पद पर कार्य सम्पादन का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। सीनीयर ट्रीटमेन्ट सुपरवाईजर का कार्य फार्मासिस्ट के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका 2022 की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में है। यह भर्ती रद्द की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	RAM PATEL	PH[illegible]	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.600 जो की ओबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 63.888 से अधिक होने के बाद भी अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रार्थी का नाम अंतिम वरियता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8909/2023 की प्रतिलिपि, अनुभव प्रमाण पत्र, डी–फार्मा से संबंधित अंकातलिका, सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है। प्रार्थी का ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की कट ऑफ 63.888 से कम प्राप्तांक प्रतिशत 38.600 होने के कारण प्रोविजनल सूची में चयन नहीं हुआ है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का कार्य फार्मासिस्ट के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
148	LALIT KISHOR SHARMA	PH107515	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अनुभव प्रमाण पत्र जुडवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में डीईओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी दिनांक 03.12.2015 से 03.02.2021 तक निरन्तर डीईओ (डीडीसी) के पद पर कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा कोविड 19 के दौरान कोविड पॉजीटिव मरीजो को जिला चिकित्सालय ले जाना, डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना, आईसोलेशन सेन्टर पर दवाईयों का वितरण करने तथा डीडीसी पर दवा वितरण का कार्य किया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र को फार्मासिस्ट के समतुल्य मानते हुए बोनस अंक दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का कार्य फार्मासिस्ट के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	KUMAR	PH102150	अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि में कार्य किये जाने के उपरान्त भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंको का लाभ देते हुये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड हैल्थ सहायक के पद का 261 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि फार्मासिस्ट के समान कार्य का नही होने के कारण उक्त अनुभव प्रमाण के आधार पर बोनस अंको का लाभ प्रदान नही किया गया एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि के पश्चात् 01 वर्ष से कम अवधि का संलग्न किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
150	CHINMAY BOHARA	PH127409	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में डॉ0 के0एन0 मोदी विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के बी–फॉर्मा के अंकों का उल्लेख करते हुए जारी पत्र दिनांक 07.07.2023 की प्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है:–1. अभ्यर्थी ने बी–फॉर्मा डॉ0 के0एन0 मोदी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है जिसमें 6900 में से 6382 अंक प्राप्त किये है।2. भर्ती में भिन्न–भिन्न कारणों से छोडे गये रिक्त पदों पर उचित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किये जाने हेतु लिखा है।3. राज्य सरकार के आदेशानुसार सीएमएचओ टोंक द्वारा फॉर्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी किन्तु विभागीय देरी के कारण दिनांक 22.03.2023 को नियुक्ति प्रदान की गई जिस कारण बोनस का लाभ नहीं मिल पाया किन्तु वर्तमान में पीएचसी (टोंक) पर यूटीबी के पद पर 01 वर्ष से अधिक कार्यरत है जिस पर विचार कर अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	रिक्त पदों पर नियमानुसार योग्य अभ्यर्थियों की ही भर्ती की जाती है। अनुभव की गणना 4.5.2023 तक ही की जायेगी। अतः 22.03.2023 को नियुक्ति होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी का चयन इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.967 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने के कारण नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

	SHAH	[illegible]	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी दिनांक 17.07.2022 से वर्तमान दिनांक 20.07.2024 तक फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है और भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है । अतः अभ्यर्थी को मौका प्रदान करते हुए 02 वर्ष से अधिक का अनुभव सम्मिलित करते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिनांक 20.07.2022 से 04.05.2023 तक कुल 285 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि का नहीं होने एवं अनुभव अवधि 01 वर्ष से कम होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में आवेदन के पश्चात् परिवेदना प्रस्तुत करने की दिनांक तक के अनुभव को सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है जो कि विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार मान्य नहीं है। कट ऑफ डेट के बाद के अनुभव का लाभ प्रदान करने की याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा भी खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
152	VISHAL SAINI	PH171267	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम दर्ज था, तथा अन्तिम वरियता सूची में नाम नहीं था। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता में 42.77 प्रतिशत एवं अनुभव के 10 प्रतिशत अंक विज्ञापन की शर्तो के अनुसार थे। फार्मासिस्ट भर्ती के पुनः संशोधन के समय प्रार्थीगण के विज्ञापन की शर्तो के अनुसार 02 वर्ष दिनांक 03.07.2023 को पूर्ण हो गए थे। अभ्यर्थी वर्तमान में यूटीबी (फार्मासिस्ट) पद पर कार्यरत है। अभ्यर्थी ने उक्त भर्ती में 10 प्रतिशत अंक की जगह 20 प्रतिशत अंक अंतिम वरियता सूची में जोड़े जावें। संलग्नः—अनुभव प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिनांक 03.07.2021 से 22.03.2023 तक 626 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.833 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में आवेदन के पश्चात् परिवेदना प्रस्तुत करने की दिनांक तक के अनुभव को सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है जो कि विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार मान्य नहीं है। समान प्रकृति के प्रकरणों को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	SOMPURA		[illegible] भर्ती 2023 की अंतरिम चयन सूची में बोनस अंक 20 के स्थान पर 30 जोडे जाने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी ईडब्लयूएस वर्ग में सम्मिलित है। अभ्यर्थी के कुल अनुभव दिवस 1133 है व कुल कार्य दिवस 1003 है। इस अधार पर 26 दिवस को महिना माना गया है तो 936 दिवस से अधिक हो रहे है व 03 साल से अधिक दिवस हो रहे है व अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र भी मासिक अधार पर होना चाहिए था ना कि दैनिक आधार पर ।अभ्यर्थी ने 20 बोनस अंक के स्थान पर 30 बोनस अंक जोडे जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 20.11.2019 से 20.03.2020 तक 119 दिवस एवं 23.07.2020 से 31.05.2022 तक 677 दिवस कुल 796 दिवस एवं 01.08.2022 से 04.05.2023 तक 337 दिवस कुल 1133 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनमें भुगतान के अनुसार कुल कार्यदिवसों की संख्या 1003 दर्शाई गई है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
154	ASHISH KUMAR SHARMA	PH200142	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है जिनमें व्यवसायिक अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, 1164 दिवस का फार्मासिस्ट पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1157 दिवस के फार्मासिस्ट पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनमें से 135 दिवस की अवधि के भुगतान के संबंध में अनुभव जारीकर्ता द्वारा टिप्पणी अंकित की गई है कि "उक्त अवधि का भुगतान नही किया गया है"। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
155	HANWANT SINGH PARMAR	PH146554	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल अंतरिम वरियता सूची का दिनांक 05.07.2024 का आदेश एवं दस्तावेज सत्यापन लिस्ट संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महाप्रबंधक, जिला सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भण्डार लिमिटेड जिला पाली द्वारा दिनांक 20.06.2008 से 31.12.2013 तक कुल 2021 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न फार्मेसी कौंसिल पंजीयन प्रमाण पत्र में पंजीयन दिनांक 22.06.2021 दर्शाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

156	SUMAN DEVI	PH198397	अभ्यर्थियां ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया गया है। परिवेदना के साथ 09 दिवस का फार्मासिस्ट पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र एवं उससे संबंधित वेतन आहरण के बिल संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड अवधि का 09 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगानगर द्वारा 341 दिवस कुल 350 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
157	Sandhya Bhojwani	PH141823	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची के कम संख्या 1552 पर 15 बोनस अंक प्रदान कर अंकित होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के 15 बोनस अंकों के सीन पर 20 बोनस अंक प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने 716 दिवस एवं 104 दिवस के 02 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर कुल अनुभव दिवसों के आधार पर स्वयं को 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 बोनस अंक प्रदान कर वरीयता कम में संशोधन बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 820 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
158	BABU LAL CHOUDHARY	PH180317	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंकों को जोडकर स्वयं के कुल प्राप्तांक 66.03 जो की ओबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 63.888 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध मे परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रबन्धक मेडिकल कॉनफेड जयपुर द्वारा 4140 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

159	NAVEEN KUMAR GAUR	PH165436	प्रार्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड–19 अवधि के दौरान आवश्यक अस्थाई आधार पर हुई नियुक्ति के तहत 09 दिवस (दिनांक 19.05.2021 से 27.05.2021) के कार्यानुभव के 15 बोनस अंक एवं कोविड 19 अवधि से पूर्व हुई नियुक्ति के तहत 296 एवं कोविड अवधि के पश्चात हुई नियुक्ति के तहत 360 दिवस कुल 656 दिवस 1 वर्ष से अधिक के कार्यानुभव के राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में 10 बोनस अंक भी दिये जाने के संबंध में परिवेदना के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर स्वयं का नाम अंतिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 656 दिवस के नॉन कोविड अवधि के जारी अनुभव के आधार पर 10 प्रतिशत बोनस अंकों सहित भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड अवधि का 09 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें वेतन भुगतान के संबंध में "शून्य" की प्रविष्ठि अंकित की गई है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन उपरान्त देय बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
160	SURESH CHAND	PH144596	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.833 जो की कट ऑफ 63.888 से अधिक है होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी के दस्तावेजों की जांच कर वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड द्वारा फार्मासिस्ट का 1456 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
161	Nisha Mewara	PH180364	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका, बी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अधीक्षक राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली द्वारा फार्मासिस्ट के पद का दिनांक 26.04.2022 से 04.05.2023 तक 370 दिवस का जिसमें भुगतान दर के अनुसार 347 दिवस का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
162	VARUN KUMAR	PH149634	अभ्यर्थी द्वारा केवल 01 वर्ष का बोनस अंक प्रतिशत में नहीं जोड़े जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की गई है। संलग्न–अनुभव प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अधीक्षक, नवीन मेडिकल कॉलेज परिसर, कोटा द्वारा दिनांक 01.05.2018 से 30.04.2019 तक 365 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके भुगतान के आधार पर कुल कार्य दिवसों की संख्या 312 अंकित की गई है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	EER		... परिवेदना प्रस्तुत कर रोके हुए परिणाम को जारी करने बाबत् निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने परिवेदना के साथ सीएमएचओ भरतपुर से संबंधित कुछ भुगतान बिल संलग्न किये है। परिवेदना के साथ केवल एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 8548/2023 का निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति संलग्न कर राजेन्द्र कुमार बेनीवाल से कवर्ड बताया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है।	प्रकरण पूर्व में दिनांक 5.4.24 को आयोजित नीति निर्धारण समिति की बैठक में रखा गया था । बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार यदि अभ्यर्थी को बैठक दिनांक तक अनुभव अवधि हेतु भुगतान किया जा चुका है तो उक्त अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुसार बोनस अंक दिए जाने है। अतः अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
164	SIYA RAM MALI	PH138988	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डी–फॉर्मा अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र (02), रिन्युअल प्रमाण पत्र, दिल्ली कौंसील प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, करौली द्वारा फार्मासिस्ट दिनांक 07.04.2007 से 03.06.2011 तक कुल 1355 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है । वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
165	MAHESH GAUTAM	PH140256	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कुल बोनस अंको में 30 के स्थान पर 20 करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर अनुभव के आधार पर पुनः संशोधित कर बोनस अंक 30 करने के संबंध मे निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र के अनुसार इनकी अनुभव अवधि 3 वर्ष से अधिक है, जिसको 26 दिवस भुगतान के आधार पर 1024 दिवस है। अभ्यर्थिया का चयन अंतरिम सूची में किया जा चुका है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
166	VISHNU KUMAR NAGAR	PH140632	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के परिशिष्ट की बिन्दु संख्या 7.6 को आधार मानकर अनुभव अवधि की गणना 20 अंक से 30 अंक करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र के अनुसार इनकी अनुभव अवधि 3 वर्ष से अधिक है, जिसको 26 दिवस भुगतान के आधार पर तीन वर्ष से कम दर्शाया गया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
167	AMIT KUMAR	PH142041	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा केवल अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, डी–फॉर्मा अंकतालिकाएं, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, रिन्युअल प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय अलवर द्वारा 03 वर्ष से अधिक अवधि के फ़ार्मासिस्ट पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			आदि की प्रति संलग्न की है।	प्रस्तावित है।	
168	AL SHAHZAD KHAN	PH142059	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल आरपीसी रजिस्ट्रेशन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महाप्रबंधक, जिला सहकारी उपभोक्ता हॉलसेल भण्डार लिमिटेड जिला सीकर द्वारा दिनांक 26.05.2010 से 31.08.2013 तक कुल 1559 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न फार्मेसी कौंसिल पंजीयन प्रमाण पत्र में पंजीयन दिनांक 07.02.2023 दर्शाई गई है जिसके पूर्व के अनुभव का लाभ नही दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 06.04.2010 को राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यपन एवं राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल से पंजीकरण के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
169	NITESH KUMAR SONI	PH144811	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल पुरूष वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के 30 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर औसत प्राप्तांक 72.502 प्रतिशत है जबकि ओबीसी एनसीएल पुरूष वर्ग की कटऑफ 63.888 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थी का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने आरपीसी प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, व्यवसायिक अंकतालिकाऐं एवं 04 माह 02 दिवस, 11 माह 19 दिवस एवं 01 वर्ष 09 माह 14.5 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, अलवर द्वारा फार्मासिस्ट पद का 3 वर्ष से अधिक अवधि के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	CHAUHAN	…148379	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (985 दिवस) एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिशा–निर्देश की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन सूची में ईडब्लयूएस श्रेणी में क्रम संख्या 1305 पर नाम अंकित था। अभ्यर्थी का बोनस एक वर्ष कम कर दिया गया है जिससे बोनस 30 के स्थान पर 20 होने के कारण अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। राजस्थान सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 25.04.2023 के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार 26 कार्य दिवस को 01 माह माना जाना प्रस्तावित है जिसके अनुसार अभ्यर्थी के 26 दिवस के कार्य दिवस अनुसार 985 दिवस हो रहे है जिसमें मासिक/साप्ताहिक अवकाश सम्मिलित नहीं है। अतः बिन्दु संख्या 7.6 के अनुसार 1152 दिवस को मानकर (03 वर्ष 01 माह 23 दिवस) 03 वर्ष का बोनस दिये जाने हेतु निवेदन किया है। बिन्दु संख्या 7.8 के अनुसार 985 दिवस कार्य है। 26 दिवस का कार्य दिवस है, इमें 04 मासिक अवकाश सम्मिलित नहीं है। अतः बिन्दु 7.6 के अनुसार 1152 दिवस (03 वर्ष 01 माह 23 दिवस) को मानकर 30 बोनस अंकों का आकलन किया जावें।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा दिनांक 01.08.2017 से 30.09.2020 तक 1152 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसकें भुगतान के अनुसार कुल कार्यदिवसों की संख्या 985 दिवस का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	[illegible]H KUMAR SHARMA	PH149290	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ईपीएफ पासबुक की प्रतियां प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा द्वारा फार्मासिस्ट पद का 01.03.2020 से 04.05.2023 तक कुल 1160 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें भुगतान दर के अनुसार कार्य दिवसों की संख्या 992 अंकित की गई है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
172	HARIMOHAN NAGAR	PH150518	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.598 होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देते हुये वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1421 दिवस के फार्मासिस्ट पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
173	CHANDRA SHEKHAR GOUR	PH152316	अभ्यर्थी ने अनुभव अवधि गणना में संशोधन बाबत परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में है। अभ्यर्थी द्वारा भूलवश ऑनलाईन आवेदन पत्र में अनुभव अवधि 03 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष ही भर दी गयी थी, जिस कारण अभ्यर्थी को 20 बोनस अंक ही प्रदान किये गये है। अभ्यर्थी उम्मेद अस्पताल, जोधपुर तथा एमडीएम चिकित्सालय, जोधपुर के अन्तर्गत फार्मासिस्ट के पद पर दिनांक 01.04.2020 से 30.04.2023 तक निरन्तर कार्यरत रहा है जिसके अवधि 03 वर्ष 29 दिवस होती है जिसका अनुभव प्रमाण पत्र 04 भागो में दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अवधि को देखते हुए 02 वर्ष के आधार पर 20 बोनस अंक के स्थान पर 03 वर्ष के आधार पर 30 बोनस अंक प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिनांक 01.04.2020 से 30.04.2023 तक फार्मासिस्ट पद के कुल 1125 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनमें भुगतान के आधार पर कुल कार्यदिवस 959 दिवस अंकित किये गये है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			हेतु लिखा गया है।		
174	hemlata rajpurohit	PH157117	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1838 दिवस के फार्मासिस्ट पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
175	Preeti Joshi	PH170075	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र (जारी दिनांक 22.09.2022), डी–फॉर्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, एवं अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 01.07.2021 से 22.09.2021 तक 84 दिवस तथा 19.09.2022 से 04.05.2023 तक 228 दिवस) की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की दस्तावेज सत्यापन में क्रम संख्या 2203 पर नाम अंकित था। फार्मासिस्ट अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की जारी अंतरिम वरियता सूची में ओबीसी महिला वर्ग में औसत प्राप्तांक 49.82 प्रतिशत तक अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जबकि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 55.93 प्रतिशत होने के उपरांत भी चयन नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जाकर वरियता सूची में नाम अंकित नहीं होने का कारण स्पष्ट किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 312 दिवस का कोविड अवधि सहित फार्मासिस्ट पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

	SINGH		अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र एवं पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1055 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंको प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा एक अन्य 62 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें भुगतान करने के कॉलम में "वेतन भुगतान का विवरण उपलब्ध नही होने" की टिप्पणी अंकित की गई है। वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अनुभव पुर्नसत्यापन अनुसार देय बोनस अंक अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
177	VIKAS YADAV	PH164189	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 30 प्रतिशत बोनस अंकों सहित 63.971 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम वरीयता सूची में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.888 प्रतिशत से अधिक होते हुये भी अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ का उल्लेख करते हुये स्वयं का अंतरिम वरीयता सूची में चयन करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को 91 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। शेष 1007 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

	SHARMA		अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी द्वारा केवल उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं 03 अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिनांक 24.05.2023, 24.05.2023 व 31.05.2023 के क्रमशः 92, 274 व 700 दिवस के कुल 1066 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 20 प्रतिशत बोनस अंकों सहित 60.700 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, केकड़ी अजमेर द्वारा 20.07.2024 का जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि व अंतरिम चयन सूची जारी होने के पश्चात जारी किया गया है एवं निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। अतः मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
179	JAGDISH KHOJA	PH210773	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंकतालकाएं, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर कुल औसत प्राप्तांक 67.633 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय के अनुभव के तहत कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा 02 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं जिसमें 01 अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया है जबकि अन्य 01 निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है। अभ्यर्थी ने 2 वर्ष का अनुभव माने जाने का अनुरोध किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महाप्रबंधक, जोधपुर जिला सहकारी होलसेल भण्डार लिमिटेड द्वारा दिनांक 03.01.2023 को 313 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। शेष 564 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

181	RAHUL KUMAWAT	PH136088	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने बाबत परिवेदना के संलग्नक में शपथ पत्र, ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 16.12.2022 एवं 24.08.2023 की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन सूची के क्रम संख्या 2318 पर कुल औसत प्राप्तांक 70.800 प्रतिशत अंकित है जो कि ओबीसी एनसीएल की कटऑफ 63.888 प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन तिथि से पूर्व आवेदन के समय तथा वर्तमान में भी ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र बनवाया था जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी को क्रिमिलेयर की श्रेणी में रखा गया है। अभ्यर्थी का आरपीसी पंजीयन क्रमांक 43244 दिनांक 31.12.2025 तक वैद्य है। अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 26.08.2023 को हो चुका है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम क्रिमिलेयन से नॉन–क्रिमिलेयर में रखकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय का कोविड अवधि का 538 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष 2 अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किये गये। अतः उक्त 2 अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंको का लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. यचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन में ओबीसी क्रीमीलेयर श्रेणी में आवेदन किया गया एवं त्रुटि संशोधन हेतु दिए गए अवसर के दौरान संशोधन की कार्यवाही नहीं की गई। अब अन्तरिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन न्यायोचित नहीं होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 याचिका 7840/2019 एवं एस0बी0 याचिका 13614/2019 में इस प्रकार श्रेणी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं करने के निर्णय पारित किए गए है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

182	JAGDISH ACHARYA	PH186860	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अंतरिम वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्र के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में इमरान खान पुत्र श्री अफलातून खान का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में जारी अंतरिम वरियता सूची के क्रम संख्या 315 पर अंकित इमरान खान पुत्र श्री अफलातून खान, ओबीसी, 148032 का चयन हुआ है जो कि फार्मासिस्ट सहायक (डीडीसी हैल्पर) के पद पर कार्यरत था तथा फार्मासिस्ट के कार्य हेतु 30 बोनस अंको का लाभ दिया गया है जिसे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कुचामन सिटी, नागौर के क्रमांक 1495 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी जांच करवाई जावें। साथ ही अभ्यर्थी श्री जगदीश आचार्य, जिसके दस्तावेज सत्यापन में कुल औसत प्राप्तांक 70 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम वरियता सूची में नाम अंकित नहीं है जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की अंतरिम कटऑफ 64 प्रतिशत है। अभ्यर्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में कम संख्या 1005 पर अंकित है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसमें अभ्यर्थी ने स्वयं के 30 बोनस अंक जोडे हैं। दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में एस. पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर द्वारा डीडीसी हैल्पर के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि फार्मासिस्ट के समान कार्य का नही होने के कारण उक्त अनुभव प्रमाण के आधार पर बोनस अंको का लाभ प्रदान नही किया गया एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि में फार्मासिस्ट पद का 435 दिवस का जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है; अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
183	POOJA YADAV	PH178846	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में सीजीपीए के अध्यधीन रोके गये परिणाम बाबत प्रस्तुत परिवेदना के संलग्नक में प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी--फॉर्मा अंकतालिकाएं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फॉर्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा जारी नियम एवं बी--फॉर्मा पाठ्यक्रम प्रति एवं प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के सीजीपीए 7.9 को 76.1 प्रतिशत माने जाने हेतु प्रमाण पत्र दिनांक 19.07.2024 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रताप	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 के अन्तर्गत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने का अधिकार है। प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री मान्य एवं वैद्यानिक संस्थानों द्वारा अनुमोदित है। अतः अभ्यर्थी ने उक्त संस्थान द्वारा जारी डीग्री में सीजीपीए 7.9 को 76.1 प्रतिशत मानते हुए फॉर्मासिस्ट पद की अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
184	KAVITA MEGHWAL	PH161542	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट की अंतरिम वरियता सूची में परिणाम रोका गया है, के बाबत परिवेदना के संलग्नक में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूर्निवसिटी द्वारा जारी बी–फॉर्मा अंकतालिकाएं प्रस्तुत कर अंकतालिकाओं की जांच करवाकर स्वंय का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर फार्मासिस्ट पद की अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का परिणाम बी–फॉर्मा सीजीपीए अंकतालिकाएं होने के कारण रोका गया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
185	MUHAMMAD YUNAS	PH187593	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट की अंतरिम वरियता सूची में परिणाम रोका गया है, के बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर फार्मासिस्ट पद की अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
186	Sonam Patel	PH116846	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आन्ध्रा विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी–फार्मा की अंकतालिकाएं तथा सीजीपीए अंकों की गणना किये जाने हेतु आन्ध्रा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.07.2024 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अभ्यर्थी का सीजीपीए अंकतालिका होने के कारण परिणाम रोका गया है।		
187	VARSHA SOLANKI	PH110381	अभ्यर्थी ने राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्यधीन परिणाम रोके गये अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में, बाबत परिवेदना के संलग्नक में जाति प्रमाण पत्र, सीनियर सैकेण्डरी अंकतालिका एवं डी–फार्म अंकतालिकाओं की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरियता सूची में रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
188	KHUSHI KHATUM ARIYA	PH217785	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2022 में आवेदन फॉर्म को राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्यधीन परिणाम रोकने पर उसको आगे सुचारू रूप से आगे करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में जाति प्रमाण पत्र, डी–फॉर्मा अंकतालिकाएं, आरपीसी पंजीयन की प्रति प्रस्तुत कर फार्मासिस्ट पद की अंतरिम वरियता सूची में रोके गये परिणाम की सूची से अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
189	ARVIND SANGWA	PH208393	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 अंतरिम वरियता सूची में आपत्ति/परिवेदना दर्ज करवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में राजस्थान विश्वविद्यालय अंकतालिकाएं प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम की सूची में नाम हटाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अभाव में रोका गया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

190	MAINAL SHARMA	PH167227	अभ्यर्थी ने विषयक कॉलेज वेरिफिकेशन दुबारा करवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकतालिकाएं तथा प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा पुर्नसत्यापन के संबंध में जारी पत्र दिनांक 20.07.2024 की प्रति प्रस्तुत कर कॉलेज वेरिफिकेशन दुबारा करवाया जाकर परिणाम रोके गये सूची से नाम हटाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
191	LOKENDRA SINGH	PH151861	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम सूची में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना के संलग्नक में सैकेण्डरी अंकतालिका, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (23.08.2023), डी–फार्मा पार्ट 2 अंकतालिका प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दिव्यांगता श्रेणी में औसत प्राप्तांक 39.20 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने ईडब्लयूएस श्रेणी की दिव्यांग श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
192	Chetna	PH112747	अभ्यर्थी ने व्यावसायिक योग्यता के सीजीपीए अंकतालिका के अंकों को प्रतिशत दर में बदलने बाबत विषयक परिवेदना के संलग्नक में राफेल्स विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी–फार्मा चतुर्थ वर्ष, अष्टम सत्र की सीजीपीए अंकतालिका प्रस्तुत कर इसके अनुसार अभ्यर्थी के सीजीपीए अंक 7.90 को 75.05 प्रतिशत अंकों में बदलने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी की व्यावसायिक अंकतालिका में सीजीपीए	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			ग्रेडींग है जिस कारण होल्ड पर रखा गया है। अभ्यर्थी की सीजीपीए 7.90 है जो कि चतुर्थ वर्ष (अष्टम सत्र) की अंकतालिका में दर्शाई गई है जिसका प्रतिशत 7.90 ' 9.5 त्र 75.05 है।		
193	FIROJ KHAN	PH140503	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम सूची में परिणाम रोका गया विषयक परिवेदना प्रस्तुत कर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
194	ASHISH SOLANKI	PH153817	अभ्यर्थी ने औषधी नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये परिणाम को सही करने बाबत विषयक परिवेदना के संलग्नक में मेवाड विश्वविद्यालय द्वारा जारी सेमेस्टर ग्रेड रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी ने आई0डी0 संख्या 153817 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया था। अभ्यर्थी का परिणाम औषधी नियत्रंक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये अभ्यर्थियों की सूची में है। अभ्यर्थी द्वारा मेवाड विश्वविद्यालय से बी–फॉर्मा उत्तीर्ण किया है तथा अभ्यर्थी का नाम आरपीसी में पंजीकरण संख्या 53333 द्वारा पंजीकृत है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम औषधी नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये अभ्यर्थियों की सूची में क्यों सम्मिलित किया गया है, का निस्तारण करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
195	REKHA RAMAN	PH116709	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट पद पर सीजीपीए के कारण रोके गये परिणाम बाबत परिवेदना के संलग्नक में डॉ0 के0 एन0 मोदी विश्वविद्यालय द्वारा बी–फार्मा के अंकों के संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2024 प्रस्तुत कर अंतरिम चयन	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
196	RAVI KHARRA	PH202441	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट की अंतरिम सूची में सीजीपीएं की अंकतालिकाओं के अंकों की गणना के अध्यधीन रोके गये परिणाम के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी–फार्मा चतुर्थ वर्ष अंकतालिका एवं सीजीपीए से अंकों की गणना किये जाने के संबंध में फार्मूला की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
197	BHAVANE E SHANKAR SHARMA	PH146859	अभ्यर्थी ने राजस्थान के राजकीय विश्वविद्यालयों से अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्यधीन परिणाम को अनहोल्ड कर अंतरिम वरियता सूची में नाम जोडने बाबत परिवेदना के संलग्नक में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी डी–फार्मा अंकतालिका प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने डी–फार्मा प्रथम एवं द्वितीय राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा दिया है तथा चतुर्थ प्रयास आरयूएचएस से उत्तीर्ण किया है। अभ्यर्थी ने प्रोविजनल एवं डिप्लोमा भी आरयूएचएस से प्राप्त किया है। आरयूएचएस से संतुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम होल्ड किया गया है। अभ्यर्थी ने तत्पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय से अंकतालिकाओं का सत्यापन करवाकर आरयूएचएस में जमा करवा दिया है। अभ्यर्थी ने स्वंय का परिणाम अनहोल्ड कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

198	Abhishek Jain	PHT217886	अभ्यर्थी ने पंजीयन सत्यापन होने पर अंतरिम चयन में नाम सम्मिलित करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 12.07.2023 की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी आरपीसी में पंजीकृत फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में जारी वरियता सूची में अभ्यर्थी का परिणाम पंजीयन के सत्यापन हेतु राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर को भेजा गया, बताया गया है जिस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा आरपीसी से सूचना प्राप्त की गई है, की अभ्यर्थी का सत्यापन सीफू भेज दिया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
199	CHATRA RAM	PH203447	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की जारी अंतरिम वरियता सूची में सीजीपीए अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में पेसीफिक एकेडमी ऑफ हॉयर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च यूनिर्वसिटी, उदयपुर द्वारा जारी बी–फार्मा अंकतालिकाएं प्रस्तुत कर प्रतिशत की सही गणना कर वरियता सूची में	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
			सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा एमबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी का परिणाम फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची में सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके गये अभ्यर्थियों की सूची मे क्रमांक 65 पर दर्शाया गया है। अभ्यर्थी ने पेसीफिक एकेडमी ऑफ हॉयर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च यूनिर्वसिटी, उदयपुर द्वारा जारी बी–फार्मा अंकतालिकाएं, जिनका सीजीपीए 6.8 है, प्रस्तुत		

			कर प्रतिशत की सही गणना कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु लिखा है।		
200	VIKAS KUMAR	PH136238	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम निस्तारण बाबत परिवेदना के संलग्नक में प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी–फार्मा अंकतालिकाएं तथा अभ्यर्थी के 7.1 सीजीपीए को 68.9 प्रतिशत माना जाने के संबंध में जारी पत्र दिनांक 19.07.2024 प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया जा चुका है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में एमबीसी पुरूष, नॉन टीएसपी क्षेत्र की अंतरिम कटऑफ 44.967 प्रतिशत है जबकि अभ्यर्थी की अंकतालिका अनुसार बी–फार्मा कोर्स में 7.1 सीजीपीए प्राप्त हुये है। अभ्यर्थी की अष्टम सत्र की अंकतालिका के पीछे सीजीपीए से प्रतिशत को बदलने का फार्मुला स्पष्ट रूप से अंकित है। अभ्यर्थी का सीजीपीए 7.1 है जिसका प्रतिशत परिवर्तन नियम विश्वविद्यालय के अनुसार 68.9 प्रतिशत है जो कि कटऑफ प्रतिशत से अधिक है। अभ्यर्थी ने सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम का निस्तारण कर रोका गया परिणाम जारी किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

201	Dinesh kumar Meena	PH197636	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम निस्तारण बाबत परिवेदना के संलग्नक में प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी–फार्मा प्रोविजनल प्रमाण पत्र तथा अभ्यर्थी के 7.3 सीजीपीए को 70.7 प्रतिशत माना जाने के संबंध में जारी पत्र दिनांक 18.07.2024 की प्रति प्रस्तुत कर रोका गया परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा चुका है परन्तु अभ्यर्थी का परिणम सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन रोका गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के फार्मुला अनुसार 70.7 प्रतिशत है। इस आधार पर अभ्यर्थी ने रोके गये परिणाम को जारी किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
202	PURSHOTTAM SHARMA	PH100146	अभ्यर्थी पुरूषोत्तम शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरित वरीयता सूची में परिणाम रोका (अंकतालिकाओ के सत्यापन के अध्याधीन) के निस्तारण हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने सभी आवश्यक अंकतालिकाएँ जिनकी सूची निम्नानुसार है, को उपलब्ध कराने के बाद भी परिणाम रोका गया। 1. दसवी–आरबीएसई 2. बी फारमा–राजस्थान विश्वविद्यालय तथा आरयूएचएस अभ्यर्थी द्वारा उक्त दस्तावेज परिवेदना के साथ संलग्न किये गये है। अभ्यर्थी ने अंकतालिकाओं का सत्यापन करवाकर अंतरिम वरियता सूची में नाम शामिल करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

203	DINESH KUMAR	PH125049	अभ्यर्थी ने सीजीपीए अंकतालिका के अंको की गणना के अध्याधीन परिणाम निस्तारण बाबत परिवेदना के संलग्नक में सनराईज विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत बी–फॉर्मा (कन्सोलिडेटेड स्टेटमेन्ट ऑफ मार्क्स) की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति में सम्मिलित है। अभ्यर्थी की बी–फॉर्मा का परिणाम सीजीपीए में दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल आवेदन एवं इसके साथ समस्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया था। अभ्यर्थी द्वारा अष्टम सत्र की अंकतालिका तथा बोनाफाईड सर्टिफिकेट में अंक और प्रतिशत का पूर्ण वर्णन होने की जानकारी दस्तावेज सत्यापन के दौरान दी गई थी तथा परिवेदना के माध्यम से पुनः प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
204	Pankaj Tanwar	PH156257	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बी फार्मेसी की सीजीपीए की अंकतालिका की संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
205	RAJ KUMAR BAIRWA	PH141402	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती प्रकरण में जारी अन्तरिम वरीयता सूची में राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोके गए परिणाम के बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी के द्वारा अन्तरिम वरीयता सूची के बाद राजस्थान फार्मेसी कौंसिल के कार्यालय से जानकारी की तो उनके द्वारा पंजीयन होना सही बताया गया है। अतः अभ्यर्थी ने राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन का सत्यापन करके अन्तरिम वरियता सूची में शामिल करने का	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			निवेदन किया है। संलग्न–आरपीसी पंजीयन एवं बी. फार्मेसी अंकतालिकाएँ		
206	ASMA AKHTAR	PH163119	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अंकतालिका सत्यापन में रोके गये परिणाम के संदर्भ में परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने सभी ओरिजनल मार्कशीट तथा दूसरे जरूरी दस्तावेज पुनः अपलोड किये है। अतः अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन का निवेदन किया है। संलग्न–दसवीं, बाहरवीं एवं डी फार्मेसी अंकतालिकाए आरपीसी पंजीयन, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
207	MANOJ	PH107402	अभ्यर्थी ने जाति प्रमाण पत्र, आरपीसी पंजीयन एवं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बी. फार्मेसी सीजीपीए अंकतालिका के साथ सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना हेतु प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
208	MANISHA MEENA	PH145847	अभ्यार्थिया ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल के. एन. मोदी यूनिवर्सिटी का बी. फार्मेसी के प्रतिशत का विवरण लिखा प्रपत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
209	PAWAN KUMAR VERMA	PH120494	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति की कट ऑफ सामान्य के अन्तर्गत 45.592 प्रतिशत है। अभ्यर्थी के स्वयं की अंकतालिका के अनुसार बी फार्मेसी कोर्स में 8.4 सीजीपीए प्राप्त हुए। अभ्यर्थी ने अंकतालिका के पिछे दर्शित सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित करते हुए 56.42 प्रतिशत होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने सीजीपीए अंकतालिका की गणना के अध्याधीन रोके गये परिणाम का निस्तारण कर सूची में शामिल करने का निवेदन किया है। संलग्न– बी फार्मेसी अंकतालिका	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

210	UMED SINGH RATHORE	PH144657	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं। जिसमें आवेदन फार्म की प्रति, आरपीसी पंजीयन एवं डी फार्मेसी अंकतालिका।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
211	SOURABH KUMAR SANKHALA	PH111786	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति की कट ऑफ सामान्य के अन्तर्गत 45.592 प्रतिशत है। अभ्यर्थी के स्वयं की अंकतालिका के अनुसार बी फार्मेसी कोर्स में 8.4 सीजीपीए प्राप्त हुए। अभ्यर्थी ने अंकतालिका के पिछे दर्शित सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित करते हुए 56.42 प्रतिशत होना बताया है। अतः अभ्यर्थी ने सीजीपीए अंकतालिका की गणना के अध्याधीन रोके गये परिणाम का निस्तारण कर सूची में शामिल करने का निवेदन किया है। संलग्न– बी फार्मेसी अंकतालिका	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
212	Shreya Singhvi	PH114610	अभ्यार्थिया ने प्रोविजनल सूची में सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोकने के निस्तारण हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यार्थिया ने अवगत कराया है कि सीजीपीए अंकतालिकाओं में अंकों में भी परिणाम अंकित है। अभ्यार्थिया द्वारा फार्म भरते समय प्रथम वर्ष के प्राप्त अंक 1191 की जगह 1166 अंकित हो गए। 25 अंक कम डालने की त्रुटि का कारण 01 सेमस्टर में 01 विषय की परीक्षा में अनुपस्थित होना पड़ा था। अभ्यार्थिया ने अगले वर्ष उसी विषय में 25 अंक प्राप्त किये। फार्म भरते समय अभ्यार्थिया द्वारा वह अंकतालिका अपलोड कर दी गई थी। अभ्यार्थिया के प्रथम वर्ष में 1450 में से 1191 प्राप्त अंक है एवं सभी वर्षो का कुल 5300 में से 4384 प्राप्त अंक है। अंकतालिकाओं में अंक अंकित है। अतः अभ्यार्थिया ने संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			कर परिणाम जारी करने का निवेदन किया है।संलग्नः– बी फार्मेसी अंकतालिकाएँ, आरपीसी पंजीयन पत्र , मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र		
213	Rohit Meena	PH167993	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। संलग्न–बी फार्मेसी अंकतालिका एवं आरपीसी पंजीयन पत्र	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
214	SANJAY KUMAR KULDEEP	PH109883	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। संलग्न–बी फार्मेसी अंकतालिका	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
215	GHAN SHYAM	PH144261	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राजस्थान के राजकीय विश्वविद्यालय के अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया। अभ्यर्थी ने प्रोविजनल प्रमाण पत्र एवं डी फार्मा की अंकतालिका संलग्न की है। अतः अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

216	JAI PRAKASH	PH107362	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर प्रार्थी को योग्य अभ्यर्थी मानते हुये प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करते हुये रूके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
217	PRACHITA NANKANI	PH136860	अभ्यर्थियां द्वारा अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर आरयूएचएस से मान्यता प्राप्त कॉलेज एलबीएस जयपुर द्वारा जारी अंकतालिकाओं की प्रतिलिपि संलग्न कर शिघ्र रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
218	BHARTI MEENA	PH101001	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डी–फॉर्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
219	NARENDRA SINGH	PH217782	अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने का उल्लेख कर रोके गये परिणाम का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है साथ ही	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
			आरपीसी रजिस्ट्रेशन, ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, डी फार्मेसी की अंकतालिका की प्रतिलिपि भी संलग्न की है।		
220	RITU BALA NAMDEV	PH177898	प्रार्थी द्वारा डॉ. श्री आर.एम. इन्स्टीटयूट साइंस एण्ड टेक्नोलोजी भानपुरा जिला मंदसौर से बी फार्मेसी पीसीआई से मान्यता प्राप्त कॉलेज से उत्तीर्ण करने का उल्लेख कर प्रार्थी का सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी के दस्तावेजों की उचित जांच कर	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अंतिम चयन सूची में प्रार्थी का चयन किया जाने या परिवेदना का निस्तारण होने तक अंतिम सूची जारी नहीं करने के संबंध में निवेदन किया है। प्रार्थी की अंकतालिका सीजीपीए श्रेणी में होने के कारण परिणाम रोका गया है।		
221	DESHRAJ GURJAR	PH122112	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में बी–फार्मा की अंकतालिकाएं संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
222	RAHUL MADHIWAL	PH186556	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर बी–फार्मा की अंकतालिका (प्रोविजनल मार्कशीट) की प्रतिलिपि संलग्न कर संलग्न दस्तावेजों का एक बार पुनः अवलोकन करने एवं स्वयं के रूके हुवे परिणाम को जारी करने के संबंध में निवदेन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
223	Yaruna Patidar	PH180923	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि अभ्यर्थियां द्वारा भर्ती में योग्यता संबंधी सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे फिर भी भर्ती ऐजेन्सी द्वारा राजस्थान फार्मेसी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोके जाने का उल्लेख कर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका, उच्च माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका, बी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, ओबीसी एनसीएल श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न कर रोके गये परिणाम को जारी कर अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			है। प्रोविजनल सूची में प्रार्थी की अंकतालिका सीजीपीए होने के कारण परिणाम रोका गया है।		
224	MANNY	PH150569	अभ्यर्थिया द्वारा सामान्य महिला श्रेणी की कट ऑफ 56.100 से अधिक होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी द्वारा बी–फार्मा उत्तीर्ण संस्थान जो की पंजाब सरकार का सरकारी विश्वविद्यालय है के अनुसार सीजीपीए अंकों को 10 से गुणा करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी 81.6 प्रतिशत प्राप्त कर बी–फार्मा कोर्स उत्तीर्ण किया है जो की कट ऑफ से अधिक है। अतः सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन रोके गये परिणाम का निस्तारण कर अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। प्रोविजनल सूची में प्रार्थी की अंकतालिका सीजीपीए होने के कारण परिणाम रोका गया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
225	PRIYANSHI MORWAL	PH134491	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के संलग्नक में बी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है। ड्रग कन्ट्रोलर की रिपोर्ट पेन्डिंग होने के कारण प्रार्थियां को परिणाम रोके जाने वाली सूची में नाम जोड़ा गया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

226	SHIVANI SHUKLA	PH113456	अभ्यर्थियां ने परिवेदना के संलग्नक में बी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका की प्रतिलिपि संलग्न की है। प्रोविजनल सूची में प्रार्थी की अंकतालिका सीजीपीए होने के कारण परिणाम रोका गया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
227	MOTA RAM THYORI	PH143666	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
228	VISHNU KUMAR SHARMA	PH130887	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर राजस्थान के राजकीय विस्रविद्यालय से अंकतालिका सत्यापन के अभाव में परिणाम रोके जाने का उल्लेख कर समस्त अंकतालिकाओं की मूल प्रति से स्केन कर प्रतिलिपि संलग्न कर प्रार्थी का नाम प्रोविजनल सूची में जोडते हुये अन्तिम सूची में स्थान प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का परिणाम आरयूएचएस की रिपोर्ट के आधार पर रोका गया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
229	PRIYANKA	PH186633	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल राजस्थान फार्मेसी कौंसिल द्वारा अप्रूड संस्थानों की सूची, आरपीसी रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी से संबंधित अंकतालिका, सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिकाओं की प्रतिलिपि संलग्न की ळें	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
230	MUKESH VAISHNA V	PH190279	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के संलग्नक में सैकण्डरी की अंकतालिका, डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

231	RAJENDRA GURJAR	PH105339	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए मार्कशिट की वजह से परिणाम रोके जाने के कारण कुल प्राप्तांक एवं प्राप्तांक अंकों के संबंध में डॉ0 के0एन0 मोदी यूनिर्वसिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि परिवेदना के साथ सलग्न कर सीजीपीए के कारण रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है। प्रोविजनल सूची में प्रार्थी की अंकतालिका सीजीपीए होने के कारण परिणाम रोका गया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
232	NEELAMBEN PATEL	PH147017	अभ्यर्थी ने सीजीपीए अंकतालिका के कारण स्वयं का परिणाम रोके जाने के संबंध में गुजरात सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी एजूकेशन बोर्ड गांधीनगर द्वारा जारी अंकतालिका की प्रतिलिपि परिवेदना के साथ संलग्न कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
233	PRIYANKA	PH121336	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
234	SATISH KUMAR PALIWAL	PH201041	अभ्यर्थी द्वारा राजकीय विश्वविद्यालय से अंकतालिका के सत्यापन के अध्याधीन रोके गए परिणाम की लिस्ट में नाम होने एवं प्रार्थी द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन बीएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से वर्ष 2002 में परीक्षा उर्तीण करने तथा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका को वेरिफाई करने की सूचना भिजवाये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अंतिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
235	BALARAM	PH136562	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जारी अंतरिम वरीयता सूची में सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			अंकतालिकाओं के प्रतिशत की सही गणना कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
236	KENA RAM	PH145652	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जारी अंतरिम वरीयता सूची में सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के प्रतिशत की सही गणना कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
237	HARSHIT KATTU	PHT133211	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
238	RICHHPAL SINGH JAKHAR	PH152144	अभ्यर्थी द्वारा योग्यता संबंधी सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी भर्ती ऐजेन्सी द्वारा राजस्थान फार्मेसी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी का परिणाम जारी कर अंतिम सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
239	NARAYAN SINGH	PH178831	अभ्यर्थी द्वारा ग्लोबल यूनिर्वसिटी सहारनपुर यूपी से सत्र 2019--20 से 2020--21 तक रेगुलर डीफार्मा उर्त्तीण अंकतालिकाओं का सत्यापन करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करते हुये अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
240	NARENDR A SINGH	PH130260	अभ्यर्थी द्वारा औषधि नियत्रंक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये परिणाम के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम प्रोविजनल मेरिट सूची व अंतिम वरीयता सूची में जोड़ने हेतु	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			निवेदन किया है।		
241	MADAN LAL	PH123336	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
242	CHORYA HARSHITA	PHT109629	अभ्यर्थियां द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर प्रार्थियां को योग्य अभ्यर्थी मानते हुये प्रोविज़नल सूची में शामिल कर आगे के परिणाम के बाद अंतिम सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
243	POOJA SINGH	PH184052	अभ्यर्थियां द्वारा औषधि नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये परिणाम के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर समस्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर जांच कर वरीयता सूची में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
244	LALITA CHOUDHARY	PH119771	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज डी–फार्मा की अंकतालिका, आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि सलंग्न की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
245	MADHU KUMARI	PH145303	अभ्यर्थियां द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
246	PRAMOD KUMAR	PH162415	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना कर रोके गये परिणाम को	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			जारी करने हेतु निवेदन किया है।		
247	YASHVINI SHARMA	PHT130813	प्रार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंकों की गणना के अध्याधीन रोके गये परिणामों के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
248	DHEEREN DRA SINGH	PH173155	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं की बी फार्मा की अंकतालिकाऐ संलग्न की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
249	POONAM	PH180130	अभ्यर्थियां ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है। अभ्यर्थिया ने आरपीसी प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न की है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
250	DEEPAK PATIDAR	PH163602	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है। अभ्यर्थी ने केवल अपनी व्यवसायिक अंकतालिकाऐ संलग्न की है जिनकी गणना सीजीपीए में की गयी है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
251	BALKISHAN SHARMA UPADHYAY	PH142714	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है। अभ्यर्थिया ने आरपीसी प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
252	PRIYANKA MEENA	PH119169	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया गया है। परिवेदना के साथ 10वीं एवं व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

253	JAYA REGAR	PHT174604	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने परिणाम रोके जाने के संबंध में अवगत कराया है कि उनके द्वारा नियमानुसार गीतांजली यूनिवर्सिटी से बी0फार्मा किया है जिसके संबंध में स्वयं के अंकों के संबंध में एक शपथ पत्र भी संलग्न किया है। अभ्यर्थी ने आरपीसी प्रमाण पत्र, एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
254	PRIYANKA VAISHNAV	PH128073	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोके जाने के संबंध में अवगत कराया है कि उनके द्वारा नियमानुसार मेवाड़ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन फार्मेसी वर्ष 2019 में किया है जिसके संबंध में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक पत्र भी संलग्न किया है। अभ्यर्थी ने आरपीसी प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
255	RAKESH KUMAR BAIRWA	PH119213	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने परिणाम रोके जाने के संबंध में अवगत कराया है कि उनके द्वारा नियमानुसार सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है जिसकी समस्त अंकतालिकाऐं संलग्न की है। अभ्यर्थी ने आरपीसी प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			किया है।		
256	ROHITAS H CHAHAR	PH198532	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोके जाने के संबंध में अवगत कराया है कि योग्यता संबंधी सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है। अभ्यर्थी ने स्वयं की आरपीसी रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं. एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, मूल एवं जाति निवास प्रमाण पत्र, एवं 1775 दिवस का फार्मासिस्ट पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
257	Phulwariya Dilip Manoharlal	PH112753	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम सीजीपीए के कारण होल्ड रखे जाने से अवगत कराया है एवं सीजीपीए को 9.1 से गुणा कर अंक जोड़कर परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है। इसके संबंध में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक पत्र भी संलग्न किया है जिसमें सीजीपीए को 9.1 से गुणा कर प्रतिशत निकालने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने होल्ड सूची की प्रति, डीवी की प्रति, एवं व्यवसायिक अंकतालिका संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची की होल्ड से हटाकर मुख्य सूची में	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में, कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।		
258	PAWAN KUMAR NINAMA	PHT102323	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम सीजीपीए के कारण होल्ड रखे जाने से अवगत कराया है। इसके संबंध में यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी एक पत्र भी संलग्न किया है जिसमें प्रार्थी को अग्रवाल फार्मेसी कॉलेज से 2017 में डी0 फार्मा उत्तीर्ण बताया है। अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची की होल्ड से हटाकर मुख्य सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
259	vinod kumar maharshi	PH125036	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने इडब्ल्यूएस पीएच श्रेणी में आवेदन किया है जिसका दिनांक 25.08.2023 को एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर की गठित जांच कमेटी से पीएच श्रेणी की जांच करवाकर सीफू जयपुर में दस्तावेज सत्यापन करवाने से अवगत करवाया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 42. 800 प्रतिशत बताये है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, जाति प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत कर विकलांगता परीक्षण से रूके हुए परिणाम की जल्द से जल्द जांच कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से रोका गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

260	MANISH KUAMR BATHARIA	PH202228	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने नियमानुसार राजस्थान यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन फार्मेसी वर्ष 2001 में की है। अभ्यर्थी ने डीवी लिस्ट, प्रोविजनल चयन सूची आदेश की प्रति एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर होल्ड सूची का निस्तारण करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
261	NAVEEN KUMAR SEN	PH135455	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने नियमानुसार आरयूएचएस से पार्ट–1 एवं उसके बाद निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर से बी0फार्मा किया है। अभ्यर्थी ने व्यवसायिक अंकतालिकाऐं संलग्न कर होल्ड सूची का निस्तारण करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
262	NARENDRA CHOUDHARI	PH188186	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी अंकतालिका, आरपीसी रजिस्ट्रेशन, डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास एवं ओबीसी एनसीएल श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
263	RIYA MOD	PH125807	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थियां ने ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोके जाने के संबंध में अवगत कराया है कि उनके द्वारा नियमानुसार मेवाड़ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन फार्मेसी वर्ष 2020 में किया है जिसके संबंध में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक पत्र भी संलग्न किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है। अतः उक्त प्रकरण का निस्तारण कर अंतिम चयन सूची मे स्थान दिलाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

264	NITI	PH153837	अभ्यर्थियां ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थियां ने नियमानुसार राजस्थान यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन फार्मेसी वर्ष 2000 में की है। अभ्यर्थियां ने व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं नाम प्रोविजनल चयन सूची के होल्ड से हटाकर अंतिम चयन सूची में स्थान प्रदान करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
265	LOKENDRA MALEE	PH142107	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम सीजीपीए के कारण होल्ड रखे जाने से अवगत कराया है एवं सीजीपीए को 10 से गुणा कर अंक जोड़कर परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है। इसके संबंध में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी एक पत्र भी संलग्न किया है जिसमें सीजीपीए को 10 से गुणा कर प्रतिशत निकालने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने अंतिम वर्ष की व्यवसायिक अंकतालिका संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची की होल्ड से हटाकर मुख्य सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
266	KALWANT SINGH	PH136528	अभ्यर्थियां द्वारा औषधि नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये परिणाम के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर द्वितीय वर्ष की अंकतालिका के साथ प्रथम वर्ष की अंकतालिका का भी सत्यापन करवाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है ताकी भविष्य में प्रार्थी को प्रथम वर्ष की अंकतालिका के सत्यापन के अभाव में नौकरी से वंचित न किया जावें इसलिये विभाग द्वारा प्रथम वर्ष की अंकतालिका व डिप्लोमा का भी सत्यापन करवाया जाना है तो संबंधित विभाग को प्रेषित	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			किया जावें एवं प्रार्थी को भी सूचना दी जावें।		
267	DINESH KUMAR SHARMA	PH142544	अभ्यर्थी द्वारा औषधि नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये परिणाम के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम को जल्द जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
268	BALKESH	PH134516	अभ्यर्थी द्वारा औषधि नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोके गये परिणाम के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम को जल्द जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
269	POOJA RAO	PH136911	अभ्यर्थियां द्वारा सीजीपीए अंकतालिकाओं में अंकों की गणना हेतु यूनिवर्सिटी से लैटर पेड एवं ऐफिडेविट की प्रतिलिप परिवेदना के साथ प्रस्तुत कर लैटर पैड एवं ऐफिडेविट के अनुसार अंकित परिणाम को सही मानने हेतु रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
270	PARAMVEER KAUR	PH115857	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंकतालिका सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के सम्बन्ध में संबंधित फार्मेसी बोर्ड चण्डीगढ द्वारा अंकतालिका का सत्यापन होने एवं सत्यापित रिपोर्ट विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम अन्तरिम हॉल्ड सूची से हटाकर अन्तिम सूची में चयनित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
271	SANJAY NAVARIYA	PH214849	अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से शीघ्र सत्यापन करवाकर फार्मासिस्ट की अंतिम वरियता/पदस्थापन चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

272	PATEL SHOBHA DINESH	PH110685	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल बी–फार्मा की अंकतालिका से संबंधित सभी दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
273	BHANWARI	PH119328	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंकतालिका सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के सम्बन्ध में संबंधित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका का सत्यापन होने एवं सत्यापित रिपोर्ट विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थियां का नाम अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित कर परिवेदना का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
274	NITISH KUMAR BAROLA	PH100648	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंकतालिका सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के सम्बन्ध में संबंधित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका का सत्यापन होने एवं सत्यापित रिपोर्ट विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थियां का नाम अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित कर परिवेदना का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
275	AESH TAHILIANI	PH105009	अभ्यर्थी द्वारा रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी का रिजल्ट शीघ्र से शीघ्र जारी करने एवं चयन उपरान्त राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी संस्था धर्मादा बारां में नियुक्ति देने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से रोका गया है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
276	ANAMIKA PANWAR	PH135734	अभ्यर्थियां द्वारा अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर परिवेदना के साथ संलग्न अंकतालिकाओं की जांच कर रोके गये परिणाम	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			को जारी कर प्रार्थियां को अंतिम चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।		
277	KHUSHBOO VAISHNAV	PH122149	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट प्रोविजन सूची में परिणाम को होल्ड की परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर परिणाम रोका गया है। मेवाड यूनिवर्सिटी द्वारा इस भर्ती से संबंधित समस्त दस्तावेज औषधि नियंत्रक जॉच कमेटी को प्रपत्र संख्या 460 दिनांक 01.03.2024 द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये है इसका एक प्रमाण पत्र संख्या डन्ध्त्व्2024ध्1680 दिनांक 08.07.2024 को अभ्यर्थी को भी प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मेसी परिणाम सीजीपीए के अंतर्गत नहीं आता है। संलग्न–मेवाड यूनिवर्सिटी प्रपत्र, डीफार्मा अंकतालिका, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, 10वीं, 12वीं अंकतालिकाएं।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
278	POOJA GARG	PH117347	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट प्रोविजन सूची में परिणाम को होल्ड की परिवेदना प्रस्तुत की गई है। मेवाड यूनिवर्सिटी द्वारा इस भर्ती से संबंधित समस्त दस्तावेज औषधि नियंत्रक जॉच कमेटी को प्रपत्र संख्या 460 दिनांक 01.03.2024 द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये है इसका एक प्रमाण पत्र संख्या डन्ध्त्व्2024ध्1601 दिनांक 08.07.2024 को अभ्यर्थी को भी प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मेसी परिणाम सीजीपीए के अंतर्गत नहीं आता है। संलग्न–मेवाड यूनिवर्सिटी प्रपत्र, डीफार्मा अंकतालिका, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, 10वीं अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोविजनल प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

279	ANKIT CHANDEL	PH190561	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट प्रोविजन सूची में परिणाम को होल्ड रखा जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा इस भर्ती से संबंधित समस्त दस्तावेज औषधि नियंत्रक जॉच कमेटी को प्रपत्र संख्या 460 दिनांक 01.03.2024 को प्रस्तुत किये है। संलग्न–10वीं, 12वीं, डीफार्मा अंकतालिकाएं, जाति प्रमाण पत्र, फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र एवं मेवाड यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
280	KHUSHBU SEN	PH165211	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट प्रोविजन सूची में परिणाम को होल्ड रखा जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा इस भर्ती से संबंधित समस्त दस्तावेज औषधि नियंत्रक जॉच कमेटी को प्रपत्र संख्या 460 दिनांक 01.03.2024 को प्रस्तुत किये है। संलग्न–10वीं, 12वीं, डीफार्मा अंकतालिकाएं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र एवं मेवाड यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
281	NIRMALA	PH174883	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट प्रोविजनल मैरिट लिस्ट एवं अन्तिम सूची में नाम जोड़ने बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की है। संलग्न– 10वीं, 12वीं, डीफार्मा की अंकतालिकाएं, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
282	PINKEY TELI	PH117267	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट प्रोविजन सूची में परिणाम को होल्ड रखा जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा इस भर्ती से संबंधित समस्त दस्तावेज औषधि नियंत्रक जॉच कमेटी को प्रपत्र संख्या 460 दिनांक 01.03.2024 को प्रस्तुत किये है। संलग्न–10वीं, 12वीं, डीफार्मा अंकतालिकाएं,	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र एवं मेवाड यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र		
283	MONIKA BHARGAVA	PH110859	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। संलग्न--बीफार्मा अंकतालिकाएं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
284	HIMANSHU AUDICHYA	PH161064	अभ्यर्थी द्वारा परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी द्वारा वर्ष 2010 में डॉ. आर.एम.एस. इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भानपुरा, जिला मंदसौर से बी.फार्मेसी उत्तीर्ण की गई है। यह पीसीआई व राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त संस्थान है। संलग्न–10वीं, 12वीं व बीफार्मा की अंकतालिकाएं व प्रमाण पत्र, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल का रजिस्ट्रेशन।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
285	DEVENDRA PAREEK	PH117041	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने अंकतालिका के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में अवगत कराया है कि उनके द्वारा नियमानुसार आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से बी0 फार्मेसी वर्ष 2012 में किया है जिसकी प्रति संलग्न की है। अतः अंकतालिकाओ का सत्यापन कर प्रोविजनल चयन सूची में नाम जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
286	RENU SOLANKI	PH117277	अभ्यर्थियां द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर सीजीपीए अंकतालिकाओं के अंको की गणना कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

287	VINOD PIPESH	PH122316	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज आपीएमसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं का औषधि नियत्रंक से सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण परिणाम रोका गया है। औषधि नियत्रंक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
288	Anuradha	PH127287	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर पीसीआई से पंजीयन के अध्याधीन बाबत परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का परिणाम पीसीआई में पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया है। अभ्यर्थी पीसीआई में पहले से ही पंजीकृत है। अभ्यर्थी ने पोर्टल पर सही पीसीआई के अनुसार पंजीयन दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
289	DOONGAR RAM	PH129197	अभ्यर्थी द्वारा अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन परीणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अंतालिकाओं की जांच करवाकर रोके गये परिणाम को जल्द जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
290	MADAN LAL	PH134330	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अंतरिम परिणाम में खेल प्रमाण पत्र (उत्कृष्ट खिलाडी) के सत्यापन के अध्याधीन रोके गये परिणाम को जारी करवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में 44वीं सिनियर नेशनल हैण्डबॉल चैम्पियनशिप (पुरूष) को पार्टिशिपेशन सर्टिफिकेट एवं खेल से संबंधित अन्य पत्रादि प्रस्तुत कर परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट हैण्डबॉल खिलाडी है जिसका चयन फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में खेल कोटे से अंतरिम सूची में हो गया है परन्तु अभ्यर्थी का परिणाम खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया है। अभ्यर्थी ने खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन शीघ्र करवाकर	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम खेल प्रमाण पत्र के हैण्डबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से सत्यापन के अध्यधीन रोका गया है। प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

			परिणाम जारी करवाने हेतु लिखा है।		
291	VEENA SILAK	PH148156	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकतालिकाएं संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
292	KRISHAN KUMAR KAPURIYA	PH151359	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा केवल आरयूएचएस द्वारा जारी बी–फॉर्मा चतुर्थ वर्ष की अंकतालिकाएं संलग्न की है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
293	HARSH VARDHAN SHARMA	PH159826	अभ्यर्थी ने अंतरिम सूची में अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन होल्ड निस्तारण बाबत परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 28.12.2022, शपथ पत्र, बोर्ड ऑफ एक्जामिनिंग अथोरिटी द्वारा जारी डिप्लोमा इन फार्मेसी अंकतालिका एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर परिवेदना का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 66.567 प्रतिशत है जिसका सत्यापन दिनांक 26.09.2023 को करवाया जा चुका है। अभ्यर्थी का परिणाम अंतरिम सूची में पात्र होते हुये भी अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रखा जाकर होल्ड किया गया है। अभ्यर्थी ने उक्त परिवेदना का शीघ्र निस्तारण कर उचित मार्गदर्शन दिये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

294	SUCHITRA PAYAL	PH174278	अभ्यर्थियां द्वारा वरीयता सूची में मानवीय भूल से प्रार्थी का नाम होल्ड वाली सूची में डाल देने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
295	AARTI DASHORA	PH181654	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा जारी बी–फॉर्मा अष्टम सत्र अंकतालिका की प्रति एवं गाईडलाईन की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने मध्यप्रदेश राज्य से व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण की है, जिसके पश्चात राजस्थान राज्य में पंजीयन करवाया जाकर राजकीय चिकित्सालय, चित्तौडगढ़ में 1691 दिवस फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत रही है। अभ्यर्थी को व्यावसायिक योग्यता की ग्रेड सिस्टम अंकतालिका प्राप्त हुई है जिसके दूसरी तरफ ग्रेड के अंक के संबंध में विवरण अंकित है, जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का परिणाम सीजीपीए अंकतालिका के अंको की गणना के अध्यधीन रोका गया है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
296	PAWAN KUMAR	PH182841	अभ्यर्थी द्वारा सीजीपीए अंकतालिका के अंकों की गणना के अध्याधीन परिणाम रोके जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

297	Azra Qureshi	PH184043	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम सूची में सीजीपीए अंकतालिका के अंको की गणना के अध्याधीन रोके गये परिणाम के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में बी–फार्मा सीजीपीए अंकतालिकाएं, लच्छु मेमोरियल कॉलेज ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को बी–फार्मा अंक तथा प्रतिशत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अंतिम परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में ऑनलाईन आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी के ओबीसी जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 54.904 प्रतिशत है। अभ्यर्थी का परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं के आधार पर रोका गया है जबकि अन्य अभ्यर्थी शिवानी परिहार (116893) तथा पायल सैन (108090) का चयन सीजीपीए अंकतालिका के आधार पर हुआ है। अभ्यर्थी ने स्वंय का परिणाम जारी करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम सीजीपीए अंकतालिकाओं में कुल प्रतिशत प्राप्तांको की वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधित बोर्ड/संस्थान से प्राप्त करने हेतु रोका गया था। संबंधित बोर्ड/संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
298	PAVAN KUMAR	PH185924	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है जिनमें आवेदन फार्म की प्रति, आरपीसी रजि0 प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं एवं 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए, विशेष योग्जन जन प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न किये है।	अभ्यर्थी का परिणाम दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्‌देश्य से रोका गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
299	MOOLCH AND YADAV	PH188373	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल निम्न विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी–फॉर्मा अंकतालिकाए, अनुभव प्रमाण पत्र, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी का परिणाम अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। अंकतालिकाओं के सत्यापन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

300	GIRRAJ MEENA	PH217821	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 08.01.2020 की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26.09.2023 को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था जिसमें जारी सूची में अभ्यर्थी का नाम भी सम्मिलित था। अभ्यर्थी का अंतरिम चयन सूची में तकनीकी कारणों से नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जिसे सम्मिलित करने हेतु लिखा गया है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
301	DALA RAM	PH217824	अभ्यर्थी ने वरियता सूची में चयन बाबत परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2022, उच्च माध्यमिक अंकतालिका, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एज्युकेशन एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग, चंडीगढ द्वारा जारी 02 वर्षीय फार्मेसी कोर्स की अंकतालिका एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जारी अंतरिम चयन सूची में परिणाम आरपीसी पंजीयन के सत्यापन के अध्यधीन रोका गया है जबकि अभ्यर्थी आरपीसी से पंजीयन दिनांक 18.12.2022 को हो चुका है जिसका क्रमांक 70153 है जिसके सभी दस्तावेज भी जमा करवाये जा चुके है। अभ्यर्थी द्वारा स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया था। राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त सत्यापन संबंधी सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

302	VIPUL GOGAR	PH114489	प्रार्थी द्वारा परिवेदना के साथ खेल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर नेशनल स्पोर्टस सर्टिफिकेट "स्वीमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया" जो की इण्डियन औलम्पिक एसोसिएशन के अन्तर्गत आता है और विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार कार्मिक विभाग के आदेश के तहत जो भी खिलाडी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है उसमें उत्कृष्ट खिलाडी माना जाता है के संबंध में उल्लेख कर स्वयं के रोके गये परिणाम को जारी कर नाम अंतिम याग्यता सूची में डालने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का भर्ती परिणाम खेल प्रमाण पत्र के स्वीमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से सत्यापन के अध्यधीन रोका गया है। प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
303	MANOJ KUMAR	PH165521	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा केवल आरयूएचएस द्वारा जारी बी–फॉर्मा की अंकतालिकाएं संलग्न की गई है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जातिवर्ग वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.334 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
304	SHABANA ZAFFAR	PH118771	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में घोषित परिणाम में कटऑफ प्रतिशत से अधिक अंक होने के उपरांत भी चयन सूची में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना प्रस्तुत की है।अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट पद हेतु सामान्य श्रेणी में आई0डी0 संख्या 118771 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन में गणना किये गये अंक 56.100 प्रतिशत है।	अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अंकतालिकाओं के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना कर ली गई है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.357 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
305	SUSHILA KANWAR	PH206547	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं होने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में डी–फार्मा द्वितीय वर्ष (पूरक) अंकतालिका प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 48.891 प्रतिशत है जबकि फार्मासिस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र की ईडब्लयूएस महिला वर्ग की कटऑफ 48.155 प्रतिशत है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.900 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं	

			अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने उक्त परिवेदना का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।	है।	
306	MANOJ GAHLOT	PH137422	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन पोर्टल में मार्क्स करेक्शन बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि 44.02 प्रतिशत पर एससी मेल श्रेणी में चयन हुआ है, जबकि आकलन करने के बाद अभ्यर्थी के 45.045 अंक प्राप्तांक बन रहे है। अभ्यर्थी के फार्मेसी में कुल प्रतिशत 63.01 है और इन्टरमीडिएट में 65.6 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी ने सही अंक दर्ज करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर अभ्यर्थी के व्यावसायिक योग्यता में 62.892 प्रतिशत बनते है जिनके 70 प्रतिशत अंकों की गणना करने पर 44.024 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.592 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
307	SALONI JAIN	PH127743	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल शैक्षणिक, व्यावसायिक, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पंजीकरण आदि प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.521 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
308	Poonam Upadhyay	PHT142495	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल अंतरिम वरियता सूची में सभी वर्गो से संबंधित कट ऑफ की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.449 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग टीएसपी अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
309	MAMTA KUMARI GURJAR	PH134355	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.200 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग टीएसपी अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
310	VACHANA RAM	PH137667	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिका एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 25.08.2009 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.404 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग एमबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

311	KOSAR JAHAN ANSARI	PH155909	अभ्यर्थी ने कटऑफ मार्क्स के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 50.181 प्रतिशत है। अंतरिम वरियता सूची में ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 48.821 प्रतिशत है, जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने उक्तानुसार जांच कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.433 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
312	SOURABH SHARMA	PH143668	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.450 जो की ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 64.967 से अधिक होने के बाद भी चयन सूची से नाम विलोपित कर दिया गया है साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन दौरान प्रार्थी की स्नातक डिग्री बी–फार्मा की मूल अंकतालिका के प्राप्तांकों की जांच किये जाने पर कुल योग 3299 के स्थान पर 3236 अंकित होना पाया गया है जिसको प्रार्थी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सही करा लिया गया है तथा शुद्धिकरण उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा प्रार्थी की अंकतालिका में प्राप्तांकों का सही कुल योग 3299 अंकित कर पुनः अंकतालिका जारी की गई है जो कि पूर्व में जारी अंकतालिका के प्राप्तांकों के कुल योग से 63 अंक अधिक होने का उल्लेख कर परिवेदना प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक गौर फरमाते हुए प्रार्थी को कोविड कालावधि के अतिरिक्त कार्यावधि का पृथक से बोनस अंक आदि का लाभ प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। (अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 3299 मानकर गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान महाप्रबंधक, भरतपुर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, भरतपुर द्वारा 567 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अभ्यर्थी के 15 प्रतिशत बोनस अंकों सहित 56.238 प्रतिशत बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

313	MAHENDRA KUMAR SAINI	PH149304	अभ्यर्थी ने मात्र परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है। कोई परिवेदना नहीं दी है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.600 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
314	PURKHA RAM	PH122243	अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति पुरूष वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के औसत प्रतिशत अंक 46.200 है जबकि अनुसूचित जाति पुरूष वर्ग की कटऑफ 45.592 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थी का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अपने आरपीसी लाइसेंस की रिन्यूअल को ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 को भरने से अवगत कराया है। प्रार्थी ने आरपीसी रिन्यूअल, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है। अभ्यर्थी को औसत प्राप्तांक 36.900 प्रतिशत प्रदान किये गये है जो कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी तदोपरान्त दस्तावेज सत्यापन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 2100 में से 1107 बनते है जिनके 70 प्रतिशत गणना के आधार पर 36.900 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
315	VANEETA KANWAR RANAWAT	PHT108964	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के औसत प्रतिशत अंक 48.525 है जबकि ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग की कटऑफ 48.188 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थिया का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया ने आरपीसी रिन्यूअल, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग में किया गया है। नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण के संबंध में कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्र में उनके अनारक्षित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

316	Anjuman	PH158945	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के व्यावसायिक अंकतालिका के अंकों में संशोधन करने बाबत् निवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा दिनांक 24.08.2023 को 54.403 प्रतिशत अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया गया था। उनके द्वारा अवगत कराया है कि आप द्वारा मात्र 63.432 प्रतिशत अंकों के 70 प्रतिशत निकालकर कुल औसत प्रतिशत 44.403 एवं 10 बोनस अंक देकर औसत प्राप्तांक 54.403 प्रतिशत के आधार पर डीवी में आमंत्रित किया गया जबकि उनके व्यावसायिक योग्यता में कुल प्रतिशत 65.195 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल औसत प्रतिशत अंकों की गणना में त्रुटि से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने अपनी अंतिम वर्ष की बी0फार्मा की अंकतालिका संलग्न की है जिसमें 8वें सेमेस्टर में 447 अंक प्रदान किये गये है जबकि अंकतालिका के अंत में वर्षवार सभी अंक प्रदर्शित किये है जिनका कुल योग 2999/4600 अंकित है जिसके आधार पर कुल प्रतिशत 65.195 बनते है। अभ्यर्थियां ने अपनी परिवेदना के बिन्दु संख्या 2 में अवगत कराया है कि फार्मेसी डिग्री की मार्कशीट में अंतिम वार्षिक एक्जाम परिणाम द्वारा गौतम बुद्धा टेक्निकल विश्वविद्यालय के अनुरूप 4600 अंकों में से मान्यकरण होते है। जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंकों की गणना पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक बढती दर आरोही अंश के आधार पर की जाती है। जो स्नातक बी0फार्मा डिग्री के सत्यापन के अनुसार मार्कशीट के 'द ग्रेड टोटल' से संबंधित होती है। जो क्रमशः प्रथम वर्ष के अंकों का 1/4, द्वितीय वर्ष के अंका का 1/2, तृतीय वर्ष के अंकों का 3/4 एवं अंतिम	पूर्व में नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ष के पृथक-पृथक अंकों को जोडकर कुल अंकों के योग में से कुल प्राप्तांकों के योग का 70 प्रतिशत गणना कर मेरिट तैयार की जानी होती है। समानता की दृष्टि से यही प्रणाली अन्य भर्तियों में भी अपनाई गई है। अतः इस पद्धति से गणना करने पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.403 प्रतिशत बनते है जिसमें 10 बोनस अंक जोडने के उपरान्त इनके कुल प्राप्तांक 54.403 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी में चयनित अन्तिम महिला अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			वर्ष के अंकों का संपूर्ण मार्कस दिया जाना से है जिसके अनुसार गणना पर 65.195 प्रतिशत की योग्यता बनती है। अतः 1.234 अंकों का अंतराल मेरिट सूची में अपेक्षित है। अतः अंक प्रतिशत सही करते हुए प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित करने का श्रम करावे।		
317	DEEKSHA SHARMA	PH205266	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है जिनमें आवेदन फार्म की प्रति, डीवी लिस्ट एवं 256 दिवस का फार्मासिस्ट पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 10.07.2022 से 30.04.2023 तक 256 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि का नहीं होने एवं 01 वर्ष से कम अवधि का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
318	BABU LAL SAINI	PH155976	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल एक सूची संलग्न की है जिसमें प्रार्थी के कुल औसत प्राप्तांक 62.766 अंकित किये गये है जो प्रोविजनल चयन सूची की ओबीसी एनसीएल की कटऑफ प्राप्तांक से कम है संलग्न की है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
319	ANITA CHOUDHARY	PH147948	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के औसत प्रतिशत अंक 61.867 है जबकि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 49.821 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थिया को नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया ने डीवी लिस्ट, आरपीसी प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, व्यवसायिक अंकतालिकाऐं संलग्न की है। अभ्यर्थियां ने 207 दिवस का फार्मासिस्ट पद का अनुभव प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि के दौरान कार्य करने के कॉलम में 'हॉ' की प्रविष्टि अंकित की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में 15 प्रतिशत बोनस अंकों सहित आमंत्रित किया गया किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 01.09.2022 से 04.05.2023 तक कुल 207 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि कोविड अवधि का नहीं होने एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			संलग्न किया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते है जिसकी उनकी औसत प्रतिशत 46.867 बनती है। अभ्यर्थिया ने दस्तावेज संलग्न कर स्वयं का नाम प्रोविजनल चयन सूची में जोड़ने बाबत् निवेदन किया है।		
320	HIMANSHI BHATI	PHT148629	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.348 जो की महिला टीएसपी की कट ऑफ 50.021 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अंकतालिकाओं के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.082 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 50.021 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
321	BHARAT KUMAR	PH218364	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर मार्क्स में करेक्शन करवाने बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी द्वारा प्रोविजनल सूची तथा परिणाम रोके गये अभ्यर्थी की टोटल संख्या 2819 पद ही हो रही है तथा 21 अभ्यर्थी ऐसे है जो कि टीएसपी और नॉनटीएसपी दोनो सूचियों में शामिल है। इस कारण 21 अभ्यर्थी इस सूची में शामिल होने से वंचित हो गये है तथा बाकी शेष पदों की प्रोविजनल सूची जारी कर योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति देकर राहत प्रदान करें।	अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अंकतालिकाओं के अनुसार गणना करने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.433 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थी द्वारा टीएसपी एवं नॉनटीएसपी वर्ग में 21 समान अभ्यर्थियों के चयन के सबंध में उल्लेख किया है जिनका चयन नियमानुसार किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

322	PRIYANKA RAHORIA	PH124171	अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। बीफार्मा की अंकतालिका संलग्न की हैं।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.423 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
323	NAVAL KISHOR REGAR	PH100929	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जातिवर्ग से किया गया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.985 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
324	KANTA MENARIYA	PH116245	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची में कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजुद नाम नहीं होने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में आरयूएचएस द्वारा जारी डी–फार्मा द्वितीय वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत कर वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी का फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में ईडब्लयूएस वर्ग में दिनांक 25.08.2023 को क्रम संख्या 1186 पर दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 48.388 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 48.155 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सम्मिलित है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.067 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
325	MANISHA GOYAL	PH152064	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव के आधार पर 10 प्रतिशत बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.85 जो की ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी की कट ऑफ से अधिक है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी तदोपरान्त दस्तावेज सत्यापन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			हेतु निवेदन किया है।	किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.833 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ कनिष्ट विशेषज्ञ, सीएचसी राजलदेसर चुरू द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किये जाने के कारण मान्य नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	
326	NARPAL YADAV	PH157372	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में आवेदन संख्या 157372 में अनुभव के बोनस अंक 15 के स्थान पर 10 ही जोडे जाने पर संशोधन कर 15 करने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र कुल 454 दिवस (01.02.2022 से 30.04.2023, जारी दिनांक 01.06.2023) प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी को कोरोना काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत अवधि के अनुसार राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है जबकि अभ्यर्थी को 10 बोनस अंक ही दिये गये है। अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने पर कुल औसत प्राप्तांक 60.633 प्रतिशत के स्थान पर 65. 633 प्रतिशत अंक होते है जिस आधार पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित तथ्य सारहीन है क्योंकि अभ्यर्थी को पूर्व से ही 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अभ्यर्थी के 15 प्रतिशत बोनस अंकों सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.633 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
327	EKTA AJMERA	PH158370	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका, राज्य के अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका, आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, डी फार्मा अंकतालिका की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किये अनुभव प्रमाणपत्रों के अनुसार इनका अनुभव 440 दिवस का है जिसमें कोविड अवधि सम्मिलित नहीं है। अतः केवल एक वर्ष के अनुभव के 10 प्रतिशत बोनस अंकों सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.200 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

328	PINKI KUMARI	PH169021	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 20.09.2022 से 04.05.2023), रिन्युअल प्रमाण पत्र, डी–फॉर्मा अंकतालिकाएं, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जारी दिनांक 29.08.2023), मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में क्रम संख्या 2057 पर अंकित था। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जारी अंतिम सूची में ओबीसी महिला वर्ग में औसत प्राप्तांक 49.821 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 60.235 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जाकर वरियता सूची में नाम अंकित नहीं होने का कारण स्पष्ट किये जाने का निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 20.09.2022 से 04.05.2023 तक कुल 222 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि का नही होने एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ प्रदान नही किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
329	VIKAS SHAH	PHT155169	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की गई है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.713 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग टीएसपी अनारक्षित जातिवर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.100 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
330	KOMAL PANCHAL	PHT162193	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, रिन्युअल प्रमाणपत्र, डी–फॉर्मा अंकतालिका, विशेष मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र (जारी दिनांक 20.12.2022) की प्रति प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.500 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग टीएसपी अनारक्षित जातिवर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.021 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

331	LALIT KUMAR	PH164460	प्रार्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड–19 अवधि के दौरान आवश्यक अस्थाई आधार पर हुई नियुक्ति के तहत 10 दिवस के कार्यानुभव के 15 बोनस अंक एवं कोविड 19 अवधि के पश्चात हुई नियुक्ति के तहत 368 दिवस के 1 वर्ष से अधिक के कार्यानुभव के राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में 10 बोनस अंक देने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर स्वयं का नाम अंतिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की कट ऑफ 63.888 से कम प्राप्तांक प्रतिशत 58.113 होने के कारण प्रोविजनल सूची में चयन नहीं हुआ है।	अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
332	BHARAT CHOUDHARY	PH169458	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर डिप्लोमा प्रतिशत में अनुभव के आधार पर 20 प्रतिशत अंकों के अतिरिक्त कोविड अवधि में किये गये कार्य के आधार पर अतिरिक्त 05 अंक का लाभ देकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.867 होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव का लाभ देते हुये प्रार्थी का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंकों सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
333	JAID AHAMAD	PH182096	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर एक वर्ष से अधिक कार्यानुभव के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों के अतिरिक्त कोविड अवधि में किये गये कार्य के आधार पर अतिरिक्त 15 अंक का लाभ देकर दिये गये बोनस अंकों में संशोधन के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव का लाभ देते हुये प्रार्थी का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

334	MANISH KUMAR KUNDAL WAL	PH190875	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.245 जो की कट ऑफ 63.888 से अधिक है होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवदना प्रस्तुत कर प्रार्थी के द्वारा लगाई गयी रीट याचिका 4128/2024 में पारित निर्णय को भी ध्यान में रखकर अनुभव के 25 अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम तथा अन्तिम सूची में चयन करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार वास्तवित प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि सहित 722 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों सहित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.245 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थी द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है। रिट याचिका संख्या राहुल सिंह चौहान बनाम सरकार में विभाग की ओर से इस बाबत एक शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	श्री मनीष कुमार कुन्दनवाल द्वारा अनुभव के 25 अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम तथा अन्तिम सूची में चयन करने हेतु निवेदन किया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.4.2023 के अनुसार बोनस अंक देने के सम्बन्ध में केवल 10,15,20 व 30 अंकों का ही प्रावधान है जिसे नियमानुसार दिया जा सकता है। 25 अंक दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः तद्नुसार याचिकाकर्ता श्री मनीष कुमार कुन्दनवाल की परिवेदना अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है।
335	POOJA KUMARI	PH122546	अभ्यर्थी के अनुसार उसके प्राप्तांक 50.736 प्रतिशत है जबकि ओबीसी महिला की कटऑफ 49.821 प्रतिशत रही है। अतः एक बार पुनः जॉच करने का निवदेन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतो की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी तदोपरान्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान डी.फार्मा. की अंकतालिकायें प्रस्तुत कर आवेदन के साथ अपलोड़ कराई गई जिसके आधार पर अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 2100 में से 1292 है जिनके 70 प्रतिशत के आधार पर गणना करने पर 43.067 प्रतिशत बनते है। अब अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ स्वयं के आवेदन के समय संलग्न बी फार्मा की अंकतालिकाओं के आधार पर स्वयं के प्रतिशत प्राप्तांक 50.736 होना दर्शाया है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अभ्यर्थिया द्वारा तृतीय वर्ष के पूर्णांक 1400 के स्थान पर 1125 से गणना की गई है जबकि इनके तृतीय वर्ष की अंकतालिका अनुसार वास्तविक पूर्णांक 1400 है जिसके अनुसार गणना करने पर 43.067 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम है। साथ ही यह भी अवलोकनीय है कि अभ्यर्थी की अंकतालिकाकओं पर "लेटरल एंट्री" अंकित है। डीबी याचिका सं. 21/2016 बजरंगलाल व अन्य बनाम	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				सरकार में "लेटेरल एंट्री" के मामलो बी फार्मा के अंकों को नहीं जोड़े जाने के आदेश पारित किये है। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	
336	PRIYANSHI JAIN	PHT123976	अभ्यर्थी ने बी–फॉर्मा की डिग्री को प्राथमिकता देने बाबत परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने आई0डी0 123976 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन सूची में बी–फॉर्मा से चयन हुआ था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन के दौरान मौजूद अधिकारी द्वारा धमका कर बी–फॉर्मा के स्थान पर डी–फॉर्मा से आवेदन स्वीकार किया जावें, का हस्तलिखित दस्तावेज लिया गया। अतः अभ्यर्थी की परिवेदना को समझ कर चयन किया जावें।	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.08.2023 में लिये गये निर्णय संख्या 12 क्रम संख्या 12 के अनुसार माननीय न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी याचिका संख्या 21/2016 बजरंग लाल व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2016 के द्वारा माननीय न्यायालय ने सिविल रिट संख्या 15353/2015 संतोष कुमार गुप्ता बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2015 को खारिज कर दिया गया है इसके अनुसार क्वालिफाईंग एक्जाम अर्थात डिप्लोमा अथवा डिग्री के अंको की गणना सम्मिलित किया जाना चाहियें। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा के आधार पर किया हुआ है एवं जिसमें बीएससी को अतिरिक्त योग्यता दर्शाया है के डिप्लोमा अंको की गणना की जानी उचित होगी। इसी प्रकार पोस्ट बेसिक बीएससी अथवा एमएससी क्वालीफाईंग एक्जाम नही है अतः इसके प्राप्तांको को गणना में सम्मिलित नही किया जा सकता है। ऐसे आवेदको के डिप्लोमा के अंको को ही गणना में सम्मिलित किया जाना है। तद्नुसार समान निर्णय को फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में भी लागू करते हुये मेरिट सूची तैयार की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

337	SATVEER SINGH RATHORE	PH118508	अभ्यर्थी ने अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो निम्न प्रकार है:– 1. फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में जारी अंतरिम वरियता सूची दिनांक 05.07.2024 में ओबीसी पुरूष वर्ग में कितने चयनित हुये है। 2. खेल कोटे में 2 प्रतिशत हॉरिजोन्टल आरक्षण देय है। ओबीसी पुरूष वर्ग की खेल कोटे में कितनी सीट है तथा कितने अभ्यर्थी अंतरिम सूची में चयनित हुये है। 3. अगर ओबीसी पुरूष वर्ग की खेल कोटे में सीटो से ज्यादा पुरूष अभ्यर्थी चयनित हुये है तो किस नियम के तहत किये गये है। 4. अंतरिम सूची में खेल कोटे की सीटो पर चयनित अभ्यर्थी के अलावा जो अंतरिम सूची में खेल कोटे में रखी है (लगभग 38 सीट) जो खेल कोटे से लगभग 5 गुना है (ओबीसी पुरूष) जो खेल कोटे की ज्यादा सीटो से अंतरिम सूची में है वह सीट अंतिम सूची में मूल ओबीसी पुरूष सीटों में जोड दी जायेगी, की जानकारी चाही है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मांग पत्र प्रस्तुत किया है। फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदकों की पात्रता एवं योग्यता से संबंधित बिन्दुओं पर नियमानुसार/सक्षम स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्व से ही की जा रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
338	OMPRAKASH SHARMA	PH157807	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अन्तर्गत आईडी संख्या पीएच 157807 से ईडब्ल्यूएस (पुरूष) में आवेदन किया था। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उक्त भर्ती के अन्तर्गत कई अभ्यर्थियों द्वारा दो–दो चिकित्सा संस्थानों में एक ही अवधि में कार्य किया है, के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देकर प्रोविजनल सूची में अनुचित तरीके से सम्मिलित किया गया है। जिससे अभ्यर्थी जैसे पात्र अभ्यर्थी वरीयता सूची में अपना स्थान बना पाने में असफल रह गये। अतः अभ्यर्थी ने निवेदन किया है कि अनुचित तरीके से वरीयता सूची में स्थान बनाने वाले अभ्याथियों को	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जिस पर अनुभव प्रमाणपत्रों के सत्यापन के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			हटा कर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने का श्रम करावें। संलग्न–एप्लीकेशन फॉर्म एवं अनुभव प्रमाण पत्र		
339	DINESH KUMAR ACHARYA	PH139591	अभ्यर्थी ने अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने (अन्य पिछड़ा वर्ग मेल (पुरूष) में कुल कितने चयनित हुए/ अन्य पिछड़ा वर्ग मेल (पुरूष) की खेल कोटे में कितने चयनित/ अन्य पिछड़ा वर्ग मेल (पुरूष) खेले कोटे में किस रूल से चयनित अभ्यर्थियों/ अन्तिम सूची में खेल कोटे की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों के अलावा जो अन्तरिम सूची में खेल कोटे में रखी (लगभग 38 सीटे) जो खेल कोटे से लगभग पॉच गुना (ओबीसी पुरूष)/ जो खेल कोटे की ज्यादा सीटों से अन्तरिम सूची में है। वह सीट अन्तिम सूची में मूल ओ.बी.सी. पुरूष सीटों में जोड़ दी जायेगी।) इन सभी की सूचना चाही है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जो विभाग द्वारा जारी भर्ती परिणाम से प्राप्त की जा सकती है। शेष भर्ती प्रक्रियाधीन होने से वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
340	DEVILAL GHINTAL A	PH184685	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल 50 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल 50 अन्य अभ्यर्थियों की सूची संलग्न की है जिसके संबंध में भी कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
341	ISHAN RAGHAV	PH171601	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल स्वयं की 10वीं की अंकतालिका संलग्न की है जिसमें गणित विषय को पास करने की अंकतालिका भी संलग्न की है।	अभ्यर्थी का परिणाम जारी किया जा चुका है। परिवेदना का कारण स्पष्ट नही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
342	CHHAGA N LAL SHARMA	PH134906	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सामान्य वर्ग के 20 अभ्यर्थी एवं ईडब्ल्यूएस के 09 अभ्यर्थी की सूची जिनका टीएसपी तथा नॉन टीएसपी दोनों श्रेणियों में चयन हुआ है की प्रतिलिपि संलग्न की है।	नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन करने हेतु योग्य अभ्यर्थी है। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित दोनो में आवेदन किया गया है उनका दोनो क्षेत्रो में चयन किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

343	RENU BHATI	PH110188	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कुछ अभ्यर्थी जिनका टीएसपी एवं एनटीएसपी दौनो क्षेत्रो में चयन हुआ है का उल्लेख करते हुये जो अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र में कार्यग्रहण करेगा तो एनटीएसपी क्षेत्र में पद रिक्त रहेंगे। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया से 1 प्रतिशत का अन्तर होने का उल्लेख करते हुये स्वयं का एनटीएसपी क्षेत्र में चयन किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का चयन नहीं होने के कारण कुछ अभ्यर्थी जिनका टीएसपी एवं एनटीएसपी दोनो क्षेत्रो में चयन हुआ है का उल्लेख करते हुये स्वयं का एनटीएसपी क्षेत्र में चयन किये जाने बाबत् निवेदन किया है। पद रिक्त रहने की स्थिति में मेरिट अनुसार वेटिंग तैयार की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
344	MANISHA SUTHAR	PH141238	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में कुल औसत प्राप्तांक 49.819 प्रतिशत है जबकि ओबीसी महिला श्रेणी की अंतरिम कटऑफ 49.821 प्रतिशत है। टीएसपी एवं नॉन–टीएसपी में 11 अभ्यर्थी का दोनो सूची में चयन किया गया है जबकि अभ्यर्थी एक ही पद पर ज्वाईन कर सकता है, जिसके आधार पर 11 पद रिक्त रहेंगे। अभ्यर्थी के कटऑफ प्रतिशत से 0.002 प्रतिशत ही कम है। अतः अभ्यर्थी ने नॉन–टीएसपी में आवेदन को स्वीकार किये जाने हेतु लिखा है।	नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन करने हेतु योग्य अभ्यर्थी है। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित दोनो में आवेदन किया गया है उनका दोनो क्षेत्रो में चयन किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
345	SARUPA RAM	PH218292	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अंतरिम परिणाम के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि 1. फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के विज्ञप्ति अनुसार कुल 3061 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे लेकिन अंतरिम चयन सूची में गैर अनुसूचित जाति के 2361 अभ्यर्थी तथा अनुसूचित श्रेणी के 182 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई तथा परिणाम रोके गए कुल 275 अभ्यर्थी है जो कि 2361 182 275 कुल 2818 अभ्यर्थियों की जारी हुई, जिसमें 3061 . 2818 शेष रहे 218 पदों के	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर देना हेतु परिवेदना समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वय के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल प्रश्न पूछे गये है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			बारे में कोई विवरण अंकित नहीं है, इनका क्या परिणाम रहा, के बारे में अवगत कराने हेतु लिखा है। 2. फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम सूची में अलग–अलग कारणों से कुल 275 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, क्या यह वही अभ्यर्थी है जो नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 19.06.2024 कार्यवाही विवरणानुसार फार्मासिस्ट भर्ती में पाए गए 116 अभ्यर्थियों की फर्जी अंकतालिका तथा आरपीसी द्वारा 04 अभ्यर्थियों का पंजीयन रद्द किया गया है, के बारे में अवगत कराने हेतु लिखा है। 3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में चाही गई परिवेदना अनुसार शेष 218 पदों की अतिरिक्त सूची जारी होगी या अन्य वर्ग को पद आवंटित किया गया है/किया जायेगा, के बारे में अवगत कराने हेतु लिखा है। 4. यदि ओबीसी, एमबीसी वर्ग में महिला, भूतपूर्व सैनिक या संबंधित वर्ग की अन्य पदों की रिक्तता रहने पर संबंधित वर्ग के पद पुरूष (संबंधित वर्ग) से भरे जाएंगे या नहीं ?, के बारे में अवगत कराने हेतु लिखा है।		
			5. अंतरिम चयन सूची में परिणाम रोके गए अलग–अलग कुल 275 अभ्यर्थियों का रिकार्ड सत्यापन नहीं होने पर अन्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जावेगा या नहीं किया जावेगा, के बारे में अवगत कराने हेतु लिखा है। 6. फार्मा पद के अंतिम चयन पश्चात अगर कोई अभ्यर्थी पद ग्रहण नहीं करते है तो दूसरो को अवसर दिया जावेगा या नहीं, के बारे में अवगत कराने हेतु लिखा है। अभ्यर्थी ने उक्त परिवेदना का निस्तारण किये		

			जाने हेतु निवेदन किया है।		
346	KHARADI HETAL CHANDRA VADAN	PHT105088	अभ्यर्थी ने टीएसपी (महिला सामान्य) की वरियता सूची में अंतरिम कटऑफ 50.021 तथा अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 50.010 प्रतिशत में 0.01 प्रतिशत का अंतर होने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में गुजरात टेक्नोलॉजीकल युनिर्वसिटी की बी–फॉर्मा सीजीपीए अंकतालिकाएं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में टीएसपी सामान्य महिला के रूप में आवेदन किया था, जिसमें टीएसपी सामान्य महिला की कटऑफ 50.021 प्रतिशत है जबकि अभ्यर्थी का औसत प्राप्तांक 50'010 प्रतिशत है। अभ्यर्थी के प्रतिशत एवं कटऑफ प्रतिशत में 0.01 प्रतिशत का अंतर है। भर्ती में कई अभ्यर्थियों द्वारा टीएसपी एवं नॉन टीएसपी दोनो में आवेदन किया गया है। यदि किसी कारणवश टीएसपी सामान्य महिला का पद रिक्त होता है तो अभ्यर्थी द्वारा स्वंय को प्राथमिकता प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है।	नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन करने हेतु योग्य अभ्यर्थी है। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित दोनो में आवेदन किया गया है उनका दोनो क्षेत्रो में चयन किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
347	ANIMESH CHIPPED	PHT125886	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों की पूर्ण सूची एवं कटऑफ जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है ताकि अभ्यर्थी को भी राज्य सरकार में कार्यरत होने का अवसर प्राप्त हो।	अभ्यर्थी ने कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की हैं केवल मागपत्र प्रस्तुत किया गया हैं । संबंधित सूचना भर्ती हेतु जारी की गई विज्ञप्ति तथा अन्तरिम चयन सूची में पूर्व से ही उपलब्ध है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

348	DEV VRAT GURJAR	PH147679	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर टीएसपी क्षेत्र की बैकलॉग रही 93 पदों को वर्तमान भर्ती में एनटीएसपी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी से भरे जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि टीएसपी क्षेत्र में बैकलॉग रहे पदों को एनटीएसपी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी से भरे जाने हेतु निवेदन किया है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही संभव नहीं है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
349	RAJKUMAR KUMAWAT	PH199585	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर टीएसपी क्षेत्र की बैकलॉग रही 93 पदों को वर्तमान भर्ती में एनटीएसपी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी से भरे जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि टीएसपी क्षेत्र में बैकलॉग रहे पदों को एनटीएसपी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी से भरे जाने हेतु निवेदन किया है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही संभव नहीं है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
350	ASHWIN KUMAR	PH205690	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में एमबीसी वर्ग की सामान्य श्रेणी के शेष रिक्त पदों पर वर्गवार भर्ती करने बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि योग्य डिग्रीधारियों अभ्यर्थियों के आवेदन कुल 2859 पदों पर आमंत्रित किये गये थे। जिसमें से एमबीसी वर्ग के सामान्य श्रेणी के 88 पद थे। उक्त भर्ती में 200 पद बढाये गये थे, जिसमें से एमबीसी श्रेणी के लिये 07 अतिरिक्त पदों की वृद्वि हुई थी। तथा भूतपूर्व सैनिक हेतु 15 पद आरक्षित है। जिनकी भर्ती विज्ञप्ति के बिन्दु क्रमांक 08 अनुसार भूतपूर्व सैनिक नहीं होने पर सामान्य प्रक्रिया द्वारा भरा जाना है। इस प्रकार एमबीसी के सामान्य श्रेणी के कुल 110 पदों पर फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 का आयोजन किया गया। परन्तु एमबीसी के 77 सामान्य श्रेणी में चयन किये गये है। तथा 33 पद भर्ती होने के बाद शेष रह गये। एमबीसी वर्ग की सामान्य श्रेणी	कार्मिक विभाग के द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशो के क्रम में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में रोस्टर अनुसार एमबीसी एनसीएल वर्ग हेतु आरक्षित निर्धारित सभी पदों को एमबीसी एनसीएल वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जा चुका है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			की कट ऑफ 44.697 है। अतः अभ्यर्थी ने विज्ञप्ति अनुसार शेष पदों पर परिणाम जारी कर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने का निवेदन किया है।		
351	FARUKH KHAN	PH149186	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सुची में ओबीसी पुरूष की पूरी 399 सीटें भरने तथा ऐसा नहीं करने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय में उक्त मामला दायर करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर टीएसपी क्षेत्र से खाली रही सिटों को एनटीएसपी में शिफट करने अनारक्षित से भरने के संबंध में निवेदन किया है ताकी योग्य फार्मासिस्टों का भला हो सके।	टीएसपी क्षेत्र में रिक्त रहे पदों को एनटीएसपी में सम्मिलित कर भरे जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर मांग प्रस्तुत की है जिस पर समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
352	PRASHANT KUMAR TAILOR	PH167190	अभ्यर्थी द्वारा अवगत करवाया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के लिये विस्तृत विज्ञप्ति कमांक 4650 जारी की गई थी जिसमें कुल 2859 पदों का कैटेगरी वाईज वर्गीकरण किया गया था परन्तु बाद में इसमें 208 पदों की वृद्धि की गई थी जिसके अनुसार फार्मासिस्ट के कुल 3067 पद भरे जाने है परन्तु आपके द्वारा दिनांक 5.7.24 को प्रोविजनल सूची जारी की गई जिसमें कुल 2818 पदों की ही सूचना देखने को मिली इसमें भी 249 पदों को रिक्त रखा गया है। अतः बाकी बचे हुए 208 पदों का समावेश नहीं किया गया है अतः बाकी बचे हुए 249 पदों को रिक्त या बेकलॉक नहीं रख कर इन पर भी मेरिट जारी करे जिससे 3067 पदों पर पूर्ण रूप से भर्ती हो सके एवं शेष वंचित रहे फार्मासिस्टों का भविष्य भी संविदा से मुक्त होकर नियमित कर्मचारी के रूप में	फार्मासिस्ट भर्ती 2023 हेतु जारी अंतरिम वरीयता सूची में कार्मिक विभाग द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार जारी की गई है। उक्त वरीयता सूची में बैकलॉग रहे पदों को आगामी भर्ती में सम्मिलित कर भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			उज्जवल हो के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है।		
353	MOHAMMED RAFIK	PH111955	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर फार्मासिस्ट भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (बारहवी कक्षा) के अंकों को भी अन्य पैरामेडीकल भर्तीयों की तरह कंसीडर किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई हैं बल्कि फार्मासिस्ट भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (बारहवी कक्षा) के अंकों को भी अन्य पैरामेडीकल भर्तीयों की तरह कंसीडर किये जाने हेतु निवेदन किया है जो नियमानुसार मान्य नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
354	DHARMENDRA	PH100112	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट पद, योजना–एमएमवी–एनएचएम में कार्य अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र में पूरे माह के दिन काउंट नहीं करते हुये जारी अनुभव प्रमाण पत्र में पूरे माह के दिन की गणना कर अनुभव पुर्नसत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत परिवेदना प्रस्तुत की गई है। संलग्न–अनुभव प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी को 30 बोनस अंक देते हुए इनका चयन अनारक्षित श्रेणी में किया जाकर परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
355	PREETAM YADAV	PH103402	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आरपीसी रजिस्ट्रेशन एवं सीबीएसई सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी अंकतालिकाएं संलग्न की गई है। अभ्यर्थी को फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में दिव्यांगता (वन आर्म) होने के कारण अयोग्य किया गया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

356	Pankaj Kumar Khiyani	PH127847	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है जो निम्नानुसार है:— 1. अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट पद हेतु दिव्यांग श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन (127847) किया था। 2. कुल 3067 पदों में से 111 पद दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये गये थे। 3. कुल 164 अभ्यर्थियों की सूची मेडीकल जांच के लिये जारी की गई और दस्तावेज सत्यापन किया गया जिसमें अभ्यर्थी का नाम क्रम संख्या 105 औसंत प्राप्तांक 32.300 प्रतिशत सहित अंकित था। अभ्यर्थी तय समय पर मेडीकल जांच के लिये उपस्थित हुआ। 4. अभ्यर्थी के प्राप्तांक 32.300 प्रतिशत अंतिम चयनित अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 30.967 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। 5. अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है। 6. सूची में कुल 111 अभ्यर्थियों में से केवल 35 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है जिससे अन्य अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
			7. यदि उक्त तथ्यों के उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतिम/पूरक सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो कारण से अभ्यर्थी को अवगत करवाया जावें।		

357	RAMESH KUMAR SOLANKI	PH161512	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं होने के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना के संलग्नक में 10, 12, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, परमानन्द कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा डी–फार्मा जुलाई 99 से फरवरी 2003 तक बोनाफाईड स्टुडेन्ट होने का प्रमाण पत्र तथा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी डी–फार्मा की अंकतालिकाएं संलग्न कर निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में दिव्यांग श्रेणी में आई0डी0 संख्या 161512 द्वारा कुल औसत प्राप्तांक 35.66 प्रतिशत के आधार पर ऑनलाईन आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने उक्त परिवेदना का निस्तारण किये जाने हेतु लिखा है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
358	BHANWAR SINGH	PH149322	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी एमबीसी दिव्यांग श्रेणी का अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 52.900 प्रतिशत है जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

359	SHAHRUKH QURESHI	PH205053	अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी में 32.927 प्रतिशत प्राप्तांक के पश्चात् भी वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने कारण बताते हुए वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है। संलग्नः– दिव्यांग प्रमाण पत्र	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
360	BABITA KUMARI	PH151350	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आरपीसी रजिस्ट्रेशन, सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी अंकतालिकाएं, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी की अंकतालिकाएं संलग्न की है। अभ्यर्थी को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दिव्यांगता (वन आर्म) होने के कारण अयोग्य किया गया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
361	DEEPAK KUMAR SHARMA	PH112100	अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक विकलांग विशेष श्रेणी में आवेदन कर मल्टीपल शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र जो की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित है की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रार्थी को योग्य अभ्यर्थी मानकर प्रोविजनल सूची में शामिल करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				स्वीकार योग्य नहीं है।	
362	Mamta Choudhary	PH121578	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
363	NAND KISHOR	PHT140857	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में सामान्य श्रेणी से आवेदन किया जिसका दिव्यांग प्रतिशत 40 प्रतिशत से भी अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अंतिम सूची में नाम नहीं आने के कारण की जानकारी हेतु सूचना देने के संबंध में निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

364	RAMESH KUMAR	PH114434	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
365	RAGHAVENDRA SINGH RAJAWAT	PH109048	अभ्यर्थी ने अनारक्षित विशेष योग्यजन पुरुष वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के औसत प्रतिशत अंक 42.500 है एवं जबकि प्रोविजनल चयन सूची में उनसे कम अंक वाले विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस बाबत् उन्होने 06 अन्य अभ्यर्थियों का डेटा सारणीरूप में अपनी परिवेदना में अंकित किया है जिनकी आईडी संख्या निम्न है– पीएच108529, पीएच116632, पीएच137792, पीएच154039, पीएच125022, पीएच107615 है। अतः प्रार्थी ने स्वयं का चयन प्रोविजनल चयन सूची में करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

366	DALJEET SINGH	PH118991	अभ्यर्थी ने ओबीसी–एनसीएल–पीएच श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 47.167 प्रतिशत बताते स्वयं को ओबीसी एनसीएल पीएच की कटऑफ लगभग 30 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, आरपीसी प्रमाण पत्र, मूल एवं जाति निवास प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में जांच करे।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
367	JITENDER KUMAR	PH124781	अभ्यर्थी ने अनारक्षित पुरूष वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, मूल एवं जाति निवास प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
368	TARAVATI	PH125060	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को विशेष योग्यजन मानते हुए उसका लाभ देने हेतु निवेदन किया है एवं ओबीसी क्रीमीलेयर से ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी परिवर्तन हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने ओबीसी–सीएल–पीएच श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 47.43 प्रतिशत बताते हुए स्वयं को ओबीसी एनसीएल पीएच की कटऑफ लगभग 30	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने भूलवश आवेदन करते समय ओबीसी सीएल में आवेदन करने से अवगत कराया है एवं डीवी के समय इस त्रुटि को सही करने से अवगत कराया है जबकि उनका परिणाम में अभी भी ओबीसी सीएल ही अंकित होना बताया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं दिनांक 02.12.2022 का जारी ओबीसी एनसीएल का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
369	GANESH CHOUDHARY	PH104688	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है जिनमें आरपीसी रजि0 प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए, विशेष योग्जन जन प्रमाण पत्र (काईफोस्कोलियोसिस) एवं 582 दिवस का फार्मासिस्ट पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

370	BHAJAN LAL	PH204633	अभ्यर्थी ने ओबीसी–एनसीएल–पीएच श्रेणी में आवेदन किया है जिसका दिनांक 26.08.2023 को डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन किया गया था। अभ्यर्थी ने स्वयं का एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर की गठित जांच कमेटी से पीएच श्रेणी की जांच दिनांक 24.08.2023 को होने से अवगत करवाया है। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आवेदन करते समय त्रुटीवश पीएच श्रेणी में एसएलडी कर दिया गया था जबकि उनकी वास्तविक श्रेणी एलडी (लोकोमोटर डिसऐबीलिटी) है जिसके कारण मुझे प्रोविजनल सूची में शामिल नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, मूल एवं जाति निवास प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनकी दिव्यांगता (काइफोस्कोलियोसिस) होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के अनुरूप माननीय न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड के परीक्षण अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
371	SANDEEP SINGH	PH100210	अभ्यर्थी ने ओबीसी–एनसीएल–पीएच श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने स्वयं का एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर की गठित जांच कमेटी से दिनांक 26.08.2023 को पीएच श्रेणी की जांच से अवगत करवाया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 57.433 प्रतिशत बताते हुए स्वयं को ओबीसी एनसीएल पीएच की कटऑफ प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, आरपीसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, मूल एवं जाति निवास प्रमाण पत्र एवं 436 दिवस का फार्मासिस्ट पद का कोविड अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			किया है।		
372	KULDEEP SINGH	PH125135	अभ्यर्थी ने ओबीसी–एनसीएल–पीएच श्रेणी में आवेदन किया है जिसका दिनांक 25.08.2023 को डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन किया गया था। अभ्यर्थी ने स्वयं का एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर की गठित जांच कमेटी से पीएच श्रेणी की जांच से अवगत करवाया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 45.867 प्रतिशत बताते हुए स्वयं को ओबीसी एनसीएल पीएच की कटऑफ लगभग 30.867 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, आरपीसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 10वीं–12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐं, मूल एवं जाति निवास प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

373	GHAN SHYAM SWAMI	PH140720	अभ्यर्थी ने ओबीसी–एनसीएल–पीएच श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 39.00 प्रतिशत बताते हुए स्वयं को ओबीसी एनसीएल पीएच की कटऑफ लगभग 30 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र, आरपीसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
374	MADHU DEWAL	PH113052	अभ्यर्थियां ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल स्वयं से संबंधित विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (ड्वाफिज्म 50 प्रतिशत) संलग्न किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
375	NARESH KUMAR	PH180359	अभ्यर्थी द्वारा अन्तरिम वरियता सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.043 से कम प्राप्त प्रतिशत (क्रम संख्या 2224 के कुल अंक 41.604 होने के बाद भी चयन होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर चयन प्रकिया में हुई उक्त मानवीय गलती को सुधारने के संबंध में निवेदन किया है ताकी एक दिव्यांग अभ्यर्थी को न्याय मिल सकें।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
376	HANS RAJ BHAMBHU	PH107621	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल पीएच श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.067 से कम अंक प्राप्त करने वाले चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर उनके स्थान पर प्रार्थी का नाम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।प्रार्थी से कम अंक प्राप्त करने वाले व कम आयु वाले चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः–क्रम संख्या 2219 राहुल स्वामी आईडी संख्या 128783, क्रम संख्या 2257 सावाराम चौधरी आईडी संख्या 100777, क्रम संख्या 2298 बनवारी लाल आईडी संख्या 144653 एवं क्रम संख्या 2345 गौरव सैनी आईडी संख्या 169616	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
377	ABARAR KHAN	PH173661	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.733 होने के बाद भी कम प्रतिशत वाले विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। (विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
378	WASEAM AKRAM BEHLIM	PH158101	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल पीएच श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत कट ऑफ से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
379	AMAR SINGH JATABE	PH166607	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति पीएच वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41. 633 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम प्रोविजनल सूची एवं मुख्य सूची में जोडने के संबंध में निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

380	SUSHILA GAINAN	PH122238	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.159 जो की ओबीसी एनसीएल पीएच की कट ऑफ से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थियां से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थियां से कम प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है:—क्रम संख्या 2155, 2168, 2219, 2257, 2273, 2298, 2314, 2345, 2354, 2359, 2360, 2361	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
381	GAJENDRA SINGH TYAGI	PH123648	अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी पीएच वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कट ऑफ से अधिक प्राप्तांक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रार्थी से कम प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थी की सूची भी संलग्न की है जो निम्नानुसार है:— जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोगसिंह आईडी संख्या 108529, मनमोहन पुत्र श्री भगवान सहायगुप्त आईडी संख्या 116632 एवं रामलाल शर्मा पुत्र शम्भुलाल शर्मा आईडी संख्या 154039	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
382	NISHA GEHLOT	PH148774	अभ्यर्थियां द्वारा ओबीसी एनसीएल विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.033 जो की कट ऑफ से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थियां को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं होने के कारण सामान्य अभ्यर्थी की तरह भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

383	MUKESH KUMAR GUPTA	PH130340	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी के अंतिम वरीयता सूची में 71.842 प्रतिशत अंक होने व विशेष योग्यजन श्रेणी में है तथा अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 25.08.2023 को सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भी सत्यापित करवाया गया है। संलग्न–बीफार्मा अंकतालिका, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, एसएमएस ओपीडी पर्ची, सीएमएचओ दौसा अनुभव प्रमाण पत्र	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नही मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नही होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
384	CHHATAR A RAM	PH146269	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट प्रोविजनल सूची में नाम जोडने बाबत् परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी विशेष योग्यजन श्रेणी में आता है तथा दिनांक 24.08.2023 को एसएमएस हॉस्पिटल, जयपुर में स्वय उपस्थित होकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित करवाया है। ओबीसी एनसीएल पीएच कैटेगरी की लास्ट कटऑफ 30.967 प्रतिशत तक गई है, जबकि अभ्यर्थी के 41.933 प्रतिशत अंक है। संलग्न– डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
385	DEEPAK GOYAL	PH115350	अभ्यर्थी द्वारा परमानेन्ट फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की प्रोविजनल लिस्ट में नाम जुडवाने बाबत परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी विशेष योग्यजन श्रेणी का है लेकिन अभ्यर्थी का नाम 40.633 प्रतिशत अंक के साथ सामान्य विकलांग में है। अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम वरीयता सूची में है। संलग्न–10वीं, 12वीं, डी फार्मा की अंकतालिकाएं, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन, मूल निवास, विवाह पंजीयन, डिसएबलिटी सर्टिफिकेट	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				स्वीकार योग्य नहीं है।	
386	RAJENDAR KUMAR SAINI	PH145514	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट पद हेतु लिस्ट में नाम नहीं आने के संबध में परिवेदना प्रस्तुत की गई है। प्रोविजनल सूची में ओबीसी–पीएच की कट–ऑफ 30.967 प्रतिशत थी जबकि अभ्यर्थी के 40.900 प्रतिशत अंक है। संलग्न–डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
387	NARENDRA KUMAR KHOLIA	PH143761	अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। संलग्न–डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

388	Manish Kumar Saini	PH102302	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची में नाम जुडवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में आरयूएचएस डी–फॉर्मा अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र दिनांक 22.11.2022 की प्रति प्रस्तुत कर वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी का अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 39.333 प्रतिशत दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम कटऑफ 30.967 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने प्राप्तांक के अनुसार वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
389	DUSHYANT KUMAR VACHHETA	PH102897	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं आने बाबत परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डी–फॉर्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अनुसूचित जाति दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 41.60 प्रतिशत है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 24.08.2023 को एसएमएस जयपुर में उपस्थित होकर दिव्यांगता सत्यापित करवाई गई थी। अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज संलग्न किया जाकर अंतरिम चयन सूची	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			में सम्मिलित किये जाने हेतु लिखा है।		
390	SANDEEP SHARMA	PH104100	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन पोर्टल पर कैटेगरी में करेक्शन करवाने तथा लाईसेन्स रिन्युअल दिनांक अपडेट करवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2022 एवं रिन्युअल प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय गलती से ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग श्रेणी में आवेदन हो गया था, जबकि अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 39.533 प्रतिशत ओबीसी एनसील दिव्यांग श्रेणी के न्युनतम कटऑफ 30.967 प्रतिशत से अधिक है। अतः अभ्यर्थी का नाम ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावें।साथ ही लाईसेन्स की रिन्युअल दिनांक 31.12.2023 को संशोधित कर 31.12.2024 किया जावें।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

391	KRISHAN KUMAR YADAV	PH107549	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने बाबत परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र 22.06.2023, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथ्योरिटी द्वारा जारी डी–फॉर्मा अंकतालिका प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 37.067 प्रतिशत होने के उपरांत भी वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 25.08.2023 को एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित करवाया गया था। अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
392	KISHAN SINGH	PH109505	अभ्यर्थी ने कटऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक होने के बाद भी अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने बाबत परिवेदना के संलग्नक में सैकेण्डरी अंकतालिका, सीनियर सैकेण्डरी अंकतालिका, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा जारी डी–फॉर्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांग श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा चुका है जिसमें कुल औसत प्राप्तांक 41.633 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा जितेन्द्र सिंह पुत्र जोग सिंह (सामान्य श्रेणी दिव्यांग), आई0डी0 संख्या 108529, प्राप्तांक 37.367 का अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित है। अभ्यर्थी के ज्यादा अंक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।		
393	CHETAN KUMAR	PH112520	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.733 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं ओबीसी एनसीएल विशेष योग्यजन श्रेणी की वरीयता सूची में 30.967 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नानुसार बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में निवेदन किया है:- 1. फार्मासिस्ट भर्ती में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की कटऑफ कितनी गई? 2. फार्मासिस्ट भर्ती में विशेष योग्यजन की कुल कितनी सिटें थी एवं उनकी चयनित विधार्थियों की सूची।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
394	MAHENDRA KUMAR SHARMA	PH115315	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथ्योरिटी द्वारा जारी डी-फॉर्मा की अंकतालिका संलग्न की गई है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। इस प्रकार विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार अभ्यर्थी की आयुसीमा निर्धारित आयु से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

395	SOOJA RAM	PH118491	अभ्यर्थी ने ओबीसी–एनसीएल–पीएच श्रेणी में आवेदन किया है जिसका दिनांक 26.08.2023 को डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन किया गया था। अभ्यर्थी ने स्वयं का एसएमएस हॉस्पीटल जयपुर की गठित जांच कमेटी से पीएच श्रेणी की जांच से अवगत करवाया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 38.800 प्रतिशत बताते हुए स्वयं को ओबीसी एनसीएल पुरूष वर्ग पीएच की कटऑफ लगभग 30 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर भी प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थी ने स्वयं की निःशक्तता प्रमाण पत्र (सीधा पैर 45 प्रतिशत लोकोमोटर), आरपीसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 10वीं एवं व्यवसायिक अंकतालिकाऐ एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः परिवेदना प्रस्तुत स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
396	Nidhi Samuel	PH118816	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.56 प्रतिशत होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

397	SAPNA YADAV	PH120010	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट पद हेतु ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन किया था, जिसके क्रम में जारी पत्रांक 8499 दिनांक 20.08.2023 की पालना में एसएमएस चिकित्सालय में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26.08.2023 द्वारा मेडीकल जांच भी करवाई जा चुकी है। अभ्यर्थी को सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा रिपोर्ट 0026230 4054/10 दिनांक 29.08.2023 एवं एसएमएसएच/1/23/3665853 दिनांक 08.09.2023 जारी की जा चुकी है। इसके उपरांत अभ्यर्थी का नाम पीएच की अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित किया गया जिसके क्रम में अभ्यर्थी जयपुरिया चिकित्सालय में 26.09.2023 को उपस्थित रही थी। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ओरिजनल दिव्यांगता रिपोर्टस एवं दस्तावेज भी एसएमएस चिकित्सालय में दिनांक 02.11.2023 को कमरा संख्या 62 में भी जमा करवाये गये है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी के डी–फॉर्मा के अंक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का का नाम ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थी ने एसएमएस चिकित्सालय से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

398	NEERAJ SHARMA	PH121294	अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस दिव्यांगता श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.567 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं प्रार्थी से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
399	BRIJESH MEENA	PH122440	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति की विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.430 जो की कट ऑफ से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
400	KAILASH CHAND SAINI	PH127795	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

401	RITIKA JAIMAN	PH141695	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट पद पर चयन हेतु परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आरयूएचएस द्वितीय वर्ष अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, याचिका संख्या 19052/2022 की प्रति प्रस्तुत कर वरियता प्रदान करते हुए चयन करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने आवेदन संख्या 141695 द्वारा दिव्यांग श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन किया था, जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था। अभ्यर्थी के दिव्यांग श्रेणी में औसत प्राप्तांक 40.133 प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा 2264 पर रामलाल शर्मा, प्राप्तांक 40.135 एवं 2313 पर अंकित मनमोहन गुप्ता, प्राप्तांक 38.435 का नाम चयन सूची में सम्मिलित है। अभ्यर्थी ने सीएमएचओ दौसा एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार (याचिका संख्या 19052/2022) एम्स जोधपुर द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अभ्यर्थी ने वरियता प्रदान करते हुए न्यून अंको से पहले स्वंय का चयन करने हेतु लिखा है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
402	GORDHAN SINGH	PH151079	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थियों जिनकी आईडी संख्या गोरव कुमार 137590 एवं सचिन कुमार मिश्रा 150686 के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर चयनित अभ्यर्थियों की जांच कर स्वयं को वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				स्वीकार योग्य नहीं है।	
403	PRINCE	PH151278	अभ्यर्थी ने विशेष योग्यजन श्रेणी की अंतरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी के फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जारी अंतरिम वरियता सूची में विशेष योग्यजन श्रेणी की अंतरिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक औसत प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरि चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
404	Vikas kumar	PH175176	अभ्यर्थी द्वारा प्रोविजनल सूची से प्रतिशत अधिक होने पर वह विशेष योग्यजन अंतर्गत आने पर भी नाम प्रोविजनल सूची में नहीं आने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। संलग्न–10वीं, 12वीं, डीफार्मा की अंकतालिकाएं, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल का रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, डिसएबलिटी सर्टिफिकेट	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

405	BHAWANI SINGH	PH192308	अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 38.767 होने के बाद भी चयन नहीं होने एवं कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम प्रोविजनल सूची एवं मुख्य सूची में जोडने के संबंध में निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए सामान्य अभ्यर्थी माना गया है। अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
406	DINESH KUMAR	PH199522	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने बाबत परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग में विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थी के 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर कुल औसत प्राप्तांक 67.1 प्रतिशत है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 24.08.2023 को दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था तथा अभ्यर्थी एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में मेडीकल चैकअप के लिये भी उपस्थित हुआ था परन्तु अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मलित करने हेतु लिखा है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नही मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नही होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

407	SATISH KUMAR SHARMA	PH204651	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में जारी अंतरिम वरियता सूची में परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी ने ईडब्लयूएस दिव्यांग श्रेणी से आवेदन किया था जिसका स्थायी दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से अधिकता का प्रमाण पत्र राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर से मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 39.267 प्रतिशत है परन्तु अभ्यर्थी का नाम दिनांक 05.08.2024 को जारी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।अतः अभ्यर्थी ने चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम नहीं आने/चयन नहीं होने का कारण स्पष्ट करते हुए जांच करवाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्तिं में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
408	MUKESH KUMAR PURBIA	PHT130664	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दिव्यांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास, मूल निवास, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।	फार्मासिस्ट पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया था। अतः अभ्यर्थी के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसकें अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार फार्मासिस्ट का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
409	PRAKASH CHAND MEENA	PH192336	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि 11 दिसम्बर 2009 से दिनांक 19.07.2024 तक सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाचन्द्रजी में संविदा फार्मासिस्ट के पद पर नियमित रूप से कार्यरत है। जिसका अनुभव प्रमाण पत्र एप्लीकेशन आईडी पीएच192336 के साथ संलग्न	विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार अभ्यर्थी की आयुसीमा निर्धारित आयु से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			किया था। लेकिन अभ्यर्थी का नाम वरियता सूची में नहीं है एवं ना ही कोई कारण का मालूम है। जबकी अभ्यर्थी 11 दिसम्बर को में था। अभ्यर्थी को करीब 14 साल से अधिक संविदा पर कार्य करते हुए हो गए थे।		
410	RAMESH CHAND GURJAR	PH184591	अभ्यर्थी ने एमबीसी एनसीएल पुरूष वर्ग में आवेदन किया है। परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के औसत प्रतिशत अंक 48. 233 है जबकि एमबीसी पुरूष वर्ग की कटऑफ 44.967 प्रतिशत से अधिक अंक होने के बाद भी प्रार्थी का नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना के साथ अपने डिप्लोमा अंकतालिका संलग्न की है। अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	औषधि नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिका वैध नहीं पाये जाने के कारण अभ्यर्थी पात्र नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी के संबंध में विचार नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
411	MADAN LAL TIKMAWAT	PH140848	अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने एवं सूची में प्राप्तांक प्रतिशत स्पष्ट अंकित नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की पात्रता विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार 2 से अधिक संतान होने के कारण निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
412	POONIT MEHTA	PHT164472	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 77. 267 होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार अभ्यर्थी की आयुसीमा निर्धारित आयु से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
413	Dilshad	PHT138374	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59 होने के बाद भी चयन नहीं होने का कारण चाहने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.05.2015 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिये केवल अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही पात्र होंगे। अतः अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवासी नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

414	GAJENDRA KUMAR JAIN	PHT193371	अभ्यर्थी ने विषयक फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में बोनस अंक जोडने बाबत परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मेसी कौंसिल–राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजि. नं.–14039 दिनांक 22.10.99 से रजिस्टर्ड है। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के पैकेज नं. 08 मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत हेल्पेज इण्डिया उदयपुर में फार्मासिस्ट पद पर कार्य किया। वेतन कर्मचारी भविष्य निधी योजना के खाता संख्या DL/5182/1134 में नियमित वेतन से ईपीएफओ राशि जमा होना बताया गया है। संलग्न दस्तावेज–डी फार्मा अंकतालिका, जिला कलेक्टर आदेश कॉपी, सीएमएचओ उदयपुर आदेश कॉपी, वेतन–ईपीएफओ रसीद, फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन	विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार अभ्यर्थी की आयुसीमा निर्धारित आयु से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
415	PRAKASH CHAND NAGAR	PH141485	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंको को जोड़कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.867 होने के बाद भी चयन नहीं होने का उल्लेख कर सभी दस्तावेज पुनः जांच कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की पात्रता विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार 2 से अधिक संतान होने के कारण निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

416	MOOL CHAND JAT	PH147641	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना के संलग्नक में सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी डी–फार्मा अंकतालिका, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं बच्चो के जन्म प्रमाण पत्र (02) की प्रतियां प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी के ओबीसी जाति वर्ग में 30 प्रतिशत बोनस अंक सहित कुल औसत प्राप्तांक 70.966 अंतरिम कटऑफ 63.888 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि 15.05.1971 है तथा मानदेय के लिए न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिसकी रिट संख्या 12264/2016, 2873/2020 है तथा अभ्यर्थी से अधिक उम्र वाले का अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित है जिसके आवेदन क्रमांक 146399, 163142, 173692 व अन्य भी है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी की पात्रता विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार 2 से अधिक संतान होने के कारण निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
417	KM KASHMIRA DEVI	PH100310	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 8548/2023 का निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति संलग्न कर राजेन्द्र कुमार बेनीवाल से कवर्ड बताया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 8548/2023 का निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति संलग्न कर राजेन्द्र कुमार बेनीवाल से कवर्ड बताया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है। इस प्रकरण को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 में निस्तारित किया जा चुका है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

418	BABU LAL	PH188872	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र, फार्मेसी से संबंधित अंकतालिका एवं कोर्ट केस एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 14080/2023 की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.400 प्रतिशत हैं जो अंतरिम चयन सूची में इनकी श्रेणी (ओबीसी) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। रिट याचिका 4128/2024 को समान प्रकरणों के निस्तारण के समरूप नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 में निस्तारित किया जा चुका है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
419	Akshat Jain	PHT211446	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि विभाग द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 जारी की थी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंतिम दस्तावेज सत्यापन लिस्ट में नाम था। जो दिनांक 25.09. 2023 को अंतिम पत्र क्रमांक F-109(8)/SIHFW/MH-Recruit/FHW/2023/9086 को रात को 8:30 बजे विभाग की साइड पर डाली गई थी, एवं विभाग द्वारा दिनांक 26.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया। परन्तु अभ्यर्थी के निवास स्थान से 600 किमी दूर होने के कारण समय पर नहीं पहुँच पाया। अभ्यर्थी अगले दिन दिनांक 27.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन के लिए गया लेकिन दस्तावेज सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु मना कर दिया गया। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि सभी अभ्यर्थियों जो अनुपस्थित थे उन सभी को दूसरा मौका दिया गया लेकिन अभ्यर्थी अंतिम दस्तावेज सत्यापन सूची वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया गया। अभ्यर्थी ने बताया है कि आचार संहिता लग जाने के कारण इस भर्ती कार्य को स्थगित पर रख दिया परन्तु भर्ती कार्य चालू होने पर भी अभ्यर्थी का नाम प्रोविजनल सूची में नहीं है। अतः अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन के लिये अवसर प्रदान करने का श्रम किया है।	अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहा है एव दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किये जाने पर उसके द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। अतः पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध मे लिये गये निर्णय अनुसार अभ्यर्थी को अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

420	ASHOK KUMAR JAIN	PH192652	अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के रिट याचिका संख्या 896/2024 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2024 की अनुपालना के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि शैक्षणिक योग्यता का (70 प्रतिशत) 43.30 अंक मिले एवं अनुभव आधारित मुझे 25 अंक मिलने चाहिए थे, परन्तु विभाग द्वारा केवल 15 अंक जोडे गये हैं, जिससे मेरे पूर्ण प्राप्तांक 68.30 की बजाय केवल 58.30 अंक ही विभाग द्वारा दर्शाये गये है। अभ्यर्थी द्वारा बताया गया है कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 896/2024 के निर्णय के अनुसार मुझे अनुभव के आधार पर 25 अंक दिये जाए एवं मेरे संशोधित अंक 68.30 होने चाहिए एवं मेरा नाम प्रोविजनल लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट में 64.96 (ईडब्ल्यूएस) तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है।संलग्न– रिट याचिका	अभ्यर्थी ने 25 बोनस अंक प्रदान किये जाने की मॉग की है जो नियमानुसार देय नहीं हैं। अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका सं. 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति संलग्न की है। उक्त के क्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निस्तारण नीति निर्धारण समिति द्वारा किया जा चुका है।	यदि अभ्यर्थी ने माननीय न्यायालय में रिट दायर की है जिसके क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण राजेन्द्र कुमार बेनिवाल के अनुसार किया जा चुका है तो वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अन्यथा प्रकरण को निस्तारण हेतु नीति निर्धारण समिति की बैठक में रखा जाये
421	MONIKA CHOTIA	PH121110	अभ्यार्थिया ने ई डब्ल्यू एस श्रेणी में आवेदन किया है एवं व्यावसायिक योग्यता के अनुसार मेरे 52.9 प्रतिशत बने है। अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ई डब्ल्यू. एस. का प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान सत्यापनकर्ता के द्वारा अभ्यार्थिया से ई. डब्ल्यू. एस. का प्रमाण पत्र पति के नाम का मांगा गया, जबकि आपके विभाग की विज्ञप्ति के पेज नंबर–12 पर क्रम संख्या 2 के अनुसार पति के नाम का ई. डब्ल्यू. एस. का प्रमाण पत्र वैध नहीं माना गया है। इसी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यार्थिया ने अपने पिता के नाम से जारी ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया। ई. डब्ल्यू. एस. के प्रमाण पत्र के संदर्भ में राजस्थान सरकार के विभाग	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ पिता के नाम से 16.12.2022 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो विवाह दिनांक 14.11.2021 के पश्चात जारी कराया गया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परिवार की परिभाषा में आवेदक स्वयं, पति/पत्नि, अविवाहित बच्चे, अविवाहित भाई–बहन एवं माता–पिता सम्मिलित हैं। इस प्रकार विवहोपरान्त एक स्त्री का परिवार वह है जो उसके पति का है। अतः उसका प्रमाण पत्र पति के नाम से जारी होना चाहिये। अभ्यर्थिया का कथन कि विज्ञप्ति के पेज नंबर–12 पर क्रम संख्या 2 के अनुसार पति के नाम का ई. डब्ल्यू. एस. का प्रमाण पत्र वैध नहीं माना गया है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों हेतु नहीं है। अतः इस प्रकार अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 110/आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांके 06.05.2022 के अनुसार ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र के साथ आवेदक द्वारा अपने परिवार की आय 08 लाख रूपये से कम होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र की वैधता तीन वर्ष तक बढाई जा सकती है। इसी अनुसार अभ्यार्थिया का ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र वर्ष 2023–24 तक के लिए वैध/मान्य है। अतः अभ्यार्थिया ने तथ्यों एवं दस्तावेज को मध्यनजर रखते हुए प्रोविजनल एवं अंतिम चयन सूची में शामिल करने का निवेदन किया है। संलग्नः– व्यवसायिक योग्यता परीक्षा अंकतालिका, ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र, ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र के समर्थन का शपथ पत्र, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास एवं राजस्थान सरकार के विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन		
422	DINESH SHARMA	PH194858	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र, एसबी सिविल रिट पिटिशन सख्या 896/2024, डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, आरपीसी रजिस्ट्रेशन एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक प्रकरण राजेन्द्र बेनीवाल से कवर्ड होने के कारण नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।	प्रकरण राजेन्द्र बेनीवाल बनाम सरकार से कवर्ड होने के कारण नीति निर्धारण समिति के माध्यम से निस्तारित किया जाये।
423	KAVITA GURJAR	PH160376	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.2023 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दिनांक 25.08.2023 को दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था, जिसमें अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 46.600 प्रतिशत थे। तत्सतय	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदन की अंतिम दिनांक तक अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक तक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अभ्यर्थी के पास मूल रूप से सभी दस्तावेज थे परन्तु लाईसेंस संबंधित दस्तावेज के रूप में केवल चालान की प्रति तथा एनओसी (ट्रैक कंसाइन्मेंट) थी। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में वैद्य पंजीयन प्रमाण जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया। अभ्यर्थी ने 04.09.2023 को ऑफलाईन रूप से जमा करवाया गया तथा ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत की गई परन्तु अभ्यर्थी का नाम ना ही अंतरिम चयन सूची ना रोके गये परिणाम की सूची में सम्मिलित किया गया जबकि एमबीसी वर्ग की अंतरिम कटऑफ 39.600 थी तथा अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक 46.600 प्रतिशत थे। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति में आवेदन से पूर्व ही दिनांक 19.12.2022 को आरपीसी में लाईसेंस ट्रान्सफर करवाने के लिए आवेदन किया था तथा अभ्यर्थी की एनओसी भी दिल्ली से जयपुर दिनांक 15.05.2023 को आ चुकी थी। इसके उपरांत भी आरपीसी द्वारा अभ्यर्थी को वैद्य पंजीयन नहीं दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 03.06.2023 को विज्ञप्ति में ऑनलाईन आवेदन किया गया। तत्समय अभ्यर्थी के पास चालान की प्रति तथा एनओसी का ट्रैक कन्साईमेंट था, जिसके आधार पर आवेदन किया गया।अतः अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	

424	RAHUL LOHAR	PH173694	प्रार्थी राहुल लोहार आईडी संख्या 173694 द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.549 जो की ओबीसी एनसीएल पीएच की कट ऑफ से अधिक होने पर भी अंतरिम चयन सूची में चयन नहीं होने का उल्लेख कर प्रार्थी का नाम फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम वरीयता सूची में नाम जुड़वाने और बची हुई विशेष योग्यजन विकलांगता सूची को पूरा करने के संबंध में निवेदन किया है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
425	SUNIL KUMAR	PH195655	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ 45.592 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में 06.07.2023 से पंजीकरण होने का जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि आवेदन करने की अंतिम दिनांक के बाद का जारी होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
426	RAMSINGH GURJAR	PH206543	अभ्यर्थी द्वारा एमबीसी वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.233 जो की कट ऑफ 44.967 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 13544/2023 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2023 की प्रतिलिपि संलग्न की है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय उपरान्त तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
427	MEGHA KANWAR	PH180759	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट की अंतरिम सूची में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है। अभ्यर्थी के 57.37 प्रतिशत अंक है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
428	AMIT KUMAR DUMOLIA	PH104393	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मेसी अंकतालिका, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य पत्रादि संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में पंजीयन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है एवं राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नही होने एवं औषधि नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
429	HEMRAJ GURJAR	PH111767	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन पोर्टल पर एमबीसी–एनसीएल (पीएच) कैटेगरी में हां करने के बाद भी विभाग द्वारा जारी अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी के कटऑफ मार्क्स के रहते हुये भी चयन नहीं होने एवं लिस्ट में नाम नहीं आने के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.2023, डी–फार्मा प्रोविजनल प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 मे एमबीसी–एनसीएल (पीएच) वर्ग में आवेदन किया गया था एवं विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मेडीकल बोर्ड के समक्ष भी उपस्थित हुआ था। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 43.33 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 39.60 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

430	VINITA KUMARI	PH130978	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज फार्मेसी डिप्लोमा संबंधित अंकतालिकाओं की प्रतिलिपि संलग्न की है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नही होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक तक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
431	BHANWARI MEGHWAL	PH139084	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा केवल आरयूएचएस द्वारा जारी डी–फॉर्मा अंकतालिकाएं, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 13.09.2021 तथा डी–फॉर्मा प्रोविजनल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
432	SURESH KUMAR KASANA	PH143038	अभ्यर्थी द्वारा व्यवसायिक योग्यता एवं 30 बोनस अंक मिलाकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.100 बनते हैं जो एमबीसी एनसीएल वर्ग की अंतिम कटऑफ प्रतिशत 44.967 से अधिक होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नही होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में पंजीकरण के संबंध में राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से स्थिति स्पष्ट कराकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
433	jeevraj	PH146437	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका, फार्मेसी की अंकतालिका एवं आरपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न की है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नही होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में पंजीकरण के संबंध में राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से स्थिति स्पष्ट कराकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
434	SATBIR	PH165572	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अनुसूचित जाति वर्ग के अंतिम कटऑफ में पात्र होते हुये भी नाम सम्मिलित नहीं करने बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी के फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अनुसूचित जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 48.67 प्रतिशत	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नही होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			अंतरिम कटऑफ 45.592 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अभ्यर्थी को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।		
435	DINESH GURJAR	PH198749	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल राजस्थान राज–पत्र साधारण दिनांक 25.06.2021 की प्रतिलिपि, आरपीसी रजिस्ट्रेशन, बी–फार्मा की अंकतालिका की प्रतिलिपि, माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका की प्रतिलिपि संलग्न की है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
436	GOTAM DASS	PH205663	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट लिस्ट में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 25.08.2023 को दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था। अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 47.800 प्रतिशत अंतरिम कटऑफ 33.800 प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजस्थान फार्मेसी कौंसिल में पंजीयन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है एवं राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नही होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

437	Prakash Vyas	PHT148246	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 26.09.2023, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी का सामान्य टीएसपी श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जिस हेतु अभ्यर्थी द्वारा उक्त संलग्न दस्तावेजो का परीक्षण किये जाने हेतु लिखा है ताकि अभ्यर्थी का चयन हो सके।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नही होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण वैद्यकीय अरोग्य मुख्यालय, द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नही है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
438	DEEPAK KHANT	PHT164950	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध परिवेदना के संलग्नक में आरयूएचएस डी–फार्मा अंकतालिका, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 40.300 प्रतिशत है जो कि टीएसपी अनुसूचित जनजाति पुरूष की अंतरिम कटऑफ 35.947 प्रतिशत से अधिक है, जिसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अभ्यर्थी ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

439	KAVERI MEENA	PH207376	अभ्यर्थी ने फॉर्मासिस्ट भर्ती की अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रति तथा याचिका संख्या 14022/2023 की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 48.733 प्रतिशत है जबकि अंतरिम कटऑफ 35.500 प्रतिशत है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका 14022/2023 भी दायर की गई है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय उपरान्त तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
440	Veerbhan meena	PH210508	अभ्यर्थी ने फॉर्मासिस्ट भर्ती की अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिनांक 31.01.2023 की प्रति तथा याचिका संख्या 14022/2023 की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 47.300 प्रतिशत है जबकि अंतरिम कटऑफ 33.800 प्रतिशत है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका 14022/2023 भी दायर की गई है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय उपरान्त तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

441	SHAILAEENDRA GURJAR	PH207883	अभ्यर्थी ने फॉर्मासिस्ट भर्ती की अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना के संलग्नक में आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिनांक 31.05.2023 की प्रति तथा याचिका संख्या 13544/2023 की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी के एमबीसी एनसीएल वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 53.667 प्रतिशत है जबकि अंतरिम कटऑफ 44.967 प्रतिशत है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका 14022/2023 भी दायर की गई है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय उपरान्त तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
442	GAURAV KUMAR MEENA	PH211741	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आरपीसी पंजीयन आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2023 की प्रति, ई–कोर्ट सर्विसेज पीटीशनर की प्रति संलग्न की गई है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय उपरान्त तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
443	RAM SINGH MEENA	PH207796	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि डॉक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन सूची में 47.93 प्रतिशत अंक है और मेरिट सूची 33.80 प्रतिशत गई है। लेकिन अभ्यर्थी का नाम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं है एवं कोर्ट द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। जिसका रिट पिटिशन क्रमांक 13544/2023 है। संलग्नः– कोर्ट ऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर्म, डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन सूची एवं फार्मेसी काउसिंल रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन फॉर्म।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित परिवेदना के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल से अभ्यर्थियों के पंजीयन के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय उपरान्त तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

444	YUVRAJ SINGH JAGARWAR	PH168368	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल स्वयं से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है जिनमें आवेदन फार्म की प्रति, आरपीसी रजि0 प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं एवं 12 एवं व्यवसायिक अंकतालिकाए, विशेष योग्जन जन प्रमाण पत्र एवं एस0 बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 8075/2023 की प्रति संलग्न की है।	राजस्थान फार्मेसी कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
445	RAJENDRA KUMAR	PH197121	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना के संलग्नक में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का पत्र दिनांक 21.06.2024, राजकीय सेवा में बिना पारी नियुक्त पदक विजेता खिलाडियों को खेल जारी रखने हेतु सामर्थ्यकारी वातावरण उपलब्ध करवाने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 18.07.2022 एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा बिलियर्ड्स एवं स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया को एफिलियेटेड मेम्बर ऑफ इण्डियन औलम्पिक एसोसिएशन माना जाने संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2022 प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा कुल औसत प्राप्तांक 46.333 प्रतिशत के आधार पर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में स्पोर्टस कैटेगरी में आवेदन किया गया था।	अभ्यर्थिया ने सेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नेशनल बिलियार्डस, स्नूकर एण्ड 6 रेड स्नूकर चैम्पियनशिप इन्दोर 2022 में भाग लेने का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 एवं 27.05.2022 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
446	BHUPENDRA SINGH	PH109785	अभ्यर्थी ने खेल प्रमाण पत्र जांच करके फार्मासिस्ट अंतरिम वरियता सूची में करवाने बाबत परिवेदना के संलग्नक में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा जारी बोर्ड ऑफ स्पोर्टस सर्टीफिकेट ऑफ प्रोफिसियेन्सी प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र की जांच कर खेल प्रमाण पत्र के आधार पर स्पोर्टस कैटेगरी की अंतरिम वरियता	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
447	VIJAY KUMAR AGARWAL	PH102041	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल भारतीय खेल संघ द्वारा जारी 3 नेशनल चैम्पियनशिप Certificate of Merit/Participant की प्रति संलग्न की है। अभ्यर्थी द्वारा ईडब्लयूएस वर्ग की स्पोर्टस कैटेगरी में आवेदन किया गया था, जिसमें अभ्यर्थी की कुल औसत प्राप्तांक 38.667 प्रतिशत है।	अभ्यर्थी ने नेशनल स्पोर्टस फडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
448	RAVINDRA SINGH CHOUHAN	PH104755	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में सैकेण्डरी स्कूल अंकतालिका, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं आरयूएचएस द्वारा जारी बी–फार्मा अंकतालिकाएं, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, मैराथन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में स्पोर्टस कैटेगरी में आवेदन किया गया था, जिसके प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा करवाया जा चुका है। अभ्यर्थी ने स्वंय को खेल कोटे से 30 बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ गोवा रिवर मेराथन का टाईमिंग प्रमाण पत्र एवं फिनिशर कोटा 10के रन के जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21. 11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। बोनस अंक केवल समान कार्य के अनुभव के देय है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

449	SHREECH AND POONIA	PH207772	अभ्यर्थी द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र से उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थी के 39.60 प्रतिशत होने के पश्चात् भी अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है और ना ही अन्तिम वरियता सूची में खेल पत्रों के सत्यापन के परिणाम रोके गए अभ्यर्थियों की सूची में। इस श्रेणी में 32.100 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अतः अभ्यर्थी ने अंतिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है। संलग्नः– दसवीं, बाहरवीं एवं फार्मेसी की अंकतालिका, अनुभव प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र	अभ्यर्थिया ने टेनिस वॉलीबॉल फडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यथिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
450	DEVI LAL MALI	PH202751	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बताया है कि अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया गया था, किन्तु अभ्यर्थी का नाम उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं का नाम उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग में जोड़ते हुए अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
451	PRIYANKA	PH121488	अभ्यार्थिया द्वारा दस्तावेजों के पुनः परीक्षण हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यार्थिया के 44.633 प्रतिशत प्राप्तांक खिलाड़ी कोटे के माध्यम से होने के पश्चात् भी अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। संलग्नः– खेल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, डी फार्मेसी अंकतालिका एवं प्रोविजनल आरपीसी पंजीयन	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा 50 वी राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2005–2006 में भाग लेने पर जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

452	PARMOD	PH181502	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल स्वयं से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न किये है। जिनमे बाहरवीं एवं बी फार्मा की अंकतालिका है।	अभ्यर्थी ने एथलेटिक्स फडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
453	SAKSHI YADAV	PH147698	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल उत्कृष्ट कोटे में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41. 800 होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा दिनांक 21.06.2023 को जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम दिनांक के बाद का होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
454	MAHAVEER PRASAD YADAV	PH169995	अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत कट ऑफ से ज्यादा होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना के साथ खेल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ जगदीश चन्द्र गुप्ता मेमोरियल राजस्थान स्टेट रेंकिग टेबिल टेनिस टूर्नामेन्ट 2022 में भाग लेने पर जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
455	HARSHAL SARUPARIYA	PH189777	अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.700 होने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत करते हुये आट्या पाट्या खेल का नेशनल का प्रमाण पत्र, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न की है, जिसका आयोजन "आट्या पाट्या फेडरशन ऑफ इण्डिया" जो की मान्यता प्राप्त है "द डिपार्टमेन्ट ऑफ यूथ अफेयर्स एण्ड स्पोर्टस फेडरेशन ऑफ इण्डिया एण्ड इण्डियन ओलम्पिक्स एसोसिऐशन द्वारा मान्यता प्राप्त है को	अभ्यर्थी ने आट्या पाट्या फेडरशन ऑफ इण्डिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			मान्य कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का सामान्य वर्ग की कट ऑफ 71.379 से कम प्राप्तांक प्रतिशत 59.700 होने के कारण प्रोविजनल सूची में चयन नहीं हुआ है।		
456	SAMEER KHAN	PH163346	प्रार्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये अनुभव का लाभ देने, आवेदन के समय प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र के के आधार पर खेल कोटे का लाभ देने एवं प्रार्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का लाभ देते हुये अंतरिम वरीयता सूची में प्रार्थी को योग्य अभ्यर्थी मानते हुये नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 23वी जूनियर नेशनल टेनिस बाल क्रिकेट चैम्पियनशिप 2015–16 द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
457	MAYANK KUMAR SOLANKI	PH156905	अभ्यर्थी द्वारा खेल कोटे में आवेदन कर भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की जुडो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने एवं ऑनलाईन आवेदन के समय खेल प्रमाण पत्र संलग्न करने के बाद भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम खेल कोटे की अंतिम वरियता सूची में जुडवाकर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, जोधपुर द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
458	SHARVAN CHOUDHARY	PH106819	अभ्यर्थी ने कोई भी परिवेदना प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है केवल यूथ रूरल गेम्स एसोसिएशन द्वारा जारी बैडमिंटन खेल का प्रमाण पत्र एवं डीवी लिस्ट संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ यूथ रूरल गेम्स एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
459	SUMAN	PH109600	अभ्यर्थी ने स्वयं का परिणाम खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन होल्ड रखे जाने संबंधी परिवेदना प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी ने प्रथम जूनियर एवं सीनियर नेशनल रोलर स्की चैम्पियनशिप 2022–23 का खेल प्रमाण पत्र जो कर्नाटक राज्य में 17 से 19 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ है में 400 मीटर स्पर्धा में प्लेयर के रूप में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका सत्यापन कर होल्ड सूची का निस्तारण करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में आवेदन कर स्की एंड स्नो बोर्ड ऑव इंडिया का जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं होने के कारण चयन नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
460	Neetesh Kumar Sharma	PH142930	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल खेल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी ने इण्डियन पॉवरलिफ्टिंग फेडरेशन का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यथिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
461	ASHOK BHATI	PH113238	अभ्यर्थी द्वारा खेल प्रमाण पत्र जो की इण्डियन पेसिफिक स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा पंजीकृत है की प्रतिलिपि परिवेदना के साथ संलग्न कर खेल कोटे का लाभ दिये जाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा इण्डियन पैसीफिक स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

462	ROBIN	PH186128	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 14984/2023 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 की प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा 57 वी राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता, 2012–13 में भाग लेने का जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
463	MANOHAR SINGH	PH183549	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आईस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित पत्रादि प्रस्तुत किये है।	अभ्यर्थी ने आईस हॉकी एसोसिऐशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यथिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
464	PAWAN KUMAR	PH117181	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल खेल संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आईस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
465	AARIF MOHAMMAD	PH215011	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर खेलकूद कोटा में नेशनल खेल में 3 पोजीशन होने के बावजूद पीयू में नहीं आने के बाबत परिवेदना प्रस्तुत की है। संलग्न– खेल संबंधी प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ तेलंगाना टेनिस बाल क्रिकेट फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक भिाग की अधिसूचना अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से मसंबद्ध संस्था नही होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

466	RISHI RAJ CHANWARIA	PH117340	अभ्यर्थी द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अंतरिम वरीयता सूची में स्पोर्टस कोटे की कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले 26 अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल है। अभ्यर्थी द्वारा खेल संबंधी समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है। 10वीं, 12वी, बीफार्मा की अंकतालिकायें, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
467	PREM BHATI	PH156532	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का चयन खेल कोटे में किये जाने बाबत् निवेदन किया है। संलग्न–बीफार्मा की अंकतालिकाएं, अनुभव प्रमाण पत्र, खेल संबंधी प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अट्या–पट्या फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
468	Aman chhaba	PH142502	अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल ईडब्ल्यूएस, 12वीं व डीफार्मा की अंकतालिकाएं, खेल संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ इन्टर स्कूल स्पोर्टस एंड गेम्स कम्पीटीशन 2018–19 में भाग लेने का जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

469	HEMANT PATEL	PH102421	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मॉडर्न खो–खो एसोसिएशन, मैसूर जिला तथा यूथ एसियन गेम्स फैडरेशन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी ने यूथ एशियन गेम्स फेडरेशन एवं मोडर्न खो–खो फेडरेशन, इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
470	CHANDRA JEET KHANDEL WAL	PH106983	अभ्यर्थी ने खेल वर्ग की फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने बाबत परिवेदना के संलग्नक में ओपन स्वीमिन्ग चैलेन्जर मीट 2002 प्रमाण पत्र, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी डी–फॉर्मा अंकतालिकाएं, ईडब्लयूएस प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.2023 की प्रति प्रस्तुत कर तैराकी प्रतियोगिता को खेल वर्ग में सम्मिलित कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।अभ्यर्थी ने तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय से तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके दस्तावेज का सत्यापन हो चुका है। अभ्यर्थी का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने तैराकी प्रतियोगिता को खेल वर्ग में सम्मिलित कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु लिखा है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ ओपन स्वीमिंग चैलेन्जर मीट, 2002 का जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
471	PROSHEN KUMAR VISHWAS	PH109853	अभ्यर्थी ने अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने बाबत परिवेदना के संलग्नक में सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, 30वा फैडरेशन कप टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप 2023 प्रमाण पत्र (नो पोजिशन), श्याम विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिप्लोमा इन फार्मेसी अंकतालिका एवं आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अंतरिम	अभ्यर्थी ने 30वा फेडरेशन कप टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिन 2023 का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			चयन सूची में नाम नहीं आने संबंधी कारण स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया जा चुका है परन्तु अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने संबंधी कारण स्पष्ट करने हेतु लिखा है।		
472	CHAHAT SHARMA	PH118346	अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल डी–फॉर्मा अंकतालिकाएं, आरपीसी पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रोविजनल प्रमाण पत्र एवं सैकेण्डरी अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत की गई है।	अभ्यर्थी ने आल इंडिया कराटे–डो फेडरेशन का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
473	SANDEEP BABU RAY	PH126177	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज 10वीं एवं 12वीं की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, डी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका, आरपीसी रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रतिलिपि संलग्न की है।	अभ्यर्थिया ने टेनिस बाल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलमपिक एसोसिएशन से संबंद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यथिया के कुल प्राप्तांक 42.133 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
474	DALPAT BANA	PH167423	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में एसोसिएशन ऑफ इण्डियन युनिवर्सिटीज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में दस्तावेज सत्यापन सूची में क्रम संख्या 30 पर कुल औसत प्राप्तांक 40.933 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया है। अभ्यर्थी एसोसिएशन ऑफ इण्डियन युनिवर्सिटीज	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ भगवन्त युनिवर्सिटी अजमेर द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 23.06.2023 का जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम दिनांक के बाद का होने के कारण उक्त खेल प्रमाण पत्र का	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इन्टर युर्निवसिटी प्रतियोगिता में मेडल पोजिशन प्राप्त है। अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत यथा क्रम संख्या 18 पर अंकित, आई0डी0 संख्या 101908, ओबीसी–एनसीएल, प्राप्तांक 32.100, क्रम संख्या 28 पर अंकित, आई0डी0 संख्या 141542, ओबीसी–एनसीएल, प्राप्तांक 37.000 एवं क्रम संख्या 42 पर अंकित, आई0डी0 संख्या 143777, ओबीसी–एनसीएल, प्राप्तांक 36.467 वाले अभ्यर्थियों का नाम अंकित है।	लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	
475	JITENDRA	PH170170	अभ्यर्थी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम वरियता सूची के संबंध में परिवेदना के संलग्नक में एसोसिएशन ऑफ इण्डियन युनिवर्सिटीज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में दस्तावेज सत्यापन सूची में क्रम संख्या 57 पर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में कुल औसत प्राप्तांक 41.733 प्रतिशत है। अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया है। अभ्यर्थी एसोसिएशन ऑफ इण्डियन युनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इन्टर युर्निवसिटी प्रतियोगिता में मेडल पोजिशन प्राप्त है। अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक प्रतिशत यथा क्रम संख्या 18 पर अंकित, आई0डी0 संख्या 101908, ओबीसी–एनसीएल, प्राप्तांक 32.100, क्रम संख्या 28 पर अंकित, आई0डी0 संख्या 141542, ओबीसी–एनसीएल, प्राप्तांक 37.000 एवं क्रम संख्या 42 पर अंकित, आई0डी0 संख्या 143777, ओबीसी–एनसीएल, प्राप्तांक 36.467 वाले अभ्यर्थियों का नाम अंकित है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ भगवन्त युनिवर्सिटी अजमेर द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ एसोसिऐशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 23.06.2023 का जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम दिनांक के बाद का होने के कारण उक्त खेल प्रमाण पत्र का लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है, अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

476	RANDHIR SINGH	PH160802	अभ्यर्थी द्वारा अंतरिम चयन सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.547 जो की प्रार्थी की डिग्री सीजीपीए 6.88 के आधार पर सही नहीं है के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर बी–फार्मा से संबंधित अंकतालिका सलंग्न कर अंतिम वरीयता सूची में प्रार्थी के कुल प्राप्तांक सीजीपीए 6.88 के आधार पर गणना कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 78.160 गणना करने के संबंध में निवेदन किया है।	फार्मासिस्ट भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अंकतालिकाओं में सीजीपीए आधारित ग्रेडिंग सिस्टम से प्रतिशत की गणना हेतु कोई अंक नहीं दर्शाये गये है, की सीजीपीए अंकतालिकाओं को संबंधित बोर्ड/संस्थान से वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशत की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार किया गया था। चूंकि अभ्यर्थी की अंकतालिकाए सीजीपीए आधारित है अतः इनकी अंकतालिकायें भी संबंधित बोर्ड/संस्थान को भिजवाया जाना एवं रिपोर्ट प्राप्त होने तक परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।

अंत में बैठक अध्यक्ष महोदया हेतु आभार व्यक्त करते हुए समाप्त की गई।

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग
राजस्थान सरकार

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान सरकार

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान सरकार

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान सरकार

उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय

रजिस्ट्रार,
राजस्थान फार्मेसी कौंसिल
जयपुर